खण्ड-160, अंक-3
बुधवार, 2 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(23 नवम्बर, 1955 ई0)

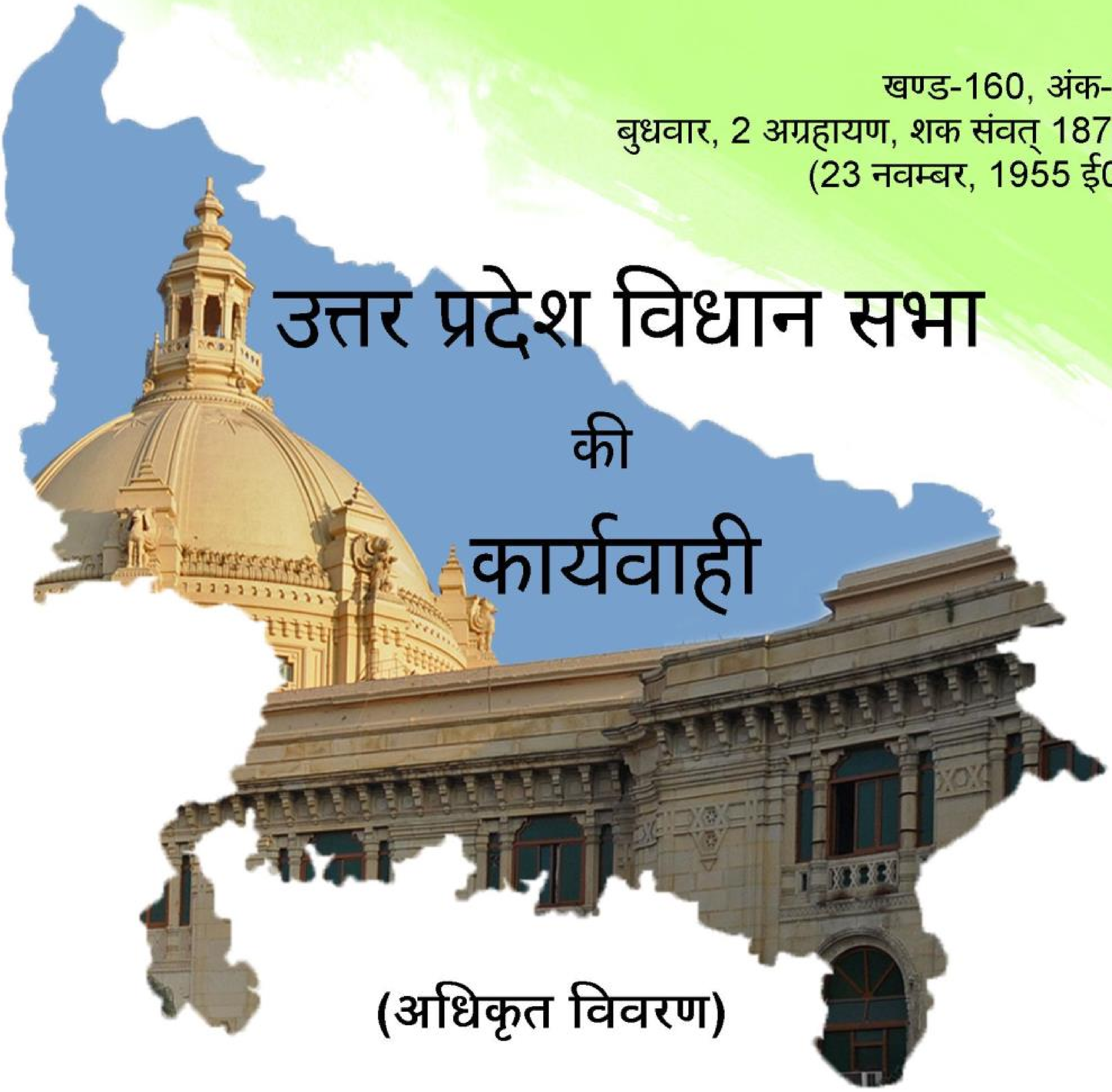

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 160 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ नवम्बर १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची ३२८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री

जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री

मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश

लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

काटेज इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंन्ट द्वारा दिल्ली में शो रूम स्थापित करने पर व्यय

*१--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काटेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने अप्रैल, १९५४ में दिल्ली में एक शो रूम स्थापित किया है? यदि हां, तो उस पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और अब तक कुल कितनी आमदनी हुई है?

नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)--(अ) जी हां।

(ब) सन् १९५४-५५ में ३५,१७३ रुपये की आमदनी हुई और ३०,४०१-११-० रुपया खर्च हुआ। सन् १९५५-५६ के आय व्यय का लेखा अभी तैयार नहीं है। अतः अप्रैल, १९५५ से अब तक के आय-व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सत्य है कि शो-रूम (Show room) प्रादेशिक सरकार की नियमानुकूल आज्ञा प्राप्त किये बगैर ही स्थापित किया गया था, यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--सन् १९५३-५४ में केंद्रीय सरकार ने देहली में शो-रूम की स्थापना के निमित्त ४,००० रुपये का अनुदान स्वीकार किया। शो-रूम की स्थापना के लिये यह धन अपर्याप्त था अतः केंद्रीय सरकार के अधिक धन के लिये प्रार्थना की गई और साथ ही साथ शो-रूम के लिये स्थान की खोज की जाने लगी। मार्च, १९५४ में केंद्रीय सरकार के प्रयत्न से एक छोटा-सा स्थान मिला और केंद्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार को इस स्थान को प्रयोग करने के संबंध में निर्णय करने के लिये लगभग एक सप्ताह का समय दिया। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा था, शो-रूम की स्थापना के लिये आवश्यक कदम उठाये गये।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ के आय-व्ययक को आडिट किया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो इसका आडिट कब तक होगा?

श्री बनारसीदास--विभाग की तरफ से कितनी आमदनी हुई, इसका तो आडिट होता ही है और बाकी आडिटर जनरल की तरफ से इसके आडिट की सूचना विभाग को मिली नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खर्चे में जो आंकड़े दिये गये हैं वह किन-किन चीजों के हैं और उनमें कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं? उनमें क्या ओवरहैड चारजेज शामिल हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं?

श्री बनारसीदास--खर्चे के अन्दर दूकान की स्थापना, कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, हैंडीक्राफ्ट के स्टोर, लखनऊ से सामान आदि पहुंचाने के लिये जो व्यय हुआ, वह सब शामिल है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे शो-रूम और कौन-कौन नगरों में खोले गये हैं?

श्री बनारसीदास--वैसे अभी तक तो दिल्ली में खोले गये हैं। योजना थी कि को-आपरेटिव सोसाईटीज की तरफ से जहां को हैंडीक्राफ्ट का सामान जाता है, बम्बई आदि शहरों में, वहां भी हमारे शो रूम खोले जायं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ४,००० रुपये का जो अनुदान भारत सरकार ने स्वीकार किया था, यह रिकरिंग है या नान-रिकरिंग ?

श्री बनारसीदास--यह नान-रिकरिंग है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि यू० पी० गवर्नमेंट ने इसी किस्म का एक शो रूम का निश्चय जबलपुर में खोलने का किया है, जोकि ६ महीने से मकान किराये पर लिया गया लेकिन अभी तक नहीं खोला गया ?

श्री बनारसीदास--जैसा मैंने निवेदन किया, हम चाहते हैं कि हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में हमारे शो रूम खुलें। अभी तक तो जिले के अन्दर ही खोले गये हैं। जबलपुर के बारे में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, इसके बारे में मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। अगर चाहें तो इसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

खीरी जिले की निघासन तहसील में शराब की कच्ची भट्ठियों को समाप्त करने में विलम्ब

*३--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने तहसील निघासन, जिला खीरी में शराब की कच्ची भट्ठियों को समाप्त करने का विचार पिछले वर्ष किया था ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--जी हां।

*४--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (अनुपस्थित)--यदि यह सत्य है, तो अब तक समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल--इस योजना के अन्तर्गत एक शराब का गोदाम खोलना था पर प्रयत्न करने पर भी गोदाम में माल पहुंचाने के लिये आवश्यक मालगाड़ियों का प्रबन्ध रेलवे अधिकारी न कर सके। फलतः यह योजना १ अप्रैल, १९५५ से चालू न हो सकी।

बस्ती जिले के सहकारी चर्खा केंद्र

*५--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने सरकारी चर्खा केंद्र हैं और कहां खुले हैं ?

श्री बनारसीदास--इस जिले में ११ खादी केंद्र निम्नलिखित स्थानों में चल रहे हैं--

१--मदनपुर,
२--तिलरी बाजार,
३--बनकटवा,
४--महदावल,
५--जीबां,
६--महाराजगंज,
७--नागर,
८--बिशेसरगंज,
९--क्लवारी,
१०--दिवाकरपुर,
११--हंसरबाजार

*६—श्री राजाराम शर्मा—इन केंद्रों में कितनी कत्तिनें शिक्षित हुईं और कितने चर्खे बांटे गये ?

श्री बनारसीदास—१४५८ कत्तिनें शिक्षित हुईं और १४५८ चर्खे बांटे गये ।

*७—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की सहायता की दृष्टि से बस्ती जिले में ५० और चर्खा केंद्र खोलेगी ?

श्री बनारसीदास—सरकार कुछ नये खादी केंद्र राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है । यदि इन केंद्रों को खोले जाने की स्वीकृति हो गई तो कुछ केंद्र बस्ती जिले में भी खोले जा सकते हैं ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो चर्खे बांटे गये उनकी कीमत ली गयी या मुफ्त दिये गये ?

श्री बनारसीदास—जो चर्खे बांटे गये ये तो सब सब्सिडाइज्ड हैं ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हैसर बाजार में जो खादी केन्द्र खुला है वहां पर उनका स्टाक और चर्खे पहुंच गये हैं ?

श्री बनारसीदास—यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो १४५८ चर्खों का जिक्र किया गया है यह पहले ५ केन्द्रों के बारे में है और जहां तक ६ नये केन्द्रों का सवाल है ये इसी वित्तीय वर्ष में कायम किये गये हैं । यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है कि आया वहां पर चर्खे पहुंचे हैं या नहीं ?

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूत कत्तिनें कातती हैं वह कौन खरीदता है ?

श्री बनारसीदास—यह गांधी आश्रम द्वारा खरीदा जाता है और इन बाढ़ पीड़ित क्षत्रों में २ आना प्रत्येक हुन्डी पर सब्सिडी भी दी जाती है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चर्खों पर क्या सब्सिडी दी गयी है ?

श्री बनारसीदास—ये आधे मूल्य पर दिये गये हैं ।

*८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[हटा दिया गया ।]

आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल में शैय्याओं की कमी

*९—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल के शैय्या विस्तार के लिये जो पच्चीस लाख रुपया व्यय करने की योजना थी, उसमें कितना रुपया अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री बनारसीदास—२,८३,८२२ रु० अब तक व्यय हुआ है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बाकी रुपये का क्यों नहीं उपयोग हुआ ?

श्री बनारसीदास—उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थीं जिनकी वजह से यह रुपया खर्च नहीं हो सका और इस बात की पूरी कोशिश की गयी कि पंचवर्षीय योजना में जिन कामों के लिये धन को व्यय किया जाना चाहिये था वह व्यय किया जाय, लेकिन इस बात का बड़ा खेद है कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से पूरा रुपया खर्च नहीं हो सका ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सरोजिनी नायडू हास्पिटल में शैय्याओं की बहुत कमी है, जिसके कारण बहुत से मरीज बाहर सड़क पर ही पड़े रहते हैं ?

श्री बनारसीदास--यह सही है कि वहां शैय्याओं की कमी है और काफी तादाद के अन्दर रोगी वहां आते हैं जिसकी वजह से अवश्य उनको कठिनाई होती है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि वे सड़क पर पड़े रहते हैं, लेकिन यह सही है कि वहां बड़ा रश रहता है और लोगों को वेटिंग लिस्ट पर रहना पड़ता है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया लैप्स हो गया है तो आगे जो वहां कमी है उसकी पूर्ति के लिये वह क्या विचार रखते हैं ?

श्री बनारसीदास--जो पंचवर्षीय योजना बनायी गयी थी उसमें जिन-जिन चीजों का विस्तार या जिन नयी चीजों की स्थापना के लिये वह रुपया रखा गया था उसके लिये पूरा प्रयत्न किया जायगा कि उस कमी को शीघ्र ही पूरा किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह परिस्थिति क्या थी और क्या विशेष सुविधायें थीं, जिसकी वजह से रुपया खर्च नहीं हो सका ?

श्री बनारसीदास--जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थीं ऐस्टीमेट्स बनाने थे और मैटीरियल तथा आदमियों की आवश्यकता थी, उसमें देर हो गई और वह नहीं मिल पाये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार यह रुपया जो लैप्स हो गया है उसको सैकिंड फाइव ईयर प्लान में फिर से रेस्टोर करने का विचार करती है ?

श्री बनारसीदास--मैं उत्तर दे चुका हूं कि जिनका विस्तार करना है या जिनकी स्थापना करनी है और जो आइटम्स बाकी रह गये हैं, अवश्य उनको पूरा किया जायगा।

खटाना, डेरी मच्छा, मकोड़ा, जिला बुलन्दशहर में नलकूपों पर व्यय

*१०--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में सहकारिता के आधार पर बनाये जाने वाले ट्यूबवैल्स खटाना, डेरी मच्छा और मकोड़ा पर सरकार और सोसाइटी का अलग-अलग क्या-क्या व्यय हुआ है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--जिला बुलन्दशहर पर तीनों ट्यूबवैल्स पर सरकार और सोसाइटी का खर्चा इस प्रकार है--

नलकूप	सरकार का खर्च	सोसाइटी का खर्च	कुल खर्च
	रु०	रु०	रु०
१--खटाना ..	७,०१७	२,०००	९,०१७
२--डेरी मच्छा ..	१०,९५०	३,४००	१४,३५०
३--मकोड़ा ..	१७,०८९	२,९९४	२०,०८३

*११--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार बतायेगी कि यह तीनों कुएं इस समय किस दशा में हैं ?

श्री फूलसिंह—मकोड़ा तथा डेरी मच्छा के कुयें तो पूरे करके चालू हालत में क्रमशः जुलाई, १९५४ तथा अप्रैल, १९५५ में ही सोसाइटियों को सौंपे जा चुके हैं परन्तु विभिन्न कारणवश वे चल नहीं रहे हैं। खटाना नलकूप में इंजिन बैठाने तथा पाइप फिट करके ट्रायल का काम शेष है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मकोड़ा और मच्छा के कुयें जुलाई १९५४–५५ में तैयार कर के दिये गये तो कितने समय तक चले ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है मगर यह सूचना है कि वह कुयें चलते रहे और बाद में खराब हो गये।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह खटाना कुआं कितनी बार बनाया गया है और भविष्य में कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री फूलसिंह—खटाना वाला कुआं अभी बना नहीं है, बन रहा है और थोड़े दिनों में चालू हो जायगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कुआं चल कर बंद हो गये दुबारा कब तक चालू हो जायंगे ?

श्री फूलसिंह—इन कुंओं की पक्की नालियां नहीं बनी थीं इससे कुंओं में पानी घुस गया और कुंयें खराब हो गये। सोसायटी के पास पैसा नहीं है, अब सोसायटी को प्रबन्ध करना होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, ५५ में कुयें बनाकर चालू करके दिये गये और बन्द हो गये, तो अब उनके बनाने की जिम्मेदारी सोसाइटी की होगी या सरकार भी कुछ सहायता करेगी ?

श्री फूलसिंह—इस मामले को हमदर्दी से देखा जायगा और सम्भव होगा तो सरकार से सहायता दी जायगी।

सामुदायिक विकास योजना केन्द्र, बख्शी तालाब, पर व्यय

*१२—श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास योजना केन्द्र, बख्शी तालाब (लखनऊ) में सन् १९५४–५५ में कितना व्यय किन-किन मदों में किया गया ?

श्री फूलसिंह—इस ब्लाक में सन् १९५४–५५ में होने वाले व्यय की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५९ पर)

राष्ट्रीय विकास सेवा खण्ड, बख्शी तालाब के कार्य

*१३—श्री श्याममनोहर मिश्र—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास सेवा खंड, बख्शी तालाब के अन्तर्गत कितने गांव हैं तथा उनमें गत वर्ष कितना विकास का कार्य हुआ है ?

श्री फूलसिंह—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड बख्शी तालाब के अन्तर्गत १९२ गांव हैं। इस खंड में ३० सितम्बर, १९५५ तक हुए विकास कार्य का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६०–२६३ पर)

*१४—श्री श्याममनोहर मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विकास सेवा खंड में किसी ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने की योजना है अथवा नहीं ? यदि है, तो वह कब तक पूरी होगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है । आदर्श ग्राम बनाने का भार जनता पर ही है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिन गांवों के नाम लिये हैं उनमें उद्योग-धंधों के विकास के लिये भी कुछ कार्य हुआ है ?

श्री फूलसिंह—यह तो बड़े ब्योरे का प्रश्न है, माननीय सदस्य चाहेंगे तो बतला सकूंगा ।

कुटीर उद्योग विषयक ११ सूत्री योजना के अन्तर्गत कार्य में प्रगति

*१५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सदन द्वारा कुटीर-उद्योगों के सम्बन्ध में जो ११ सूत्री संकल्प पास हुआ था उस सम्बन्ध में अब तक क्या क्या कार्य हो चुका है और आगे क्या कार्य किया जायेगा ?

श्री बनारसीदास—कथित संकल्प की कुछ बातों पर उचित कार्यवाही की जा चुकी है और शेष बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी क्रमवार यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि उस प्रस्ताव के जो ११ सूत्र थे उनमें क्या क्या कार्य हो चुका है ?

श्री बनारसीदास—बिक्री कर से गृह-उद्योगों को अपवाद देने के लिये, छूट देने के लिये सरकार की ओर से आदेश दिये गये हैं । जो दरियां हैन्डलूम से बनती हैं और निवाड़, ऊनी कम्बल, नमदे और ऊनी कालीन जो कि भारतवर्ष से बाहर निर्यात किये जाते हैं, लकड़ी का सामान, हाथी दांत का सामान, संगमरमर का सामान, हाथ की बनी हुई कैंचियां, चाकू और मैथमेटिकल सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जो क्वालिटी मार्क होते हैं और चिकन का कपड़ा, इन सब को बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया है । दूसरे इलेक्ट्रिसिटी में काटेज इंडस्ट्रीज के लिये जो यूज की जाती है और उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको छोड़ने के संबंध में हमारे उद्योग विभाग के संचालक बिजली विभाग से सलाह मशविरा कर रहे हैं और इस संबंध में जल्दी ही निर्णय होने की आशा है । जहां तक बड़े उद्योग धंधों पर कर लागने का प्रश्न है यह प्रदेशीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आता है, इसको केन्द्रीय सरकार करती है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एक पैसा प्रति यूज की ड्यूटी मिल के कपड़े पर लगा रखी है और हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जिनको उससे सहायता दी जा रही है और ३८ लाख रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हैन्डलूम बोर्ड ने हमको स्वीकृत किया है । विशेष तौर पर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो योजनायें हैं, बनारस में सिल्क की योजना है इन के संबंध में बंबई में विचार किया जा रहा है । चौथे जो गृह-उद्योग के कार्यकर्त्ता हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें जहां पर कि उनको सस्ती दरों पर माल मिल सके । मिसाल के तौर पर अभी रुड़की में मैथमेटिकल और सर्वे इंस्ट्रूमेंटस के जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनको १ लाख १० हजार रुपया लगा कर संगठित किया गया है, सरकार की ओर से मदद की जा रही है । गांवों में जो टैनर्स हैं उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, जिनमें उनको मदद दी जाती है । हैंडीक्रैफ्ट्स की पांच मुख्य शाखायें यहांहैं जो मुख्यतया काटेज इंडस्ट्रीज की बिक्री का मुख्य माध्यम हैं, फिर लखनऊ स्टेशन पर भी एक शाखा खोली गई है । इसके अलावा गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट्स की एजेंसियां भी देश में हैं, अभी दिल्ली में एक शाखा खोली गई है और बंबई में कोआपरेटिव विभाग ने अपनी शाखा खोली है । इसके अतिरिक्त हमारे यहां एक एक्सपोर्ट डिवीजन कायम किया गया है जो हमारे प्रदेश से बनी हुई करीब ढाई लाख रुपये की चीजों का

बाहर निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां नये किस्म के डिजाइन्स के लिये एक डिजाइन्स डिवीजन कायम किया गया है जो तरह-तरह के नये डिजाइन्स का निर्माण करता है। एक्सपोर्ट डिवीजन का मार्केटिंग का सारा काम हम संगठित कर रहे हैं और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि बाहर के देशों में जो क्वालिटी का माल हो वही निर्यात किया जाय और इस सम्बन्ध में विशेष रूप से फर्रुखाबाद की छींट बाहरी देशों को जा रही है।

(७) इतनी योजनाओं को हम प्रोत्साहन देते हैं....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह बहुत लम्बी लिस्ट है। इसमें सबको दिलचस्पी नहीं है। आप कृपा कर इसकी नकल उनके पास भेज दीजियेगा।

श्री बनारसीदास—इसके बारे में कागज उनके पास भेज दिये जायंगे। किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया करीब-करीब सभी प्वाइंट्स पर सहायता करने की कोशिश की गयी।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि काटेज इंडस्ट्रीज का और दीगर इंडस्ट्रीज का जो क्षेत्र का विभाजन है चूंकि अब कारवे कमीशन की रिपोर्ट आउट हो गयी है तो इस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसीदास—माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विषय केन्द्रीय सरकार से संबन्धित है और कारवे रिपोर्ट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं दिया है।

*१६-१७—**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८—**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९-२०—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं-गढ़वाल सर्वे डिवीजन की पेय जल संम्बन्धी योजनायें

*२१—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि कुमाऊं गढ़वाल सर्वे डिवीजन द्वारा इस वर्ष कुछ पीने के पानी पहुंचाने के हेतु योजनायें भी संचालित की जाने वाली हैं? अगर हां, तो वे कौन कौन सी योजनायें हैं, जिन्हें संचालित किया जायेगा ?

श्री फूलसिंह—मांगी हुई सूचना एकत्र नहीं हो पाई है। सूचना प्राप्त होने पर बतलाई जायगी।

फैजाबाद जिले में कर्घा उद्योग में उन्नति

*२२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये सरकार ने १९५३-५४ तथा १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में अब तक क्या कार्य किये हैं?

श्री बनारसीदास—इस जिले में इस अवधि में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं—

(१) ४२ करघा कोआपरेटिव सोसाइटीज संगठित की गई हैं जिनमें ७ प्रोडक्शन सोसाइटीज हैं।
(२) दो रंगाई घर खोले गये हैं।
(३) तीन सेल्स डिपो खोले गये हैं।
(४) २,२३,३२१ रुपया ७ आना ६ पाई की आर्थिक सहायता दी गई।

नोट—(१) तारांकित प्रश्न २१ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछा।
(२) तारांकित प्रश्न २२-२४ श्री कल्याणचन्द मोहिले ने पूछे।

*२३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिले में कितने तथा कहां-कहां इससे सम्बन्धित विकास के लिये सरकारी केन्द्र अब तक खोले गये हैं ?

श्री बनारसीदास—इस जिले में निम्नलिखित स्थानों में प्रोडक्शन केन्द्र खोले गये हैं:—

१—जलालपुर
२—अकबरपुर
३—सक्रवाल
४—सिताहा
५—छज्जापुर
६—टांडा (दो केन्द्र)

रंगाई घर टांडा और जलालपुर में खोले गये हैं।
सेल्स डिपो टांडा, फैजाबाद और जलालपुर में खोले गये हैं।

सामूहिक विकास योजनाओं में बदलने वाले राष्ट्रीय प्रसार विकास खण्ड

*२४—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि १९५५ में कितने राष्ट्रीय प्रसार विकास खंड सामूहिक विकास योजनाओं में परिवर्तित किये जाने वाले हैं ?

श्री फूलसिंह—ऐसे कुल २८ ब्लाक हैं जिनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६४ पर)

बनारस वीविंग इन्स्टीट्यूट के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मुलाजमत

*२५—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बनारस वीविंग इन्स्टीट्यूट में सालाना कितना रुपया सरकार खर्च करती है ?

श्री बनारसीदास—लगभग ५७,७०० रुपया सालाना खर्च किया जाता है।

*२६—श्री लालबहादुरसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वीविंग इन्स्टीट्यूट बनारस में किस योग्यता के लड़के भर्ती किये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—इस संस्था में डिप्लोमा क्लास में हाई स्कूल या हाई स्कूल के बराबर कोई अन्य परीक्षा पास विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं।

आर्टीजन क्लास में भर्ती होने के लिये विद्यार्थी की योग्यता इतनी हो कि वह पढ़ लिख सके।

जूनियर आर्टीजन क्लास के लिये आर्टीजन क्लास पास अथवा इसके बराबर कोई परीक्षा पास होना आवश्यक है।

एडवांस आर्टीजन क्लास के लिये जूनियर आर्टीजन क्लास पास अथवा इसके बराबर कोई परीक्षा पास होना आवश्यक है।

*२७—श्री लालबहादुरसिंह—इन्स्टीट्यूट से पास होने पर क्या यह निश्चित है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जगहें दे दी जाती हैं ?

श्री बनारसीदास—सरकार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जगहें देने का वायदा नहीं करती पर अधिकतर विद्यार्थियों को जगहें मिल जाती हैं ।

श्री लालबहादुरसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि अब तक इन पिछले तीन सालों में कितने विद्यार्थी पास हुये और कितनों को जगह दी है ?

श्री बनारसीदास—यह तो लिस्ट बहुत लम्बी है लेकिन यह इन्स्टीट्यूशन काफी समय से कायम है । हर साल काफी विद्यार्थी पास होते हैं । यह पूरे फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं कि कितने पास हुये । इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बाद में, नोटिस आने के बाद, सूचना भेज दी जायगी ।

श्री लालबहादुरसिंह—श्रीमन्, मैं पिछले तीन साल के बारे में जानना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी पास हुये और कितनों को जगह दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो उन्होंने बतला दिया कि वह नोटिस चाहते हैं ।

*२८-२९—श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले की नियोजन समिति के कार्यों में शिथिलता

*३०—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती जिले की नियोजन समिति ने जनवरी, सन् १९५५ से जून, सन् १९५५ तक जिले भर के लिये तहसीलवार कुओं, भवनों, खडंजों तथा पुलियों के लिये अलग-अलग जो अनुदान स्वीकृत किया उसका कितना रुपया जनता को दिया जा चुका है ?

श्री फूलसिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६५-२६७ पर)

*३१—श्री राजाराम शर्मा—जो मंजूर शुदा रकम अभी नहीं दी गयी है उसका क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह—भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान धनराशि से संबंधित योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने और जिले में सीमेंट के अभाव के कारण मंजूर शुदा रकम नहीं दी जा सकी ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला प्लानिंग विभाग की असावधानी के कारण समय पर सहायता न मिलने की वजह से बहुत से खुदे कुयें और आधे बने कुयें गिर गये ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है । परन्तु यह सम्भव हो सकता है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या प्लानिंग कमेटी ने जो अनुदान उपरोक्त कार्य के लिये स्वीकृत किया और वह अनुदान अभी तक नहीं दिया गया तो क्या इसके लिये फिर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी या वही लागू हो जायगी ?

श्री फूलसिंह—वही लागू की जायगी ।

*३२-३३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद जिले के सरकारी अस्पताल

*३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में तथा नगर में कितने अस्पताल ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक हैं, जो सरकारी खर्च से चलाये जाते हैं ?

श्री बनारसीदास—इलाहाबाद जिले में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों की संख्या निम्नलिखित है:—

एलोपैथिक	१४ (५ चिकित्सालय नगर में तथा शेष ग्रामीण क्षेत्रों में)
आयुर्वेदिक तथा यूनानी ..	९ ।
होम्योपैथिक	कोई नहीं । ..

*३५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के आंख के सरकारी अस्पताल में आंख जांचने के पूरे औजार न होने से पूरे तरीके पर आंख की जांच नहीं हो पाती ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायता देकर इस कमी को पूरा करेगी ?

श्री बनारसीदास—सरकारी आंख के अस्पताल में साधारणतः जो औजार चाहिये वह मौजूद हैं। कुछ विशेष प्रकार के औजारों की आवश्यकता है और सरकार उनका प्रबंध कर रही है तथा कुछ औजार भेजे भी जा चुके हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अस्पताल चल रहे हैं उनमें से कितने स्त्रियों के हैं ?

श्री बनारसीदास—एक जनाना अस्पताल इलाहाबाद नगर में है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृत धन

*३६—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना सरकार ने प्लानिंग कमीशन के पास स्वीकृति हेतु भेजी थी उसकी कुल लागत क्या थी ?

श्री फूलसिंह—राज्य सरकार ने प्लानिंग को जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना भेजी थी, उसकी कुल लागत ६७४७५.३३ लाख रु० थी।

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि प्लानिंग कमीशन ने उक्त योजना को काट छांट कर कम कर दिया है ? अगर हां, तो कितना?

श्री फूलसिंह—हां। प्लानिंग कमीशन ने इस सम्बन्ध में, अभी तक केवल २६५००.०० लाख रु० की स्वीकृति दी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्लानिंग कमीशन ने जो हमारी स्कीम्स की काट छांट की है वह किस बेसिस पर की है ? कोई परसेंटेज काटा है या हमारी कोई स्कीम खत्म कर दी और उसके लिये रुपया नहीं दिया ?

श्री फूलसिंह—अभी इस योजना का अन्तिम रूप तो सामने नहीं आया पर शुरू उन्होंने ऐसे किया कि तमाम प्रान्तों की जो योजनायें बनी थीं उनको उन्होंने उस रेश्यो से खत्म कर दिया, जितना रुपया सरकार इन ५ सालों में दे सकती थी लेकिन अभी और योजनाओं पर विचार हो रहा है। उदाहरणार्थ उन्होंने यह किया कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनके लिये कुछ रुपया देंगे। एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिये २८ करोड़ रुपये का इस योजना में ब्योरा था लेकिन यह रकम बढ़ कर ४६ करोड़ के करीब हो जायगी। इसी तरह पानी पीने के कुवें, गृह निर्माण और पिछड़ी जातियों के लिये कुछ रुपये और मिलने की आशा है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३६–३७ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे।

*३८-३९—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ डिवीजन के लिये चुने गये ग्राम सेवकों में हरिजनों की संख्या

*४०—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—गत सितम्बर माह में लखनऊ में, लखनऊ डिवीजन के लिये जिन ग्राम सेवकों का चुनाव हुआ उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—१० ।

*४१—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ग्राम सेवकों के चुनाव के लिये कोई एडवर्टिजमेंट अखबारों में प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो उम्मीदवार की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । निम्नतम योग्यता हाई स्कूल (द्वितीय श्रेणी) थी ।

*४२-४३—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी जिले में मऊ विकास केन्द्र पर व्यय

*४४—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊ (झांसी) विकास केन्द्र के लिये सरकार की ओर से ३ वर्ष में कितना रुपया किस मद में दिया गया और कितना किस मद में व्यय हुआ है ?

श्री फूलसिंह—मोरानीपुर (झांसी) विकास केन्द्र के लिए ३ वर्ष में दिये गये रुपये का विवरण और व्यय के ब्योरे की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६७-२६८ पर)

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपया बतावेगी कि मऊ विकास व बघेरा-गढ़सराय की सड़क के लिये जो रुपया दिया गया वह सड़क बनी है या नहीं ?

श्री फूलसिंह—इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

*४५-४६—श्री गज्जूराम—[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में कूप निर्माणार्थ दिये गये अनुदान का दुरुपयोग

*४७—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला में प्लानिंग योजना के अन्तर्गत जो गत वर्ष के पहले कुयें बन गये हैं उनकी जांच करके सब्सिडी दे दी गई है ?

श्री फूलसिंह—गत वर्ष से पहले जो कुएं बन चुके हैं उनमें से ९२१ के लिए अनुदान (सब्सिडी) दी जा चुकी है ।

*४८—श्री राजवंशी—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से लोगों ने उपर्युक्त योजनान्तर्गत सीमेंट, लोहा, कोयला लेकर दूसरों के हाथ बेच दिया ?

श्री फूलसिंह—जिन लोगों ने वर्षान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का निर्माण नहीं कराया उन्हें नोटिस दी गई और उनसे दी गई निर्माण सामग्री का मूल्य तथा ५० फीसदी और वसूल किया जा रहा है ।

श्री राजवंशी—जो कुयें बने हुये हैं उनको कितनी सब्सिडी दी गई है ?

श्री फूलसिंह—यह इत्तिला तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन जिनको बनना है और जिनको सब्सिडी नहीं दी गई है उनकी संख्या लगभग १५० है।

श्री राजवंशी—कितने आदमी ऐसे हैं जिन्हें नोटिस दी गई है ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—कितने ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सामान लिया और कुंये नहीं तैयार किये ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूचना यहां मौजूद नहीं है।

*४९-५०—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर उर्सुला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल में नर्सों की कमी

*५१—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर उर्सुला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल में नर्सों की कमी है जिससे मौजूदा नर्सों को अधिक ड्यूटी देनी पड़ती है ?

श्री बनारसीदास—उर्सुला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल कानपुर में मौजूदा नर्सों की संख्या निम्नलिखित है—

श्रेणी	निर्धारित संख्या	नियुक्त संख्या
१—मैट्रन	१	१
२—सिस्टर और एक वार्ड मास्टर ..	१३	१२
३—स्टाफ नर्सें ..	२७	२२
४—विद्यार्थी नर्सें ..	८६	१९

प्रदेश के बहुत से राजकीय अस्पतालों में ट्रेंड नर्सों की अवश्य कमी है। कारण यह है कि अस्पतालों में जितनी जगहें हैं उतनी ट्रेंड नर्सें नहीं मिलती है जहां तक संभव है अधिक संख्या में नर्सें ट्रेनिंग में भेजी जाती हैं।

*५२—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इसी अधिक परिश्रम के कारण एक नर्स से भूल हो जाने के फलस्वरूप एक मरीज को गलत दवा देने के कारण प्राण गवांना पड़े ?

श्री बनारसीदास—इस मामले में पुलिस द्वारा जांच हो रही है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि नर्सों की कमी के कारण बाकी नर्सों पर अधिक बोझ होने की वजह से पिछले सप्ताह इस अस्पताल से एक बच्चा चोरी चला गया ?

श्री बनारसीदास—नर्सों की कमी है परन्तु बच्चा चोरी जाने की बात मुझे नहीं मालूम है। नर्सों की कमी के कारण और नर्सों पर अवश्य अधिक बोझ पड़ता है।

श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार उर्सुला अस्पताल में नर्सों की ट्रेनिंग जारी करने का पुनः प्रयास करेगी ?

श्री बनारसीदास—बतलाया गया है कि कुछ नर्सें ट्रेनिंग ले रही हैं।

आजमगढ़ जिले में शुगर, जूट तथा सूती मिलें खोलने की मांग

*५३—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ की नियोजन समिति तथा जिले के अन्य लोगों ने माननीय, मंत्री से जिले में शुगर नियोजन जूट तथा सूती मिल खोलने के लिये प्रार्थना की थी ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*५४—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा सकी है ?

श्री बनारसीदास—सरकार ने भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे स्थानों की सूची भेजी है जो चीनी मिल लगाने के लिये उपयुक्त हैं और उस सूची में इन्दारा का भी नाम है। इसके अतिरिक्त अनुपयुक्त स्थानों पर स्थित चीनी मिलों को हटाकर दूसरी उपयुक्त जगह लगाने के संबंध में एक प्रादेशिक निरीक्षण भी कराया जा रहा है जिसमें इन्दारा का पूरा ध्यान रक्खा जायगा।

सूती और जूट मिलों के लगाने के लिये आजमगढ़ उपयुक्त जगह नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—आजमगढ़ में जूट मिल उपयुक्त न मानने के क्या कारण हैं ? इसका आधार क्या है ?

श्री बनारसीदास—हमने अपने डाइरेक्टर और विशेषज्ञों से मालूम किया। हमारे यहां पहले से ही ३ जूट मिलें हैं, एक गोरखपुर में और २ कानपुर में। हमारे यहां जूट ऐसी क्वालिटी का नहीं है जिसके माल की मांग अधिक हो। इसलिये उपयुक्त नहीं समझा गया। आजमगढ़ में न कपास पैदा होती है और न वहां का टैम्परेचर और दूसरी बातें जो सूती मिल के लिये जरूरी हैं वहां पाई जाती हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—आजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग में विशेषकर फूलपुर और सदर तहसील में अधिक जूट पैदा होता है। वहां क्यों नहीं मिल हो सकती, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—यह सही है कि आजमगढ़ जिले में भी जूट पैदा होता है। लेकिन ३ मिलें हमारे यहां पहले ही काम कर रही हैं। जिनको जूट की आवश्यकता है और आजमगढ़ का जूट अच्छी क्वालिटी का नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस व्यक्ति ने यह जांच की कि आजमगढ़ का जूट अच्छा नहीं है ?

श्री बनारसीदास—यह तो विभाग का काम होता है। उसके संचालक ने विशषज्ञों से सलाह मश्विरा किया और उनकी सलाह के मुताबिक यह निश्चय किया गया कि आजमगढ़ में जूट मिल नहीं कायम की जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—जो शुगर मिल खोलने को केंद्रीय सरकार कहती है वह कब तक योजना कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री बनारसीदास—अभी वहां से कोई उत्तर नहीं आया है और उत्तर आने के बाद भी यह मिल्स प्राइवेट सेक्टर में कायम होंगे। जो उद्योगपति चाहेंगे कायम कर सकेंगे। इसलिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वहां कब कायम होंगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की फिर से जांच कराने का प्रयत्न करेंगे कि जूट जो वहां पैदा होता है वह किस क्वालिटी का है ?

श्री बनारसीदास---यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि वहां का जूट अच्छी क्वालिटी का है तो उसकी फिर से जांच करा ली जायगी। जहां तक सरकार के पास इत्तला है वह यह है कि वहां पर जूट मिल कायम होने की गुंजाइश नहीं है।

*५५-५७---श्री रामप्रसादसिंह (जिला गोरखपुर)---[२१ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-६०---श्री रामेश्वरलाल---[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५१-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६१-६३---श्री रामसुन्दर पांडेय---[७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

हजरतगंज चिकित्सालय में कम्पाउन्डरों की कमी

*६४---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि चिकित्सालय हजरतगंज, लखनऊ में इस समय कुल कितने डाक्टर ह ?

श्री बनारसीदास---तीन। दो स्थायी तथा एक रिजर्व ड्यूटी पर।

*६५---श्री महीलाल---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चिकित्सालय में कुल कितने कम्पाउन्डर हैं ?

श्री बनारसीदास---चार।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी हजरतगंज के चिकित्सालय में डाक्टरों की संख्या को देखते हुये कम्पाउन्डरों की संख्या को कम समझते हैं ?

श्री बनारसीदास---कम्पाउन्डरों की नियुक्ति वहां की आवश्यकतानुसार ही होती है। वहां पर दो मुस्तकिल डाक्टर हैं। एक पी० एम० एस० (प्रथम) और दूसरे, पी० एम० एस० (द्वितीय) के। एक डाक्टर रिजर्व में रहता है। डाक्टरों की संख्या को देखते हुये कम्पाउन्डरों की संख्या कम नहीं है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि साधारणतया एक डाक्टर के पीछे तीन कम्पाउन्डर रक्खे जाते हैं ?

श्री बनारसीदास---इस प्रकार का कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं है। प्रत्येक अस्पताल में आवश्यकतानुसार डायरेक्टर साहब कम्पाउन्डर्स को नियुक्त करते हैं। हजरतगंज डिस्पेंसरी में भी उसी के अनुसार रखे गये होंगे।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अनेक बार सरकार के पास मांग आयी है कि वहां कम्पाउन्डर बढ़ा दिये जायं क्योंकि वहां आने वालों को असुविधा होती है ?

श्री बनारसीदास---इस प्रकार की मांग के बारे में तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन यदि कम्पाउन्डरों की कमी के करण वहां लोगों को असुविधा होती है तो इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायगा और अधिक कम्पाउन्डरों की जरूरत होगी तो अधिक रख लिये जायेंगे।

आजमगढ़ जिले में मादक वस्तुओं की दुकानों से आय

*६६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मादक-कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कहां-कहां ताड़ी तथा शराब, गांजा आदि की दूकानें हैं ?

श्री गिरधारीलाल---आवश्यक सूचना नत्थी 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २६९-२७२ पर)

*६७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मादक-कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में अलग-अलग आजमगढ़ जिले की मादक वस्तुओं की दुकानों से कितनी आय हुई ?

श्री गिरधारीलाल--आवश्यक सूचना नत्थी 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २७३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--नत्थी (ख) में नम्बर (१) और नम्बर (५) के संबंध में, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देशी शराब, विदेशी शराब और अफीम की बिक्री से ५३-५४ के मुकाबिले में ५४-५५ में अधिक आय क्यों हुई ?

श्री गिरधारीलाल--खर्च ज्यादा हुआ होगा इसलिये आय भी ज्यादा हो गयी।

केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कुटीर उद्योग संबंधी योजनायें

*६८--श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार दिनांक २४-८-५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ४५ के उत्तर में दी गई नत्थी १ में वर्णित योजनाओं के संबंध में यह बतायेगी कि यह नई योजनायें केंद्रीय सरकार के अभी विचाराधीन हैं अथवा नामंजूर कर दी गई हैं ?

श्री बनारसीदास--अभी विचाराधीन हैं।

*६९--श्री तेजप्रतापसिंह--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नत्थी १ में नं० ७, नं० १२, १५ व १६ में दी गई योजनाओं को किस प्रकार और कहां कार्यान्वित किया जायेगा ? क्या इन योजनाओं का विस्तृत विवरण वह सदस्य की मेज पर रखेगी ?

श्री बनारसीदास--वांछित सूचना संलग्न नत्थी १ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २७४ पर)

आगरे में फुटवियर उद्योग विकासार्थ कार्य

*७०--श्री तेजप्रतापसिंह--क्या सरकार दिनांक २४-८-५५ के तारांकित प्रश्न सं० ४६ के उत्तर में दी नई नत्थी २ में नं० ४ पर आगरा फुटवियर उद्योग के विकास के लिये जो केंद्रीय सरकार से सहायता मिली है उस योजना की रूपरेखा तथा उस योजना को चालू करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उन्हें बतायेगी ?

श्री बनारसीदास--वांछित सूचना संलग्न नत्थी २ में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २७५ पर)

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नयी योजनायें केंद्रीय सरकार के पास भेजी थीं, वह कब भेजी थीं और वे कब से विचाराधीन पड़ी हुई हैं ?

श्री बनारसीदास--वह तो इसी वर्ष भेजी थीं, बाकी जो प्रश्न ६९ और ७० है उसका जवाब है, कि वे तो मंजूर हो गयी हैं और बाकी जो योजनायें भेजी थीं, अभी तक केंद्रीय सरकार का उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री तेजप्रतापसिंह--नत्थी २ के पैराग्राफ प्रथम में कमर्शियल कारपोरेशन के लिये ४ लाख रुपया रखा गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार से और किन-किन बातों पर वह खर्च होगा ?

श्री बनारसीदास--वहां पर प्रोडक्शन सोसाइटी बनायी जायगी, जिसमें कि तमाम जूते बनाने वाले उसके अन्दर शामिल होंगे और उसमें नये किस्म की मशीन होगी जिससे एफिसियेंसी काम को बढ़ सकेगी और उनको रा मैटीरियल सस्ते दामों पर मिलेगा तथा इसके अलावा रिटेल की दूकानें भी वहां आगरे के अन्दर कायम की जायेंगी। इन सब बातों पर यह रुपया व्यय किया जायगा।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इसको साफ करने की कोशिश करेंगे कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी फुट वियर उद्योग के लिये बनेगी उसका वर्किंग कैपिटल क्या होगा और सरकार अनुदान के रूप में जो रुपया देगी वह क्या उसी ४ लाख रुपये में से देगी ?

श्री बनारसीदास---जी नहीं, कुल रुपया तो देने के लिये ५ लाख है। ५ लाख में से ४ लाख रुपये तो कर्माशियल कारपोरेशन के लिये हैं, और एक लाख रुपये काटेज वर्कर्स को ऋण की शक्ल में दिया जायगा। इसके अलावा ७०,१३७ रु० की ग्रांट दी गयी होगी और वह रुपया वहां के इस्टेबलिशमेंट पर और सुपरविजन वगैरह के लिये जो दूसरे व्यय सरकार की ओर से होंगे उन पर खर्च किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास भेजी जाती है, क्या वह कागज के ऊपर ही स्कीम वहां भेजी जाती है या उनको प्रेस करने के लिये वह अपने किसी अफसर को भी देहली भेजती है ?

श्री बनारसीदास--- जी हां, केवल कागज पर ही स्कीम नहीं भेजी जाती बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के बहुत से बोर्ड्स है, जैसे हैंडलूम्स बोर्ड, स्माल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, काटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इसके अलावा और भी बहुत से बोर्ड हैं जहां हमारे डाइरेक्टर या उद्योग विभाग के दूसरे कर्मचारी जाते हैं और जो विशेष स्कीम होती है, उसको स्वीकार कराने के लिये जाते हैं, तथा उसके लिये विशेष रूप से व्यक्तिगत प्रयत्न भी किया जाता है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी फुट वियर के लिये आगरा में बनेगी वह प्रोडक्शन के लिये होगी या मार्केटिंग के लिये होगी ?

श्री बनारसीदास---प्रोडक्शन के लिये होगी और आगरे के अन्दर ४ रिटेल की दूकानें भी उसकी तरफ से कायम की जायेंगी।

रामपुर जिले में अवैध मादक वस्तुओं का पकड़ा जाना

*७१---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले में १६ अगस्त, १९५४ से १५ अगस्त, १९५५ तक शराब, अफीम तथा अन्य नशीली वस्तुओं के कितने अवैध मामले पकड़े गये ?

श्री गिरधारीलाल---निम्नलिखित मामले पकड़े गये:--

शराब ..	..	..	१४७
अफीम ..	..	..	३४
गांजा, भांग, चरस	..	..	१५

*७२—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामलों में क्या-क्या और कितनी-कितनी मादक वस्तुयें पकड़ी गईं ?

श्री गिरधारीलाल—उक्त मामलों में निम्नलिखित वस्तुएं पकड़ी गई :—

शराब खींचने के भबके	..		४१
कच्ची शराब	..	..	९५ गैलन
गांजा	..	..	५७ तोला
अफीम	..	..	१ मन १५ सेर २०॥ तोला
चरस	..	..	६॥ तोला

*७३—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त में से कितने मामलों का न्यायालय में चालान हुआ तथा कितनों में अपराधियों को दण्डित कराने में सफलता प्राप्त हुई ?

श्री गिरधारीलाल—१८९ मामलों का चालान किया गया तथा इसमें से ९८ मामलों में सजा हुई ।

बदायूं जिले में सरकारी सहायता से निर्मित कूप

*७४—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बदायूं जिले में पिछले ३ वर्षों में कितने कुयें सरकारी सब्सिडी की सहायता देकर बनवाये गये हैं और उसमें से कितनों को कम्पलीशन सार्टिफिकेट और सब्सिडी दी जा चुकी है ?

श्री फूलसिंह—१८२ कुएं बनवाये गये हैं और १५० को कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिया जा चुका है ।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में कितने ऐसे कुवें हैं जिनको सब्सिडी देना स्वीकार हुआ और कम्पलीशन सर्टिफिकेट्स भी दिये जा चुके हैं लेकिन उनको कोई सब्सिडी नहीं दी गयी है ?

श्री फूलसिंह—मेरे खयाल में १८२ में १५० को दी जा चुकी है, बाकी ३२ हैं ।

एन० ई० एस० ब्लाक अवागढ़, जिला एटा के लिए अनुदान

*७५—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन० ई० एस० ब्लाक अवागढ़, जिला एटा को ५३–५४ व ५४–५५ में कितनी धनराशि उसके संचालन हेतु दी गई ?

श्री फूलसिंह—यह ब्लाक २६, जनवरी १९५५ को खुला था। इसलिये १९५३–५४ में धनराशि दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। १९५४–५५ में दी गई धनराशि की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २७६ पर)

*७६—श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च किया गया ?

श्री फूलसिंह—इसकी सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २७७ पर)

श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रिकरिंग और नान-रिकरिंग ग्रांट जो दी गई है वह किस मद में व्यय की गई ?

श्री फूलसिंह---यह तो प्रश्न में पूछा नहीं गया था, दोबारा सवाल किया जायगा तो बताया जायगा ।

सीतापुर जिले में विकास कार्य के लिये प्लानिंग आफिसर को दिया गया धन

*७७---**श्री बशीर अहमद हकीम**---क्या सरकार बतायेगी कि सीतापुर जिला प्लानिंग आफिसर को विकास कार्य में सन् १९५४-५५ में कितनी रकम किस-किस मद में दी गई थी ?

*७८---उपर्युक्त रकम में कितनी व्यय हुई और कितनी रह गई ?

श्री फूलसिंह---मांगी हुई सूचना का ब्योरा माननीय सदस्य की मेज पर रक्खा है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २७८ पर)

हरगांव तथा बेहटा, जिला सीतापुर, राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक पर व्यय

*७९---**श्री बशीर अहमद हकीम**---हरगांव तथा बेहटा, जिला सीतापुर राष्ट्रीय प्रसार ब्लाक पर कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना शेष है ?

श्री फूलसिंह---हरगांव ब्लाक में १,२७,६३० रु० खर्च हो चुका और २२,३७० रु० बाकी है ।

बेहटा ब्लाक में ३२,५०० रु० खर्च हुआ और २७,५०० रु० बाकी है ।

श्री बशीर अहमद हकीम---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जब मदों के लिए रुपया दिया जाता है तो क्या उसके लिए रिपोर्ट जिलों से मांगी जाती है या अन्दाजे से दिया जाता है ?

श्री फूलसिंह---यहां से तो कर्ज के लिए अलग और अनुदानों के लिए अलग से रुपया दिया जाता है और जिले की जो कमेटियां हैं वह उसको आवश्यकतानुसार बांट देती हैं ।

श्री बशीर अहमद हकीम---जब यह रुपया आवश्यकतानुसार दिया जाता है तो वह खर्च क्यों नहीं होता है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री फूलसिंह---खर्च न होने के कारण मुखतलिफ हो सकते हैं । यदि माननीय सदस्य बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही या गलती से ऐसा हुआ है तो उसकी देख भाल की जायगी ।

मुजफ्फरनगर जिले में नलकूप निर्माणार्थ सहयोग समितियों द्वारा एकत्रित धन की वापसी

*८०---**श्री बलवन्तसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर म कोआपरेटिव सोसाइटी (१) भोकरहेड़ी, (२) अमुपुरा, (३) वेगरजपुर, (४) गादला, (५) जसोई, (६) कान्दीपुर, (७) खाईखेड़ी, (८) कुटवा, (९) भोगपुर, (१०) नरा, (११) पंडौर', (१२) तकावी के कितने-कितने रुपये ट्यूबेल बनवाने के लिये कब-कब जमा हुये और यह ट्यूबेल नहीं बनवाये ?

श्री फूलसिंह—इन सहकारी समितियों की रुपया जमा करने की तिथि धनराशि संलग्न तालिका में दी हुई हैं। मोकरहेड़ी के नलकूप का अनुमानित व्यय लगभग २५,००० रु० होता था क्योंकि पानी की सतह बहुत गहराई पर थी। समिति इतना व्यय करने में असमर्थ थी, अतः उन्होंने नलकूप बनाने का विचार छोड़ दिया। अन्य समितियों ने भी स्वयं नलकूप बनाने का विचार छोड़ दिया।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २७६ पर)

*८१—श्री बलवन्तसिंह—क्या यह सही है कि यह रुपया उपरोक्त सोसाइटी के बार-बार मांगने पर भी वापस नहीं किया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं। ५,६९२ रु० ६ आने ६ पाई तो पूर्व ही सम्बन्धित समितियों को वापस किये जा चुके हैं तथा शेष धनराशि भी जिला नियोजन अधिकारी के पास सम्बन्धित समितियों को वापस करने के लिये अब भेज दी गई है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह रुपया दो साल तक सरकार ने क्यों अपने पास रखा ?

श्री फूलसिंह—ऐसा मालूम होता है कि कुछ सोसाइटियों का कुछ रुपया बकाया था और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने चाहा कि इसी तरह से वह रुपया वसूल हो जाय।

श्री बवलन्तसिंह—क्या सरकार इस रुपए पर इन कोआपरेटिव सोसाइटियों को सूद देने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—यदि सूद का प्रश्न उठेगा तो बहुत सी सोसाइटियां ऐसी हैं जिन्होंने रुपया अदा नहीं किया है, तो उस में तो और दिक्कत पैदा होगी।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिन सोसाइटियों ने सरकार को अपने हिस्से का रुपया नहीं दिया, क्या वह सोसाइटीज इन सोसाइटियों से अलग हैं ?

श्री फूलसिंह—जी हां, अलग हैं लेकिन प्रश्न सब के लिए एक ही होगा।

श्री रामदास आर्य—क्या यह सही है कि सोसाइटियों ने इस कारण से कुआं बनाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि सरकार ने उन्हें कोई सहायता नहीं पहुंचाई ?

श्री फूलसिंह—सरकारी सहायता तो निश्चित ही है, हर सरकारी ट्यूबवेल के लिए दस हजार की तकावी दी जाती है और बाद में कुआँ बनने पर दस हजार में से ५ हजार अनुदान में परिणत हो जाता है।

उत्तर प्रदेश शुगर केन रूल्स, १९५४ के रूल नम्बर ४० (–डी) का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी

*८२—श्री महीलाल—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में ऐसी कितनी शुगर मिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश शुगर केन रूल्स १९५४ ई० के रूल नं० ४० (–डी) का पालन नहीं किया है ?

श्री फूलसिंह—दस या बारह मिलों को छोड़ कर प्रायः अन्य मिलों ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम १९५४ के नियम ४० (डी) का पालन सन्तोषजनक रुप में नहीं किया।

*८३—श्री महीलाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी शुगर मिल्स के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री फूलसिंह—गन्ना निरीक्षकों द्वारा ऐसी मिलों को चेतावनी दे दी गयी है और कुछ मिलों के विरुद्ध नियम की अवहेलना के लिए कानूनी कार्यवाही भी की गयी है। केन कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में सरकारी गन्ना निरीक्षकों, जिलाधीशों तथा जिला गन्ना अधिकारियों को आगामी सीजन में इस विषय पर विशेष ध्यान देने के लिये लिख दिया है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह चेतावनी देने की कार्यवाही उन मिलों के खिलाफ जिन्होंने नियम ४०-(डी) का पालन नहीं किया है, कितने वर्षों से होती आ रही है ?

श्री फूलसिंह—जिस नियम का हवाला दिया गया है यह तो दिसम्बर सन् ५४ में लागू हुआ है तो उससे पहले इस नियम के पालन करने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री महीलाल—उत्तर में बताया गया है कि अवहेलना के लिये कानूनी कार्यवाहियां भी की गई हैं तो ऐसी कितनी मिलें हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाहियां की जा चुकी हैं ?

श्री फूलसिंह—१९ मिलें।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शेष मिलों के खिलाफ जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया है अब तक क्यों कानूनी कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री फूलसिंह—जैसा मैंने अभी निवेदन किया था इतना समय नहीं हुआ इस नियम को लागू हुये कि सब मिलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय। साथ ही कुछ कठिनाइयां भी थीं और यदि सीजन में यह नियम ठीक तरह से लागू न किया जा सका तो यह सोचा जा रहा है कि इस नियम में परिवर्तन कर दिया जाय और सरकार वह सब बातें पूरी कर दे और रुपया मिलों से वसूल कर ले।

कानपुर जिले की घाटमपुर और पुखरायां तहसीलों में निर्मित नलकूपों पर व्यय

*८४—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला प्लानिंग कमेटी, कानपुर के निश्चयानुसार घाटमपुर और पुखरायां में जो ट्यूबवेल बनाना निश्चय हुआ था उसमें कितने ट्यूबवेल सफल हुये तथा कितना समय और धनराशि खर्च हुई ?

श्री फूलसिंह—तहसील घाटमपुर व पुखरायां में तीन नलकूप बनाने का निश्चय किया गया था। उनमें से केवल एक नलकूप का निर्माणकार्य आरम्भ किया गया है जिसमें अभी तक साढ़े आठ मास का समय लग चुका है और ३१ अगस्त, १९५५ तक २,४१३ रु० व्यय हो चुके हैं।

*८५—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त स्थानों के ट्यूबवेल निर्माण करने वाले इंजीनियर और उनके सहायकों के वेतन और भत्ते में अभी तक कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री फूलसिंह—कृषि इंजीनियर, सहायक कृषि इंजीनियर व मेकेनिकल इन्सपेक्टर का वेतन व भत्ता नल कूप निर्माण करने वालों के खर्चे में शामिल नहीं किया जाता है। केवल ट्यूबवेल टेक्नीशियन के वेतन व भत्तों का खर्चा ट्यूबवेल के खर्चे में शामिल होता है। उपरोक्त नलकूप के निर्माण करने वालों के वेतन व भत्तों में अभी तक क्रमशः ६८६ रु० व १७५ रु० व्यय हुये हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन नलकूपों के निर्माण की गति धीमी क्यों है और क्या यह भी सही है कि इस धीमी प्रगति के कारण व्यय अधिक हो जाने की संभावना है ?

श्री फूलसिंह--इन नलकूपों की २१८ फीट गहरी बोरिंग हो चुकी है। ऐसा मालूम होता है कि हैंड बोरिंग से इसकी बोरिंग हो रही है और उसका स्ट्रेटा नीचे सख्त आ गया है। अब दूसरे तरीके की बोरिंग्ज मंगाई जा रही हैं और उससे भी काम न चला तो फिर बोरिंग मशीन से यह बोरिंग की जायगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार इस नलकूप को रोटरी से खुदवाने का प्रबन्ध करेगी ताकि ठीक से कुआं बन सके ?

श्री फूलसिंह--आवश्यकता पड़ने पर जरूर किया जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिस नलकूप में अब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ उसके क्या कारण हैं और क्या दिक्कतें हैं ?

श्री फूलसिंह--यह तो शायद अच्छा ही है कि पहले एक नलकूप को लगा कर देख लें। अगर सफल न हुआ तो बाकी नलकूपों पर रुपया खराब न जाय।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि घाटमपुर में अनुभव के तौर पर जो नलकूप बनाया जाने वाला था उसमें वित्तीय वर्ष में हाथ लगा दिया जायगा ?

श्री फूलसिंह--इस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

महाराजगंज, जिला रायबरेली में राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र खोलने का विचार

१--**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र वहां और कब तक खुलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस ब्लाक को जनवरी, १९५६ में महाराजगंज में खोलने का विचार है।

उन्नाव जिले में करघा उद्योग केन्द्र

२--**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में करघा उद्योग का कोई केन्द्र खोला गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

३--**श्री देवदत्त मिश्र**--यदि हां, तो कहां और कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उन्नाव और बांगर मऊ में लगभग दो वर्ष पहले दो बुनाई केन्द्र खोले गये। उन्नाव में अप्रैल, १९५५ में एक सेल्स डिपो खोला गया।

बेला, जिला इटावा के सरकारी अस्पताल की इमारत

४--**श्री गजेन्द्र सिंह** (जिला इटावा)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेला (इटावा) के सरकारी अस्पताल के लिये सरकारी इमारत है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं है ।

गोंडा जिले के उत्तर राप्ती इलाके में घरेलू उद्योग-धंधों के विकास केन्द्रों के विकास की आवश्यकता

५--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला के उत्तर राप्ती भाग में कौन-कौन से घरेलू उद्योग-धंधे वहां के विकास के लिये खोलने का विचार सरकार रखती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय कोई उद्योग खोलने का विचार नहीं है ।

जौनपुर में बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस वसूली विषयक आन्दोलन के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं एक श्री राजनारायण जी का है और दूसरा श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने दिया है । और दोनों का विषय जौनपुर में जो बाढ़-पीड़ित छात्रों से फीस की वसूली करने की नीति के सम्बन्ध में वहां पर आन्दोलन चला, उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही स्थानीय शासन वर्ग ने की, उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके ऊपर विचार करने के लिए सदन काम स्थगित करता है, इस सम्बन्ध में है ।

इसमें राज नारायण जी ने मेरे पास कुछ परचे भेजे हैं जो छपे हुए हैं, कुछ बुलेटिन्स वगैरह हैं, उनका मैं अध्ययन नहीं कर सका हूं ।

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिन से यह सम्बन्धित विषय है, और पुलिस शासन भी उनके हाथ में है, वे आज यहां मौजूद नहीं हैं । उनके पास में यह कार्यवाही भेज भी नहीं सका हूं । ऐसी हालत में इसको मैं कल लूंगा । उनके पास भी भेज दूं और मैं भी पढ़ सकूं, उसके पश्चात् ही इस विषय के ऊपर निर्णय करूंगा । आज मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि बिना पढ़े हुए इसके ऊपर कोई फैसला दे दूं ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं महज सूचना जानना चाहता हूं अभी कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना आयी है कि जो लोग गिरफ्तार करके जेल में रखे गये थे वह आज तक छूट गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में कोई खबर है कि वह छूट गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैंने, जनाब, अर्ज करना नहीं चाहा, इसलिए कि आपने कल के लिए इसको मुल्तवी कर दिया । मुझको मालूम नहीं है कि कोई आदमी छूटा है या नहीं । लेकिन यह मालूम है कि इन आदमियों के खिलाफ १०७ का मुकदमा अदालत में पहुंच चुका है ।

श्री अध्यक्ष---यह बात तो कल होगी । आप उन लोगों के बारे में बता सकते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--नहीं मालूम है ।

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २६ सितम्बर, १९५५, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १५ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५, का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया है ।

राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब नेता सदन द्वारा राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो प्रस्तुत प्रस्ताव है उसके ऊपर विवाद जारी रहेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, पंचशिला के निर्माता ने एक मधुमक्खी के छत्ते पर यह कमीशन बिठा कर कंकड़ फेंक रखा है।

कल हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह सही कहा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो उस पर धीरजपूर्वक विचार करके शंका का समाधान और मतभेद दूर कर लेना लाभप्रद सिद्ध होगा। हमारे मंत्रिमंडल के एक दूसरे मंत्री महोदय ने यह ठीक कहा था कि जहां तक विभाजन का प्रश्न है वह जनता के लिये, उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं जितना कि नेताओं के लिये है। किन्तु इसक साथ सहमत होते हुए भी मैं, जहां तक हमारे मित्र श्रीचन्द्र जी का प्रश्न है, यह मानने को तैयार नहीं हूं कि श्रीचन्द्र जी किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के विभाजन का सुझाव लाये हैं। प्रश्न जो भी हो और श्रीचन्द्र जी का उपाय सही हो या गलत, किन्तु वास्तव में हमारे सामने जो बात आती है वह यह कि पश्चिमी जिले जिनके मुखिया इस सम्बन्ध में श्रीचन्द्र जी हैं वहां कुछ ऐसी भावना फैली हुई है, असंतोष की भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माननीय श्रीचन्द्र जी का विचार यह था और यह है कि सम्भवतः प्रदेश के विभाजन से जो असन्तोष फैला हुआ है वह दूर हो सकता है। यह विधि या उपाय सही है या गलत, यह एक दूसरी बात है और अध्यक्ष महोदय, मैं यहां अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के विभाजन के विरुद्ध हूं। किन्तु साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि जिन कारणों से यह आवाज उठी है जो फोड़ा इस समय केवल इस प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, जो रोग और जो फोड़े हैं उनको सम्भवतः कुछ समय के लिए मरहम पट्टी करके कुछ आराम दिया जा सकता है किन्तु जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन फोड़ों को एक बार हमेशा के लिए दूर करना भी हमारा कर्त्तव्य है और दूर करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आया यह मांगें, विभाजन की मांगें चारों ओर से क्यों आ रही हैं। हमें विशेषकर उत्तर प्रदेश के ही सम्बन्ध में अपन भाषणों को सीमित रखना चाहिए और जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है हमारा मुख्यतः श्री पणिक्कर जी के नोट से ही अधिक सम्बन्ध है। जहां तक कि श्री पणिक्कर जी के नोट का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, उसके सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय उतना ही उचित है। यदि श्री पणिक्कर का नोट कुछ भी है तो भाषा के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, किन्तु इन चाणक्य मुनि न एक बहुत ही मिस्चीवश नोट उस कमीशन की रिपोर्ट में रखा है, केवल मात्र मिस्चीवश ही नहीं वह नोट एक परवर्स भावना प्रकट करता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सब निवासियों को एक किस्म से प्रोवोकेशन दे रहा है। मैं हर एक ऐडजेक्टिव को क्वालीफाई करूंगा। एक तरफ तो मित्र श्रीचन्द्र जी का जो सुझाव था उसको उन्होंने ठुकरा दिया है किन्तु साथ ही साथ ताकि श्रीचन्द्र जी उत्साह न छोड़ें उनके लिए एक सुझाव भी दे दिया है कि वह हिम्मत न हारें और उनका जो विचार है उसको साथ ही साथ वह बढ़ाते रहें। यह केवल मात्र एक मिस्चीव करने का तरीका हुआ। जो मुख्य डिमांड थी श्री श्रीचन्द्र जी की उसको तो वह एकदम ठुकरा गये हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि यदि किसी भी रूप में विभाजन हो तो मैं समझता हूं कि श्री श्रीचन्द्र जी का जो सुझाव था वह श्री पणिक्कर जी के सुझाव से कहीं बेहतर है। मैं पणिक्कर जी के नोट को परवर्स इसलिए कहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारे प्रदेश के राज्य शासन की गलतियां निकाल कर वह इससे यह मतलब निकालते हैं कि यह गलतियां अगर दूर करनी हैं। तो प्रदेश का विभाजन किया जाय। यह तो केवल उनका अनुमान है

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

और यदि उनका अनुमान यह है कि प्रदेश को कम करके और छोटा करके यह गलतियां और खामियां दूर हो सकती हैं तो सम्भवतः दूसरा अनुमान भी सही हो सकता है कि प्रदेश को और बड़ा करके खामियां दूर की जायं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जब उस समिति के किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में कुछ कहें तो भाषा अगर थोड़ी सी अच्छी रहे तो ज्यादा अच्छा हो और दूसरी बात यह कि अगर उनके किसी मत के विरुद्ध कुछ कहना है तो उन्होंने क्या लिखा है वह भाग भी थोड़ा सा पढ़ दिया जाय नहीं तो ऐसा होगा कि हवा की सी बात होगी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, समय जरा कम था, इसलिए

श्री अध्यक्ष--तो यह थोड़ा-सा उसका खुलासा ही आप बता देते।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--तो जहां तक अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि वह प्रदेश के विभाजन का जो प्रश्न है तो श्री श्रीचन्द्र जी का जो पहले वाला सुझाव था वह और जो अब श्री पणिक्कर का सुझाव है इनमें बहुत अन्तर है और वर्तमान सुझाव को मैं ऐसा समझता हूं कि श्री श्रीचन्द्र जी उसको पूर्णतः अपने हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। डिसेंटिंग नोट के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है और होगी भी और अध्यक्ष महोदय, इस समय उस नोट पर अधिक न कहकर मैं इस सदन के सदस्यों का और आपका और मंत्रीगण का ध्यान उस दूसरे प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं जिस प्रश्न के कारण विभाजन की मांगें चारों ओर फैली जा रही हैं। यह तो स्पष्ट है कि किन्हीं कारणों से हमारे पश्चिमी जिलों के भाई असन्तुष्ट हैं। यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन भाइयों की निगाह, पूर्वी जिलों में जो प्रगति के कार्य, उन्नति के कार्य किये जा रहे हैं, उन कार्यों पर एक प्रकार की डाह की निगाह पड़ रही है। मैं यदि प्रगति के कार्य की तुलना म्युनिसिपैलिटी की सड़क धोने वाली वाटर लारीज से करूं तो मैं समझता हूं वह एक अनुचित तुलना नहीं होगी। पानी वाली लारी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर गयी। पहले पश्चिम में पानी सींचा और वहां जो कुछ भी हो सका, पानी दिया कुछ छींटे उत्तर और दक्षिण की ओर पड़े। शनैः-शनैः उसकी प्रगति पश्चिम से पूरब की ओर हो रही है। अब इस समय वह पूर्वी जिलों में फंसी हुई है, बाढ़ के कारण या और किन्हीं कारणों से। उसका अब पश्चिम की ओर दोबारा लौटना कुछ दूर भविष्य में ही होगा। इसको निगाह में रखते हुए और सम्भवतः इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अब भविष्य में जो कुछ भी कार्य होगा वह केवल आबादी के लिहाज से होगा और पूर्वी जिलों की आबादी पश्चिमी जिलों से कहीं अधिक है, इसलिए यह गाड़ी या प्रगति का जो अधिकांश भाग है यह सम्भवतः पूर्वी जिलों में ही बटेगा। मैं समझता हूं कि बैकग्राउंड में हमारे पश्चिमी भाइयों के यही विचार हैं कि अब जो कुछ इस प्रदेश से मिलना था वह तो मिल चुका है। अब हमें जो कुछ भी मिलेगा वह एक कम मात्रा में मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह विचार बहुत हद तक सही है और यह उस पालिसी का एक दुष्परिणाम है जो हम यहां कई बार ला चुके हैं, यह प्रदेश के विभिन्न भागों में पाये गये अनइक्वल प्रोग्रेस का परिणाम है। यदि हम केवल पहाड़ों का जिक्र करें तो उचित नहीं होगा लेकिन यह सही बात है कि सम्पूर्ण प्रदेश में उसी रफ्तार से प्रगति और उन्नति नहीं हो रही है। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, कि जो पश्चिमी जिलों के भाइयों के प्रश्न हैं, जो शिकायत है उससे कहीं अधिक शिकायत हम पहाड़ी क्षेत्र वालों को और हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग के बुन्देलखंड के निवासियों को है। वहां तो वाटर केरियर के पहुंचने का कोई

प्रश्न ही नहीं उठता, जो पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बढ़ गयी है। वहां से कोई छींटे दक्षिण की ओर पड़ जाते हैं, उसी से हमको संतुष्ट रहना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि विभाजन हो या न हो। प्रश्न यह है कि जो विभाजन की मांग हुई है उसका क्या कारण है और उस कारण को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिये। यदि सारांश में देखा जाय तो विभाजन का एक ही कारण है और वह यह कि उत्तर प्रदेश वास्तव में एक बड़ा राज्य है। यह नहीं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा राज्य है और इसका विभाजन करना अनिवार्य होगा। लेकिन वास्तव में एक बड़ा राज्य है जहां कि लखनऊ से बहुत दूर पड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनकी देखभाल उचित और पूरे रूप से नहीं हो पाती। इसका फिर उपाय वही है और वही तरीका निकलता है जिसकी ओर इस रिपोर्ट में भी संकेत किया गया है कि ग्रेजुअली डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय। मैं समझता हूं कि यदि हमारे पश्चिमी भाइयों की जो चन्द एक मांगें थीं जैसे हाईकोर्ट का एक एक बेंच मेरठ में कायम किया जाय और इस प्रकार कई और सुविधाएं जो वह आवश्यक समझते थे अगर वह दे दी जातीं तो सम्भवतः इस मांग को, जिस जोरों से यह पेश की जा रही है, वह न की जाती। यदि अध्यक्ष महोदय, देखा जाता तो कांस्टीटचूएंट असेम्बली की बैठक के समय हमारे उस समय के न्याय मंत्री डा० अम्बेदकर का विचार यह था कि राज्य बड़े-बड़े बनें। आज देखें तो उनका विचार यह है कि राज्य को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार यह है और मैं समझता हूं कि इससे बहुत काफी लोग सहमत होंगे कि यदि किसी एक जिले के लिये कानून लखनऊ में बन सकता है तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि वह कानून दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता और यह कहना कि दिल्ली से लखनऊ तक डिसेन्ट्रलाइजेशन हो चुका है इसका जहां तक जनता से सम्बन्ध है उसको इससे कोई लाभ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में लखनऊ के शासन से कोई उनका डाइरेक्ट सम्बन्ध नहीं है। जो मुख्य कारण है और जो मैं समझता हूं इस अवसर पर सरकार को अपनाना चाहिये वह यह कि डिसेन्ट्रलाइजेशन करे। डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर यदि न हो पाये और मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल बहुत छोटा यूनिट है तो रीजनल लेबिल ले लें, ताकि इस प्रदेश के या भारत के किसी भी अंग की यह शिकायत न हो कि हमारा शासन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रगति के सिलसिले में भी मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि अपने प्रदेश को किसी और रूप में विभाजित करे और उन विभाजित अंगों में डायरेक्ट एलोकेशन आफ एलाटमेंट आफ फंड्स हो। यह कहना ठीक है, अध्यक्ष महोदय कि जहां आबादी ज्यादा हो वहां अधिक धन व्यय किया जाय लेकिन यदि इस पैमाने से कार्य किया जायगा तो बहुत से हमारे अंग ऐसे हैं जैसे पर्वतीय और बुन्देलखंड के जहां पापुलेशन बहुत ही स्पार्स है किन्तु क्षेत्र बहुत अधिक, उनकी बारी सम्भवतः कभी न आयगी। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा इस अवसर पर यह सुझाव सरकार के सम्मुख है कि वह डिसेंट्रलाइजेशन की ओर कदम अवश्य बढ़ाये और रीजनल लेबिल पर, कमिश्नर्स डिवीजन्स में स्टेटयूटोरी टेरीटोरियल स्टैन्डिंग कमेटीज कायम करे। अध्यक्ष महोदय, हम यहां ४३० मेम्बर बैठे हैं। किसी मेम्बर का अपमान न करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि हममें से ५० सदस्य काफी हैं इस काम के लिये और जो कार्य यहां होता है उसको भलीभांति हम उतने से ही कर सकत हैं। हमारा मुख्य कार्य उस रीजनल लेबिल पर है जहां की जनता और सरकार की नीति के बीच में हमको आना चाहिये और सरकार की नीति को कार्यान्वित करने में हम सहायता दे सकते हैं। यहां बैठ कर जो शोभा हमको मिलती है उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं किन्तु वास्तव में पूर्ण रूप से हम अपनी एग्जिस्टेन्स जस्टिफाइ नहीं कर पा रहे हैं। कमिश्नर के डिवीजनल लविल में अगर स्टेट्यूटोरी बाडीज कायम की जायं और मैं समझता हूं यह उचित अवसर है इसके लिये, कांस्टीट्यूशन दस बार बदला जाता है, इस सम्बन्ध में भी अगर बदला जाय और डिसेंट्रलाइजेन इस बेसिस

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

पर लायें कि जो स्टेट्यूटोरी बाडीज डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर रहें उनको भी जिम्मेदारी सौंप दी जाय।

श्री अध्यक्ष---आप इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव और संशोधन पर कोई अपनी राय नहीं दे रहे हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीचन्द्र जी के सुझाव के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मित्र राजा वीरेन्द्रशाह ने जो सुझाव बुन्देलखंड के कुछ जिलों के सम्बन्ध में रखा मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। इसलिये नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ेगी, बल्कि इसलिये कि जिन क्षेत्रों के सम्बन्ध में राजा वीरेन्द्र-शाह जी ने सुझाव रखा है उनको यदि लाभ पहुंचना है तो वह उत्तर प्रदेश से है। यदि उनके निकट के रास्ते देखे जायं तो वे सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र का मुंह उत्तर प्रदेश की ओर है। साथ ही साथ यह एक बड़ी भारी बात है कि इस क्षेत्र के रहने वाले भी यही चाहते हैं कि यदि वे अलग नहीं रह सकते तो बजाय मध्य प्रदेश में सम्मिलित किये जाने के वे उत्तर प्रदेश का एक अंग बनाये जायं। इसलिये मैं उनके सुझाव का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में जब स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार करने पर यह कहा जाता है कि हमारे साथियों की कुछ बातें जिन्ना टाइप की होती हैं तो वास्तव में हमें ही खेद नहीं होना चाहिये, बल्कि हमारे देश के सभी निवासियों को खेद होना चाहिये। जो सज्जन ऐसी बात कहते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के प्रति इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, वह हमेशा देश के वफादार हैं और रहेंगे लेकिन यह बात भी है कि ऐसे सज्जन जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह भी उसी मात्रा में वफादार हैं जैसे कि हम अपने को कहते हैं। लेकिन एक खतरा अवश्य हो जाता है और वह यह कि आप इस तरह की बात पैदा करके हमारे देश के वातावरण को दूषित करते हैं.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन में ऐसी चीज किसी ने नहीं कही।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---कल कही गयी।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, ऐसा कुछ कहा गया था कि कुछ लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कि ख्वाजा साहब ने कहा था।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---हमारे साथी काटजू साहब ने कहा था कि आज जिन्ना साहब होते तो वह भी ऐसी बात करते।

खैर, इस तरह की बात करके मैं समझता हूं कि अपने देश की एकता और सुरक्षा को भारी खतरा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस विषय पर विचार करने पर और इससे पहले भी यह कहा गया कि हम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं या पदों के लिये हम लालसा कर रहे हैं। जिन सज्जनों ने और नेताओं ने ऐसी बात कही, क्योंकि वह हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इस बात का तो साहस नहीं है कि उसके विरोध में कुछ कहें लेकिन यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं यह तो समय बतला सकेगा। जहां तक पद लोलुपता का प्रश्न है, हम दावा करते हैं कि हम लोगों में जन सेवा की भावना है और रहेगी। चाहे उसके लिये पद लोलुपता कहिये या कुछ भी कहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार प्रकट करते समय पूर्वी और पश्चिमी जिलों का प्रश्न उठाना नहीं चाहता हूं। म उन व्यक्तियों में से हूं और यह कह सकता हूं कि मुझे पूर्वी जिलों से पश्चिमी जिलों के बजाय अधिक प्रेम है।

श्री शान्तीप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---अभी तक तो आपने कुछ नहीं कहा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--मैं कह रहा हू। आप अगर इंटरप्ट करना चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--आप जारी रखें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जहां तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और दूसरे प्रदेशों के कुछ जिलों को लेकर एक प्रदेश बनाये जाने का प्रश्न है मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मांग राष्ट्रीय मांग है, प्राकृतिक मांग है और ऐतिहासिक मांग है, यह किस तरह से है। जो कुछ मैंने इतिहास पर विद्यार्थी-जीवन में दृष्टि डाली है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब से भारतवर्ष में दिल्ली नगर का निर्माण हुआ तो उस समय से गंगा जमुना के बीच का हिस्सा एक राजनीतिक और प्रशासकीय इकाई रहा है। पृथ्वीराज चौहान के बाद वह हिस्सा अफगानों के हाथ में गया तो वहां हम पाते हैं। मुगलों के समय में मेरठ डिवीजन का पूरा हिस्सा, कुमायूं और रुहेलखंड का कुछ हिस्सा और हरियाना यह सब एक ही हिस्सा था, जैसा आइने अकबरी से पता लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह हिस्सा मराठों के पास गया और इस हिस्से में आगरा जिला, मथुरा जिला और अलीगढ़ जिले भी थे। इस तरह से यह तीन जिले, मेरठ कमिश्नरी और हरियाना प्रान्त एक था। जब अंग्रेजों ने मराठों को १८०३ में हराया तब से यह हिस्सा १८५७ तक उसी रूप में रहा। उसके बाद १८५७ में हरियाना प्रान्त जिसको कि अम्बाला डिवीजन कहा जाता है, ने देश को गुलामी से लड़ने के लिये बहादुरी दिखलायी और मेरठ वालों के साथ मिलकर बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को बुरा माना और उनके संगठन, एकता को खत्म करना चाहा और उनको यह दंड दिया गया कि हरियाना को उन्होंने पंजाब के साथ १८५८ में डाल दिया।

अब यह मांग राष्ट्रीय किस तरह से है इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस मांग के साथ महात्मा गांधी जी थे। १९२० में सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के उन लोगों का नेतृत्व किया जिन्होंने इस आवाज को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने उठाया था कि दिल्ली का कुछ हिस्सा और पश्चिमी जिलों को मिला कर एक कांग्रेस प्रान्त बनना चाहिये। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस सिद्धान्त को अपनाया है और उसको कार्य रूप में परिणत किया वह इस तरह से कि १९३७ तक हमारे पश्चिमी जिलों के कुछ जिले दिल्ली प्रान्त में थे और १९३७ में जब कांग्रेस सरकार ने शासन की बागडोर सम्हाली तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को वे जिले दे दिये गये।

(कुछ व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष---आप उस तरफ ध्यान न दें और अपना भाषण जारी रखें। मैं चाहूंगा (सदस्यों से) कि आप उनको बोलने दें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--उसके बाद हम देखते हैं कि १९२८ में भी हमारे देश के नता मिले और एक उप-समिति का निर्माण किया। उसमें कांग्रेस प्रान्त बनाने की मांग नहीं थी बल्कि इसी तरह से राज्य निर्माण करने की बात थी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को और पंजाब के कुछ जिलों को मिला कर एक अलग प्रान्त बनाया जाय। हम देखते

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

हैं कि १९२८ से १९३१ तक जब कि अंग्रेज यह सोच रहे थे कि हिन्दुस्तान में हमको क्या राजनैतिक सुधार देने हैं इस संबंध में बहुत सी मीटिंग्स हुईं। १९३३ में जब कि इंग्लैन्ड में राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस हो रही थी जिसमें कि महात्मा गांधी थे उसमें वहां एक मेमोरन्डम प्रस्तुत किया गया था। उस ममो रेन्डम को प्रस्तुत करते समय महात्मा गांधी के क्या विचार थे अगर उनको हमारे साथी लोग देखना चाहते हों तो राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस की प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं। मैंने उनको देखा है। उसमें महात्मा गांधी का यही विचार था कि हरियाना को या अम्बाला डिवीजन के ५ जिलों और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को मिला कर एक सूबा बनाना चाहिये। उसका कारण यह दिया गया था कि जो पांच जिले अम्बाला डिवीजन के हैं उनका पंजाब से कोई संबंध नहीं है। १८५७ तक कोई संबंध नहीं रहा। जहां तक इरिगशन का प्रश्न है उनका इरिगेशन पंजाब की पांच नदियों से नहीं होता, बल्कि जमुना से हुआ करता है। इसी तरह से यह भी कहा गया कि वास्तव में अगर पंजाब की कोई साम्प्रदायिक समस्या है और अगर उनका कोई हल हो सकता है तो वह इसी तरह से हो सकता है कि हरियाना प्रान्त को वहां से निकाल कर उत्तर प्रदेश में ले आना चाहिये। मैं तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि अगर यह समस्या उसी समय हल कर ली गई होती तो आज हिन्दुस्तान का इतिहास दूसरा ही होता। वह क्या होता? आज जो पाकिस्तान बना हुआ है वह मैं समझता हूं कि इस प्रकार का देश न बन पाता। अब मुझे यह कहना है कि अगर देश की सुरक्षा और एकता की दृष्टि से यह उचित है कि हमारे प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिये तो ठीक है। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि हमारे कौन से भाइयों ने ऐसे कारण दिये, जिनमें यह बतलाया हो कि इस विभाजन द्वारा हमारे देश की एकता और सुरक्षा में इस प्रकार से बाधा आती है। म आपके सन्मुख यह बतलाना चाहता हूं कि आज एक पणिक्कर नहीं, हजारों और लाखों पणिक्कर नहीं, बल्कि करोड़ों पणिक्कर यहां पर मौजूद हैं। आज आप दक्षिण में चले जाइये और वहां जाकर देखिये कि आपके उत्तर प्रदेश के लिये उनके दिलों में क्या भावना उत्पन्न हो रही है। आपके बिजनेस का दक्षिण में बहिष्कार किया जाता है। मैं इस बात को जानता हूं और उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते अपने को देश का वफादार समझता हूं। इस कारण से मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जब किसी में बड़प्पन आता है और दूसरे लोग उसके सामने कोई चीज रखते हैं तो वह उससे नाराज होता है। आज करोड़ों पणिक्कर इस देश में हैं जो यह समझते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के लिये यह खतरे की चीज है। हमको यह देखना चाहिये कि दूसरे प्रान्त के जो लोग हैं आपके लिये वह क्या बहस करते हैं और किस प्रकार का विचार रखते हैं। इस प्रकार से एकता और सुरक्षा के हित में यह सब उचित नहीं है। अगर थोड़े से जिलों को मिला कर एक सूबा बना दिया जाय तो इसमें क्या हानि उपस्थित होती है? मैं समझता हूं कि इसमें कोई हानि नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से कि हमारी सरकार में जो हमारे कुछ साथी बैठे हुये हैं वह बुजुर्ग हैं लेकिन सन् १९४७ में उनकी क्या आवाज थी। दिल्ली में जब एक कांफ्रेंस बुलायी गयी और हमारे कुछ मंत्री जो कि बुजुर्ग हैं क्या वह उस कान्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे? उनकी क्या आवाज थी? मैं उनका नाम लेने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन इस समय वह किसी कारण से ठीक नहीं समझते हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिक कह सकता था लेकिन अपने बुजुर्गों के प्रति और मंत्रियों के प्रति एक ऐसी चीज जो किसी प्रकार से कमजोरी की हो यहां पर कहना ठीक नहीं समझता हूं।

यह तो एक स्वाभाविक मांग है और इसके पीछे प्रकृति है जिसके कारण यह मांग आयी है। आप समाचार-पत्रों को देखिये कि कौन सा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का समाचार-पत्र है जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की सेवा कर रहा है। दिल्ली के समाचार-पत्र उन पच्छिमी जिलों की ही सेवा करते हैं। दिल्ली के समाचार-पत्र ही वहां की खबर देते हैं। पूर्वी जिलों के

समाचार-पत्र कितनी खबर देते हैं ? क्या इलाहाबाद के जितने पेपर हैं वह पच्छिमी जिलों की खबर देते हैं ? यह बात जरूर है, कि कुछ खबर देते हैं लेकिन आम तौर से पूर्वी जिलों की खबर दिया करते हैं। इसी प्रकार से रेडियो का भी प्रोग्राम चलता है। वह ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये ही चलता है। पच्छिमी जिलों में दिल्ली के प्रोग्राम को ही लोग सुनते हैं, क्योंकि वह उनकी भाषा से मिलता-जुलता होता है। हम समझते हैं कि यह बातें रहेंगी जब कि यह मांग है। यह मांग इतिहास पर निर्भर करती है। यह ऐतिहासिक मांग है। यह राष्ट्रीय मांग है। यह एकता के लिये मांग है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जायगा देश के लिये खतरा दूर नहीं होगा। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। केवल दो शब्द कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों को यह समझ लेना चाहिये कि अगर हम कोई विचार इस स्वतंत्र भारत में प्रकट करना चाहें तो उसके लिये यह कहना कि यह बटवारे वाले हैं मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। उनको यह भी जान लेना चाहिये कि जिस प्रकार वह अपने को वफादार समझते हैं उसी तरह से हम भी वफादार हैं लेकिन इस प्रकार से उलटे शब्द कहना ठीक नहीं है क्योंकि महात्मा गान्धी भी इस डिमान्ड के साथ थे। राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस में महात्मा गान्धी ने क्या कहा था वह इसको जाकर देख सकते हैं। उनका यह विचार था और उनके विचार से यह राष्ट्रीय मांग है। यह प्रकृति की मांग है। इस प्रकार की मांग क लिये यह कह देना कि यह बटवारे की मांग है अच्छा मालूम नहीं पड़ता है। मैं इसको पार्टीशन नहीं कहता हूं। यह तो देश के हित की बात है। यह बात दूसरी है कि कोई लोग इसमें बुराई देखते हों। हम तो इसी देश के निवासी हैं। अपने देश के हित की दृष्टि से और गरीब देश वासियों के हित की दृष्टि से यह मांग स्वीकार करने के योग्य है। इसमें किसी पंजाब या और किसी प्रदेश का सवाल नहीं है। प्रदेश के हित की दृष्टि से इस पर हमको विचार करना चाहिये। यह बात बुरी मानने की नहीं है और हमारे साथी जो यहां बैठे हुए हैं उनके बुरा मानने की बात नहीं है। हम पहले देश हित को देखेंगे और फिर अपने हित को देखेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो शब्द कहे हैं वह देश हित में कहे हैं यदि उनसे किसी सज्जन को ठेस पहुंची तो यह गलत बात होगी। डैमोक्रेसी में अपने विचारों को, चाहे वे कुछ भी हों व्यक्त करना ही चाहिये। जैसा कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी का विचार है कि अपने विचारों को व्यक्त न करना पाप है, ठीक ही है और इन अर्थों में मैं उनका चेला हूं।

श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य पुनस्संगठन का प्रश्न एक प्राचीन प्रश्न है। देश के स्वतंत्र होने के पूर्व से हमारे इस भारतवर्ष में राज्यों के पुनस्संगठन की मांग बराबर चली आ रही है। आज हमारा देश जब कि निर्माण कार्यों में अग्रसर हो रहा है तो मैं समझता हूं कि यह राज्यों का पुनस्संगठन भी देश के निर्माण कार्यों से संबंधित है और मैं इसे मानता हूं कि यदि हमारा देश राज्यों के संगठन में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषा आदि के प्रश्नों को वैज्ञानिक ढंग से हल कर सका तो विकास के कार्यों में और भी प्रगति के साथ अग्रसर हो सकेगा। जहां तक यू० पी० का प्रश्न है इसके विभाजन का प्रश्न उपस्थित है या नहीं, इस पर विचार प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा।

कुछ दिनों पूर्व यू० पी० के पूर्वी भागों में भोजपुरी प्रान्त का प्रश्न चला था और कल इस सदन में एक माननीय सदस्य ने भी भोजपुरी प्रदेश के बनाने की मांग का प्रस्ताव उपस्थित किया था। लेकिन बहुत दिनों से इस प्रश्न पर कोई विचार प्रकट नहीं हुआ था क्योंकि यह प्रश्न वर्तमान परिस्थितियों में आउट आफ डेट हो गया था। मैं समझता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी ने संभवतः किसी दूसरे प्रस्ताव के बदले में उस प्रस्ताव को उठाया है।

इस सदन के आरम्भ काल से ही पश्चिमी जिलों के कुछ जिलों ने यह आवाज उठाई थी कि अपना एक अलग प्रदेश बनाया जाय और उन्होंने उसके सिलसिले में यह आवाज उठाई थी कि पूर्वी जिलों के विकास पर ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है और पश्चिमी जिलों की अवहेलना की जा रही है। मैं इस संबंध में सदन के पश्चिमी जिलों के सदस्यों को दावत

[श्री पद्मनाथसिंह]

देना पसंद करूंगा और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि सरकारी खर्चे पर उनको पूर्वी जिलों में भेजा जाय और वे वहां जाकर देखें कि पूर्वी जिलों में जो विकास का कार्य हो रहा है वह आवश्यक है या नहीं। विकास के विषय में यदि पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों को मिलाया जाय तो अमेरिका और भारतवर्ष में जो अंतर है वही अन्तर उनको पूर्वी और पश्चिमी जिलों में मिलेगा। जहां एक ओर पश्चिमी जिले अधिक उन्नतिशील हैं वहां पूर्वी जिलों में अधिक गरीबी और बैकवर्डनेस है, मैं अपने दोस्तों से वहां चलने के लिये प्रार्थना करता हूं और हम पूर्वी सदस्य उनका खर्चा भी बरदाश्त कर लेंगे। वे वहां चल कर विकास के कार्यों को देखें और अनुभव करें कि वे कार्य अनिवार्य हैं अथवा नहीं और यह उनके हित में भी है या नहीं। लेकिन यदि किसी देश अथवा प्रदेश के लोग केवल इसलिये विभाजन की बात करते हैं कि उसके एक भाग पर अधिक रुपया खर्च हो रहा है और दूसरे भाग पर कम इसलिये उसका विभाजन कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न इस आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा देश का विभाजन ही किया जा सकता है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया है आम तौर से वह इस प्रदेश की जनता की सही राय उपस्थित करता है। इसके अतिरिक्त मैं श्री वीरेंद्र-शाह जी के प्रस्ताव में वजन समझता हूं और चाहता हूं कि सदन उस प्रस्ताव पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करे, क्योंकि यह प्रस्ताव भी इस प्रदेश की अधिकांश जनता के भावों को प्रदर्शित करता है और अपने पीछे एक वैज्ञानिक आधार रखता है।

माननीय श्रीचन्द्र जी और माननीय अतहर हुसैन साहब ने जो विचार प्रकट किये हैं उन पर मैं बाद में अपने विचार प्रकट करूंगा। इस समय पणिक्कर साहब के नोट आफ डीसेंट के बारे में मैं कुछ विचार प्रकट कर देना उचित समझता हूं। उन्होंने पापुलेशन की बात कही और बताया कि उत्तर प्रदेश की पापुलेशन ६,३२ लाख है और यह कि उसकी जनसंख्या इतनी अधिक और अनवील्डी हो गयी है कि उसका प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। मेरा कहना इस संबंध में यह है कि संसार के किसी देश में भी पापुलेशन के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है अगर किसी देश में केवल पापुलेशन के आधार पर विभाजन हुआ हो तो भारत में भी हो। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि राज्यों का पुनस्संगठन जहां पर भी हुआ है वहां पर पापुलेशन उसके लिये आधार नहीं रखा गया है। यदि आज उत्तर प्रदेश का पापुलेशन अधिक है तो कल मध्य प्रदेश जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, जिसकी एरिया बहुत ज्यादा है, १० वर्ष के बाद उसका पापुलेशन बढ़ जाय तो क्या इसी आधार पर मध्य प्रदेश को बांटना पड़ेगा, यदि बिहार की जनसंख्या और बढ़ गयी तो क्या फिर बिहार राज्य का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनसंख्या बढ़ गयी, उत्तर प्रदेश की जन-संख्या यदि कम हो जाय १० वर्ष के बाद तो क्या उसकी सीमा बदल दी जायगी? इस प्रश्न के ऊपर सीमा के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से विचार नहीं किया जाता। मैं इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, लेकिन जन-संख्या अधिक होना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे सीमा को बार-बार बदला जाता रहे। केंद्र की बात कही जाती है, श्री पणिक्कर ने अपने नोट में लिखा है कि फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, भारत का विधान ऐसा बना हुआ है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश की संख्या अधिक होने से बड़ी गड़बड़ी होती है। रूस, अमेरिका आदि का हवाला देते हुये आपने कहा कि वहां ऊपर की जो कौंसिलें हैं उसमें राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के कारण किसी एक को दूसरे पर प्रभुत्व करने की गुंजाइश नहीं है। यह बात केवल अपर हाउस के संबंध में है। एक बड़ी भारी गलती उन्होंने यह की है कि राजनीतिक प्रश्नों पर विचार करते हुए अपर और लोअर हाउस का विश्लेषण नहीं किया। अपर हाउस जो अमेरिकन सिनेट है वह राज्यों की समान संख्या के बेसिस पर है लेकिन हाउस आफ रेप्रेजेंटेटिव्स में सदस्यों की संख्या आबादी के ऊपर ही है। इसी तरह से रूस के कौंसिल आफ नेशनलिटीज में तो राज्यों के बेसिस पर संख्या सब की बराबर है लेकिन हाउस आफ कामन्स में,

लोकसभा में प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर ही मेम्बर रखे जाते हैं। श्री पणिक्कर ने अपने नोट में कहा है, उसकी दो-एक लाइन ही मैं पढ़ देना चाहता हूं--

"In both the houses of Parliament representation is, broadly speaking, on the basis of population. Thus in the lok Sabha Uttar Pradesh has 86 members (out of 499) and in the Rajya Sabha it has 31 (out of 216)."

जहां तक कौंसिल आफ स्टेट की बात है उसके लिये अगर यह कहा जाता कि सब प्रदेशों की प्रतिनिधि संख्या बराबर होनी चाहिये, तो यह तो एक बात समझने की हो सकती थी और विधान में साधारण परिवर्तन से ही फेडरेशन की इस कमी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन लोक सभा में तो जन-संख्या के आधार पर ही सदस्यों को रखना पड़ेगा। रूस, अमेरिका या संसार के किसी भी देश में इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि हाउस आफ रेप्रेजेंटटिव्स में सदस्यों की संख्या जन-संख्या के आधार पर न हो। आगे श्री पणिक्कर ने अपने नोट में कहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज बहुत ज्यादा हैं, बहुत बैकवर्ड है, इनएफिसिएंट है और इसलिये इस लाजिक पर उत्तर प्रदेश का बटवारा होना चाहिये। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश किसी माने में बैकवर्ड है, इसको और उन्नतिशील होना चाहिये लेकिन साथ ही साथ क्या यह विभाजन का आधार है? बम्बई स्टेट जो बेस्ट गवर्न्ड स्टेट कहा जाता है वहां पर बम्बई स्टेट के रिआर्गनाइजेशन के प्रश्न को लेकर जैसी छीछालेदर मची हुई है, वहां पर गोली चली है तथा और भी बहुत सी परेशानियां हैं उसको देखते हुये तो इनएफिसियेंसी आदि जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, बटवारे की दलील नहीं रखते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उनका कहना है कि हमारा प्रदेश बैकवर्ड है, यहां शिक्षा पर कम खर्च होता है तथा पर कैपिटा विकास पर भी कम खर्च होता है वह केवल इस प्रदेश के ऐग्रिकल्चरल होने के कारण है। जो भाग केवल ऐग्रिकल्चरल है वह खर्च में कमजोर होता है। उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश को ले लीजिये, रूस ने भी जो राज्यों के पुनर्निर्माण का कदम उठाया वह केवल तीन प्रश्नों को लेकर ही उठाया। एक ज्योग्राफिकल, दूसरे एकनामिकल, तीसरे एथनाग्राफिकल। एथनाग्राफिकल के अन्दर भाषा, संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा सब शामिल हैं। इन्हीं तीन प्रश्नों के आधार पर प्रदेशों का निर्माण हुआ करता है। श्री पणिक्कर ने जो आधार अपनाया है वह राज्यों के निर्माण का है। इसलिये आधार नहीं कहा जा सकता है। मैं अपने उन मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने दलीलें पेश की हैं कि श्री पणिक्कर ने इसके अलावा एक दूसरा जबरदस्त नोट लिखा है। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि केंद्र में उत्तर प्रदेश के प्रभुत्व से ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिससे केंद्रीय सरकार में और देश की राजनीति में यह प्रदेश बहुत प्रभावशाली हो रहा है और इससे देश की राजनीति में घातक असर हो रहा है। यदि हम भारतवर्ष के इतिहास को देखें तो यहां एक हिस्टारिकल कमी रही है और वह यह है कि यहां विलगाव की एक भावना रही है और एक स्पिरिट आफ डिसइनटेग्रेशन लोगों में मौजूद रही है, जिसके कारण से हम आपस में लड़ते रहे और उसका प्रभाव यह पड़ा कि हमारा देश गुलाम हो गया और दूसरों के कब्जे में चला गया और आज हम देखते हैं कि वही बिलगाव की भावना श्री पणिक्कर के नोट आफ डिसेंट में मौजूद है। परन्तु यदि हम उसको देखें तो हमें एक बात दिखाई देती है कि यह इस प्रदेश के प्रति एक जेलेसी है, यह एक ईर्षा और द्वेष की भावना है और मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये एक अभिशाप है। यदि ऐसी भावना का उद्रेक किसी ओर से होता है और एसी भावना के माने यह हैं कि स्पिरिट आफ डिसइन्टेग्रेशन स्टिल एगजिस्ट्स इन अवर कंट्री। मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस तरह की भावना आज भी विद्यमान है, यह बिलगाव की भावना उपस्थित है तो उसको दूर करने का एक ही वैज्ञानिक आधार हो सकता है और वह भाषा, संस्कृति और रीति-रिवाज को लेकर ही हो सकता है, यद्यपि राज्यों के पुनस्संगठन में भाषा, वेश-भूषा आदि विषय विशेष आधार अब नहीं रह गये हैं लेकिन ऐसे समय में यही आधार हो सकते हैं। आज तो हम समझते हैं कि इन्टरनेशनल संस्कृति सब एक ही है और सब का घुलमिलकर एक ही रूप होता जा रहा है, थोड़ी भिन्नता चाहे उनमें हो। लेकिन जहां तक इस प्रदेश का प्रश्न है यहां न अलग भाषायें हैं, न अलग संस्कृति है।

[श्री पद्मनाथसिंह]

राजा वीरेंद्रशाह के प्रस्ताव के संबंध में मैं कह रहा था कि वह अवश्य वजन रखता है और मैं भी चाहूंगा जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि विन्ध्य प्रदेश का वह भाग जो रेहन्ड डैम से संबंधित है, जिसका कुछ अंश डैम में आता है उसका इस डैम के दृष्टिकोण से सम्मिलित होना ठीक होगा और वैसे ही बुन्देलखंड का वह हिस्सा आ जाय जहां जमीन अधिक है और आबादी कम है तो मैं यू० पी० के पूर्वी जिलों के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर कहता हूं कि यहां जो इतनी अधिक जनसंख्या हो रही है कि उसके लिये खाना नहीं है, गल्ला नहीं है, जमीन नहीं है, तो अगर उस हिस्से को मिलाने का प्रस्ताव मान लिया जाय तो उस तरह से हमें करीब ३०,००० वर्गमील अधिक जमीन मिल जायगी और वहां की ५० लाख जनता होगी, अगर वहां जनसंख्या कम है तो वहां प्रदेश के उस पूर्वी भाग के लोग जहां जनसंख्या अधिक है, बस सकेंगे और वह लाभान्वित हो सकेंगे। रेल और सड़कों से भी उनका संबंध है और यू० पी० की संस्कृति भी उस बुन्देलखंड के भाग से मिलती है इसलिये अच्छा हो कि यू० पी० का विभाजन न करके उन जिलों को इधर मिला दिया जाय। श्री वीरेंद्रपति यादव ने बहुत आवेश में आकर भाषण दिया, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जब राज्यों के पुनर्संगठन का प्रश्न है तो इसमें कोई आवेश या तेजी की गुंजाइश नहीं है बल्कि हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखना है। यह प्रदेश एक एग्रीकल्चरल प्रदेश है और इस के पास इंडस्ट्रीज को फैलाने के साधन नहीं हैं इसलिये हमारी मांग होनी चाहिये कि मध्यभारत का वह भाग जो रेहन्ड डैम से संबंधित है और बुन्देलखंड का वह हिस्सा जिसे मिलाकर हमारी भूमि और आबादी का प्रश्न किसी सीमा तक हल हो सकता है मिला दिया जाय। साथ ही हमें जो स्प्रिट आफ डिसइन्टेग्रेशन है उसको दूर करने की चेष्टा करना चाहिये, जरूरत है इस बात की कि हम अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखें और इस समय भारत में मजबूत और बड़े राज्य की एक आवश्यकता है और इस तरह से हम पूरे देश को अग्रशील बनाते चले जायं। पणिक्कर जी के नोट के अनुसार डर भले ही हो लेकिन यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश बड़ा बना रहे। इस बात की भी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश बड़ा बना रहे और उत्तर प्रदेश से बड़े-बड़े राज्य बने रहें, ताकि हमारा भारतवर्ष जो आज केवल फेडरेल इंस्टीट्यूशन नहीं है वहां एक तरह से यूनिटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट है और फेडरेल सिस्टम आफ गवर्नमेंट का कम्बिनेशन है वह सेंटर को अधिक अधिकार प्रसारित करता रहता है उसी प्रकार से हमारा देश हिस्टारिकल डिसइन्टीग्रेशन की स्प्रिट को दूर कर शक्ति सम्पन्न हो सके।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा किसी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। परन्तु एक बात मुझे अवश्य नजर आती है और वह यह है कि थोड़ी बहुत लीपापोती करने की कोशिश की गई है और उसी से मेरा मतभेद है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो लोग संस्कृति की बुनियाद पर, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का डिवीजन चाहते हैं वह बिलकुल गलत आधार को लेकर आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रश्न है यू० पी० एक है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है, वह और है और वह यह है कि आया यू० पी० का डिवीजन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। वह क्या कारण है? और अगर कारण इस प्रकार के हैं कि वे सच्चे और सही हैं तो हमें यू० पी० को डिवाइड कर देना चाहिये क्योंकि उन कारणों के रहते हुये डिवीजन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है और उन कारणों को डिवीजन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि यू० पी० का डिवीजन अनिवार्य है और कोई इसको रोक नहीं सकता। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सच्चाई है और इसको चाहे कोई कितना छिपाने की कोशिश करे, परन्तु वह छिपाई नहीं जा सकती। आज इस सदन में उत्तर प्रदेश का भविष्य बोल रहा है, यह चन्द्रसिंह रावत नहीं बोल रहा है। मैं कहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दस साल बाद यू० पी० का डिवीजन होगा और अवश्य हो करके रहेगा। उसके जबर्दस्त कारण मैं उपस्थित करना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य, यह हमारे भाग्यविधायक हैं, निर्णायक हैं और मैं भी कहता हूं कि हमें निष्पक्ष होकर फैसला देना है क्योंकि भावी संतानें हमारी स्पीचेज को पढ़ेंगी और वे निर्णय देंगी और हमारा निर्णय इस बात का साक्षी होगा कि हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर इस सदन में किस तरह की स्पीचेज़ देने का दावा किया है और किस तरह से हम अपने राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। वे लोग जो कहते हैं कि ६ करोड़ की आबादी का स्टेट होना चाहिये, मैं उनसे कहता हूं अगर यह बात सही है तो क्यों नहीं कहा गया जब हम स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करते हैं, तो क्यों नहीं यह प्वाइन्ट कहा जाता है कि केवल ६ स्टेट्स होनी चाहिये। ३६ करोड़ की आबादी भारतवर्ष की है तो छः-छः करोड़ की छः स्टेट्स होनी चाहिये। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि केवल पापुलेशन की बेसिस पर हम स्टेट्स कर निर्माण नहीं करने जा रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत से आधार ऐसे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुये हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं। मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पर जो कहते हैं कि ६ करोड़ का एक स्टेट होना चाहिये जब कि इस देश की आबादी ३६ करोड़ है तो उसके एक स्टेट को इतना बड़ा होना चाहिये। इंग्लैन्ड की आबादी ४ करोड़ है, फ्रांस की आबादी ६ करोड़ है, जर्मनी की आबादी ८ करोड़ है, रशिया की आबादी १८ करोड़ की है और अमेरिका की आबादी १२ करोड़ की है। क्या आप समझते हैं कि यू० पी० इतना बड़ा स्टेट एक साथ रह सकता है? मैं आपके सामने उसका नक्शा खींचना चाहता हूं, उसका खाका सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। जिन कारणों से मैंने पूर्व में ही यह बात कही थी कि इस प्रदेश का डिवीजन होना चाहिये वह क्या है? क्योंकि मैं इस बात को महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश की कल्चर, सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी सिविलिजेशन सारे यू० पी० की एक है लेकिन इसके बावजूद भी हम मजबूर हैं कि हम डिवीजन चाहते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा हमारे शिक्षा विभाग का नक्शा है। उसको आप देख लीजिये। जो शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन, कालेजों, स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों का नक्शा है उसको देख लीजिये। माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकार इस पूरे प्रदेश के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सके हैं उसके नक्शे को देख लीजिये। जो हमारे शिक्षा का आधार है जो उसका विस्तार है जो उसको चलाया जा रहा है उसका तरीका जो है उसको देख लीजिये। जो शिक्षा का व्यय है और जिस प्रकार से उसका प्रसार है जो सन् १९५१ के बाद आज चार साल से पूरा होने जा रहा है उसको देख लीजिये। मैं बताना चाहता हूं कि क्या कारण है। उत्तर प्रदेश के बहुत से हिस्सों को अछूता छोड़ दिया गया है और वहां माननीय मंत्रियों का कोई दौरा नहीं हो सका और वे सच्चाई से महरूम हो गये। मैं किसी को बदनियत नहीं बतलाना चाहता हूं, बल्कि उसका सही कारण यह है कि हमारा प्रांत इतना बड़ा है कि उनके पास समय नहीं है कि वे इस छोटे समय के अन्दर ५२ जिलों का पूरा निरीक्षण कर सकें। मैं उत्तर प्रदेश का सच्चा नक्शा विधायक निवास में दिखला सकता हूं। विधायक निवास के पीछे जो गलियारा है वह इतना गन्दा है और इतने लोग इसमें रहते हैं कि उसका माकूल इन्तजाम नहीं हो पाता। इतने उसमें नौकर हैं और लोग आते जाते हैं, यही पता नहीं चलता कि कौन विजिटर हैं और कौन विधायक हैं। आपने देखा होगा उसके चारों ओर कितनी जमीन छूटी हुई है लेकिन इसका भी आज तक पता नहीं लगा कि उसकी क्या व्यवस्था है। तो यह तो विधायक निवास का हाल है। यह अव्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण हमारे सामने है। अगर आप विधायक निवास को देखें तो वही व्यवस्था आज हमारे यू० पी० के शासन की है। हमारे प्रांत के अन्दर हमारे देहात की जनता बड़ी दुखी है। पहाड़ी जनता भी बड़ी दुखी है। वे लोग मुझसे आकर शिकायत करते हैं। पुलिस इस प्रांत के ऊपर हावी है। उसका कारण है। हमारी सरकार ने प्राब्लम्स को ठीक तरह से हल नहीं किया। मैं बतलाना चाहता हूं कि ये व्यवस्थाएं कंट्रोल नहीं की जा सकतीं। यही वजह है कि आपको मानना होगा कि यू० पी० का डिवीजन होना चाहिये। आप रोक नहीं सकते इस डिवीजन को। आप लोगों को जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हैं और आप उनको उनकी जिन्दगी के विकास से महरूम करना चाहते हैं, यह हो नहीं सकेगा। यह आपकी चेष्टा विफल होगी।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मैं बतलाना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनता, इतना बड़ा बजट आपने इसके लिये क्या व्यवस्था की है? आप कोई उचित व्यवस्था कर नहीं सकते। न कोई डिसिप्लिन है और न कोई उचित व्यवस्था है। चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था दिखाई पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके संशोधन के ऊपर ही भाषण दीजिये। अगर सब समय आप बजट पर ही ले लेंगे तो संशोधन पर कुछ न कह सकेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत—जो बजट था वह मैंने छोड़ दिया। अगर आपके पास ताकत थी कंट्रोल करने की, आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चला सकते थे तो चार साल के दौरान में कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बार-बार चिल्ला कर इस सदन में अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचाने को कोशिश की लेकिन आपके कान के अन्दर कोई आवाज नहीं पहुंची। मैं बतलाना चाहता हूं क्या आप इन परिस्थितियों को नजर अन्दाज कर सकते हैं? हर्गिज नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि बुन्देलखंड का हिस्सा इस यू० पी० में मिलाया जाय जिसमें लाखों नंगे और भूखे हैं वे बनारस जाकर विश्वनाथ का मंदिर देखें, गरीबों के लिये विश्वनाथ का मंदिर है और बाकी लोगों के लिये रुपया है, पैसा है, खेती है, शिक्षा है, दीक्षा है, यूनिवर्सिटी है लेकिन उन गरीबों के लिये विश्वनाथ जी हैं। इसी प्रकार मैं बतलाना चाहता हूं कि मिस्टर पणिक्कर ने अपनी रिपोर्ट दी है उस संबंध में उस व्यक्ति पर जो बड़ा भारी अनुभव रखता है, जिसने इंसाफ को सामने रख कर रिपोर्ट लिखी हो, लांछन लगा देना अनुचित सा है। उसके अन्दर कोई बेईमानी है तो केवल एक है और मैं अध्यक्ष महोदय का आदेश मानते हुये बतलाऊंगा कि वह बेईमानी कहां पर है। सारी रिपोर्ट को देख जाइये। कोई अपील अदालत इस रिपोर्ट के खिलाफ अगर सेटअप हो जाय तो बिना किसी संकोच के वह अपील अदालत मजबूर होगी इस बात के लिये कि वह उस रिपोर्ट के खिलाफ यू० पी० के मामले में अपील को बहाल करे।

मैं चाहता हूं कि क्या शराफत का तकाजा अपनी राय को छिपा देना है? मैं अगर कोई कमी समझता हूं तो वह कमी यह है, उन्होंने अपने सच्चे और सही फैसले को स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा आप देख लीजिये पैराग्राफ ५९५ से लेकर ६१३ तक। पैराग्राफ ५९५–६१३ से साफ मालूम होता है कि कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि यू० पी० का बटवारा होना अनिवार्य है और जरूर हो जाना चाहिये। लेकिन आप जानते हैं, यह इंसानों की दुनिया है। उसमें मजबूरियां होती हैं। उसमें जोर, दबाव, और दांवपेंच होते हैं। परन्तु वह व्यक्ति जो सारे भारतवर्ष के प्रति जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखता हो, जो ईमानदारी से महसूस करता हो कि ऐसा होना चाहिये, वह उस जिम्मेदारी के जुये को उतार कर सच्चे देशहित में रोड़ा अटकाता है। हम कहते हैं कि हम भारतवर्ष की हुकूमत को मजबूत बनाना चाहते हैं; जो लोग कहते हैं कि स्टेट के हिस्से करने से उसकी ताकत कम होती है, उनसे मैं कहता हूं कि ब्रिटेन की हुकूमत इसका जीता-जागता उदाहरण है। वहां की चार करोड़ जनता ने ४० करोड़ हिन्दुस्तान की जनता पर राज्य किया। उनमें डिसिप्लिन था, उनका आर्गेनाइजेशन था, उनके अन्दर राष्ट्र के प्रति प्रेम था। वह अपने मुल्क के झंडे को दुनिया की चारों दिशाओं में फहराने के लिये अपनी जान कुर्बान करने के लिये तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग ३६ करोड़ हैं उसमें ६ करोड़ का यह सूबा है। तीन-तीन करोड़ का सूबा जरूर होना चाहिये, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना बड़ा आप का मुल्क है। मैं आपकी ही दलील को पढ़ता हूं कि आप भाई-भाई में क्यों बटवारा चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जब एक खान्दान में चालीस-पचास आदमी होते हैं तो उनका क्यों बटवारा हो जाता है? आपने क्यों सूबे में जिले और जिलों में तहसीलें बना रखी हैं? आपने देवरिया को गोरखपुर से क्यों अलग किया? यह इस बात को साबित करता है कि जब आप एक जिले का सही तरीके से ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो यू० पी० के छः करोड़ का ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? इसका बटवारा निश्चय करना होगा। आपने गोरखपुर से देवरिया को अलग करके अपनी डिफीट को मंजूर किया है कि देवरिया गोरख-

पुर के साथ रखते हुये उसकी सच्ची और सही व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जो मेरे भाई हंसते हैं उनके हंसने में तत्व नहीं है। उनको दुख होना चाहिये कि और बुद्धिवादी बुद्धि से सोचना चाहिये। जो एक राष्ट्रीय समस्या को निष्पक्ष होकर सोचने की कोशिश नहीं करते, जो कहते हैं कि इस सदन में एम० एल० ए० आकर जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते मैं पूंछता हूं कि वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के रिमार्क्स पर मैं खेद प्रगट करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन कमीशन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। चूंकि आगरा राज्य बनाने की बात पणिक्कर साहब के नोट में उठायी गयी है, जिसकी राजधानी आगरा ही शायद प्रस्तावित है इस वजह से यह विभाजन का जो प्रश्न है उससे आगरा निवासियों का ज्यादा घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मैं सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में माननीय सदन का ध्यान रिपोर्ट के उस चेप्टर की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कास्ट आफ चेंज के बारे में लिखा गया है। जिसमें यह लिखा गया है कि जो परिवर्तन किये जायंगे उनके कारण न केवल शासन प्रबन्ध में ही कुछ समय के लिये अव्यवस्था आने की सम्भावना है बल्कि लोगों के जीवन में भी। उसका हमें पैसे से भी, कर के बोझ के रूप में भी कुछ न कुछ मूल्य देना पड़ेगा और हमारा जो प्लानिंग का काम है उसमें भी कुछ रुकावट और बाधा पड़ेगी। यह मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया क्योंकि इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद कमीशन कम से कम इस मत का तो अवश्य मालूम पड़ता है कि जहां पर कि वास्तव में कोई असन्तोष न हो, जहां के लोगों में भेद की भावना आपस में इस प्रकार की पहले से मौजूद न हो वहां पर हमें विभाजन की छुरी या कैंची चलाने का कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि इसका हमें मूल्य काफी देना पड़ता है। तो हमारे सामने यह अवश्य सवाल है कि वाकई क्या जिन बातों की वजह से दूसरी जगहों पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है वह यहां भी मौजूद हैं या नहीं। यह सवाल मुख्य रूप में लिंग्विस्टिक और कल्चरल और इंटीग्रेशन का है। दक्षिण में यह सवाल भाषावार प्रान्तों के लिए ही उठा और वहां पर इस तरह की भाषायें भी हैं लेकिन क्या हम यू० पी० के लिए भी ऐसा कह सकते हैं। कमीशन ने कहा है कि कल्चर को हम लैंग्वेज से ज्यादा अलाहिदा समझकर उसको विभाजन का कारण नहीं मान सकते क्या हम वाकई समझते हैं कि हमारे यहां भाषा के ऐसे भेद हैं जिनके कारण यू० पी० का विभाजन होना चाहिए? अभी भाषा का सवाल उठा नहीं कि हमारे यहां एक अमेंडमेंट उप-भाषाओं का भी आ गया और उस दृष्टि से यू० पी० के शायद दो खंड नहीं बल्कि चार खंड होने चाहिए क्योंकि एक पर्वतीय भाषा है, एक बुन्देलखंडी, एक ब्रजभाषा, एक मैथिली और एक अवधी बल्कि पांच हो जायंगे। इस तरह से पांच खंड होने चाहिए अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन इन उप-भाषाओं के आधार पर होने वाला है। लेकिन ऐसा तो पणिक्कर साहब ने भी नहीं कहा। तो हमारे यहां जो मुख्य आधार भाषा का माना गया है वह तो कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। अब रहा जनता में एकता की भावना का अभाव अथवा ऐसा कोई असन्तोष जिससे कि हमारी सरकार को पूरी तरह से योजनाओं में जनता का सहयोग नहीं मिला इस तरह की भी कोई बात रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के पहले तक तो आयी नहीं। यहां पर तो विशेषतः जो प्रश्न उठा वह एक और बात को लेकर उठा और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसा उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं उस मनोवृत्ति से बिल्कुल असहमत हूं। यहां पर तो यह सवाल इसलिए उठा कि पूर्वी जिलों के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और पश्चिमी जिलों पर कम खर्च हो रहा है। वैसे तो इसका जो उत्तर है वह इस कमीशन की रिपोर्ट में ही मिल जायगा। जो हमारी सरकार ने फिगर्स दस साल के दिये हैं उनकी जांच और छानबीन के पश्चात् कमीशन ने लिखा है कि इसका कहीं हमको कोई

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

सबूत नहीं मिला कि पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन एक दफा यह मान भी लिया जाय कि ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है पश्चिमी जिलों के बनिस्बत तो भी मैं पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर विभाजन की मांग की जाय? यह तो बड़ी संकीर्ण मनोवृत्ति होगी। यह मैंने उस समय भी कहा था। अगर आज यह कहा जा रहा है कि पश्चिमी जिले प्रान्त की ट्रेजरी को ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा खर्च हो और पूर्वी जिले कम देते हैं इसलिए उनके ऊपर कम खर्च हो तो इस प्रकार से तो कभी भी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। इसका क्या जवाब है। आगरा प्रदेश बन जाने पर हम भी अपने को उसी परिस्थिति में पायेंगे क्योंकि आगरा भी मेरठ के मुकाबले में उतना ही पिछड़ा हुआ है, तो यही आर्ग्युमेंट हमारे ऊपर भी लागू होगा कि आगरा उतना रेवेन्यू नहीं देता इसलिए आगरे पर कम खर्च किया जाय और मेरठ पर ज्यादा खर्च किया जाय। तो जो एक बार आगे बढ़ गया, जिसने एक बार किसी तरह अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, उसी का बोलबाला हो गया तो फिर तो पिछड़े हुए प्रदेश को कोई पूछने वाला है ही नहीं। और आखिर यह संकीर्ण मनोवृत्ति कहां तक ले जायगी? पहले प्रान्त में, उसके नीचे कमिश्नरियों में, कमिश्नरियों के नीचे जिलों में और उसके बाद गांव-गांव में यह भेद पैदा हो सकता है। तो क्या इस तरह से हम अपने देश में एकता की भावना को फैला रहे हैं या उसके टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं और इस देश में एक ऐसी बात पैदा करना चाहते हैं जिसमें सिवाय वैमनस्य और आपस में मनमुटाव के दूसरी बात न हो सके।

हमारे सामने तो एक प्रलोभन विशेष दिया गया कि आगरा राजधानी बनेगी, लेकिन मैं देखता हूं कि आन्ध्र बना और उसके बनते ही जो यह मालूम होता था कि आन्ध्र में बड़ी भारी एकता है, आपस में ही उनमें मतभेद पैदा हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि कैपिटल के ऊपर ही कितने दिनों तक आपस में वैमनस्य रहा और मालूम होता था इसी एक प्रश्न पर ही सब एकता समाप्त हो गई। दूसरी बात यह है कि कुछ क्षेत्र के विषय में आज तक तय नहीं हो पाया कि कौन सा ताल्लुका किस के पास जायगा। हाफुज ताल्लुके की बात तय नहीं हो पायी। वहां के मंत्री अभी मिले थे और वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये और उसके लिए बाउंडरी कमीशन बैठेगा। तो अगर इस संकीर्ण मनोवृत्ति को लेकर चले तो देश की एकता, जिसको कमीशन ने भी महत्व दिया है, को न तो दृढ़ कर सकेंगे और न हम उससे अपना और न प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि किसको यह कहने का दावा है कि इसके पीछे भी जनमत है। जनमत जो शायद तब विशेष रूप से होता जब कोई एक प्रस्ताव होता। जब से यह बात उठी है तब से तीन या चार प्रस्ताव इस सम्बन्ध में आ चुके हैं। पहला एक प्रस्ताव जो कि शायद माननीय श्रीचन्द्र ने पेश किया था। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव पणिक्कर साहब का आया और अब तीसरा प्रस्ताव वह है जिसमें कि हम कुछ खंड हरियाना प्रान्त का भी लेना चाहते हैं और उसके साथ-साथ दलील क्या दी जाती है कि हमारा हिस्टारिक सम्बन्ध है। ठीक है, अगर हिस्टारिक सम्बन्ध है तो काबुल पर भी कब्जा करना चाहिये, क्योंकि किसी जमाने में काबुल भी हमारे देश के अन्दर था। लेकिन हिस्टारिक जो बात कही जाती है वह पिछले सौ वर्ष की हिस्टरी को बिलकुल भुला कर, उसके पहले की सदियों पहले की हिस्टरी को लेते हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई आज की अपनी बीबी को छोड़ कर दूसरी पूर्व-जन्म की बीबी से सम्बन्ध स्थापित करना चाहे, क्योंकि यह बीबी ज्यादा खर्चीली है, इस पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और आज के अपने निजी रिश्तेदारों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए पूर्व जन्म वालों से सम्बन्ध स्थापित किया जाय। और आज के रिश्तेदारों को छोड़ना चाहते हैं जिनके साथ हम सौ वर्षों से साथ रहे हैं और तीन सौ या हजार

वर्ष पहले की हिस्टरी की बातें यहां दोहरा रहे हैं। हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। वह भी अच्छी बात है कि हमारे भाव उनके प्रति उदार हों, उनसे मिलें, लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि जो आज हमारे साथी हैं उनका हम परित्याग कर दें, जिनके साथ आजादी की लड़ाई कन्धे से कन्धा मिला कर लड़ी थी और हम उसमें सफल हुए।

उन साथियों से हमारा जरा सी बात के लिए कि हमारे यहां थोड़े से ट्यूबवेल्स नहीं बन रहे या थोड़ी सी सिंचाई नहीं हो रही है अलहदा होना चाहते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मुझे भी शिकायत का मौका होता अगर यह बात होती कि हमारा स्टैन्डर्ड उतना ही गिरा हुआ होता जितना कि पूर्वी जिलों का है। अगर पश्चिमी जिलों का स्टैन्डर्ड पूर्वी जिलों से ऊंचा है और फिर हम उनके उद्धार के लिए ज्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमारे लिए यह शान की बात है, गर्व की बात है। मैं समझता हूं कि हर एक को यही भावना लेकर हमारे जो इस प्रदेश के प्रतिनिधि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं वह आगे चल रहे हैं, आगे चलना चाहिये। हमारी जिस बात को लेकर पणिक्कर साहब ने विभाजन की बात कही है वह यह कि यू० पी० का केन्द्र में प्रभुत्व है। आज यू० पी० का प्रभुत्व इसी में प्रदर्शित होता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीपरपज़ स्कीम्स देश में खोली गयीं उनमें से उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं खुली। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनमें कोई कमजोरी नहीं है। मैं माननीय गेंदासिंह जी से सहमत नहीं हूं, मैं समझता हूं कि उनमें कोई कमजोरी नहीं है लेकिन अगर हमारा प्रदेश बड़ा है तो हमारा हृदय भी इतना ही विशाल है और हमने यह समझा है कि सारे देश में जहां जिसको आवश्यकता है वहीं उत्थान होना चाहिये, जिसको जरूरत है वह पूरी होनी चाहिये। ऐसा नहीं कि इसी प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहरलाल हैं, या वहां के गृह मंत्री आज माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त हैं इसलिये सब को समेट कर हम उत्तर प्रदेश में रख लें। और यह तो मैं आपसे निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि सारा भारतवर्ष शायद इस बात को मानता है कि अगर प्रान्तीयता की बात कहीं नहीं है तो वह उत्तर प्रदेश में नहीं है। और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि अगर इस तरह से खंड-खंड हुये तो प्रान्तीयता देश में और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से मैं समझता हूं देश का कल्याण नहीं हो सकता।

अब दूसरी बात जिसके बारे में पणिक्कर साहब ने कुछ बातें लिखी हैं वे बहुत बड़े योग्य और विद्वान् हैं और मैं इतनी धृष्टता भी नहीं करता कि मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहूं लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जो कारण उन्होंने पुनर्संगठन की रिपोर्ट में दिये हैं उनमें यह नहीं बताया कि कौन से ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश पर लागू होते हैं और जिनकी वजह से इसका विभाजन होना चाहिये। रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा कि यह राज्य इतना बड़ा हो गया है कि उसका डामिनेन्स हो जाय या उसका माल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो। मैं, जो उन्होंने कहा है उसको मान कर चलता हूं हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन यह कहना कि माल-ऐडमिनिस्ट्रेशन है यह तो यहां की जनता की बात है। अगर वह समझती है कि हमारी गवर्नमेंट ठीक काम नहीं करती है तो उसको निकाल कर फेंक दे। लेकिन कमीशन इस बात पर रायज़नी नहीं कर सकता कि माल ऐडमिनिस्ट्रेशन है इसलिये इसके खंड कर दिये जायं इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जायगा।

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह बहुत अजीब सी मालूम होती है। उन्होंने हमारे एजुकेशन और वेलफेयर के ऊपर जो खर्चा होता है उसको दिखलाया है। इसी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं या रीवर वेली स्कीम्स हैं वे ज्यादा उपयोगी हैं बजाय इसके कि सोशल वेलफेयर जैसी स्कीम्स पर ज्यादा खर्च हो। मेरे पास फीगर्स नहीं हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अपने बजट से अगर किसी दूसरे प्रदेश के रीवर वेली और डैम्स वग़ैरह के बजट का मुकाबला किया जाय तो उसमें उत्तर प्रदेश का सब से अग्रिम स्थान रहेगा। इस चीज़ की तरफ हमारे पणिक्कर साहब ने ध्यान नहीं दिया महज़ इस वजह से कि सोशल वेलफ़ेयर वग़ैरह के ऊपर

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

हमारे यहां कम खर्च किया गया उन्होंने यह लिख दिया कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रबन्ध अच्छा नहीं है। वास्तविकता यह है कि जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है इस प्रदेश की ख्याति सारे देश में है और यह कमीशन ने खुद स्वीकार किया है कि छोटे-छोटे राज्यों की अपेक्षा बहुत से बड़े राज्यों का शासन अच्छा और प्रगतिशील है।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बहस इस वक्त हमारे भवन के सामने हो रही है उसमें जैसा कि खयाल किया जाता था कि पूरब और पश्चिम का नाम जरूर आयेगा और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरब और पश्चिम का नाम आता रहता है और बजट में हम यह बात सुनते रहते हैं और आज हम देखते यह हैं कि यह बात इस हद तक पहुंची है कि सूबे की तकसीम के लिये पूरब और पश्चिम का सवाल पैदा हुआ। मैं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से न तो पूरब से और न पश्चिम से आया हूं बल्कि सेंट्रल जिलों से आया हूं, इसलिये मैं समझता हूं कि जो बात मैं रखूंगा उसको दोनों सुन सकेंगे।

इसमें कोई शक नहीं है कि जो मसला हमारे सामने है वह बहुत ही अहम मसला है और न सिर्फ ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक चंद दिनों या चंद सालों से हो बल्कि हमेशा के लिये है और हम हिन्दुस्तान का नया नक्शा तैयार करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर मैं इस बात को मानूंगा कि हममें से हर एक शख्स को यह हक हासिल है कि वह अपने लिये जैसा चाहे रहन-सहन, मकान और जिस तरीके हुकूमत को वह पसन्द करता हो, करे। यह बुनियादी हक है और हर शख्स को यह हक मिलना चाहिये। इस एतबार पर जो लोग अपनी राय जाहिर करें वह गौर करने के काबिल हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या फैसला होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट हमारे सामने है, उसके अंदर बहुत सी तरमीमें और तब्दीलियां पेश की गई हैं लेकिन वह ज्यादातर दूसरे सूबे के मुताल्लिक हैं। इसलिये इस भवन में इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब सवाल यह आता है कि हमारे सूबे को दो हिस्सों में तकसीम किया जाय, एक हिस्सा मगरबी जिलों को मिलाकर एक सूबा आगरा बनाया जाय और दूसरा बाकी हिस्सा यू० पी० का रहे, उस वक्त सवाल यह आता है कि कैसे उस पर गौर करें और कैसे देखें।

मैं जाती तौर पर इस बात को मानने वाला नहीं हूं और यही चाहता हूं कि जहां तक हो सके यू० पी० को तकसीम न किया जाय। हमारा यू० पी० का सूबा बहुत प्रोग्रेसिव है और इसमें एक खास अहमियत यह है कि इसमें प्राविंशियलिज्म नहीं पाया जाता है जो और दूसरे सूबों में पाया जाता है। एक तरफ अगर यह कहा जाय तो बेजा नहीं होगा कि यू० पी० एक कास्मोपोलिटन प्राविन्स है। इसके अंदर सब तरह के लोग आबाद हैं, इसके अंदर कई तरह की भाषायें बोली जाती हैं और इसमें मुख्तलिफ कल्चर के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन एक साथ रहते हुये हमने कास्मोपोलिटन स्प्रिट के मातहत एक खास किस्म की फिजा पैदा की है, एक खास किस्म का एटमोसफियर पैदा किया है जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में नहीं पाया जाता है। इसलिये यू० पी० के तकसीम के सवाल से दिलों में खटक पैदा होती है बिलखुसूस ऐसी हालत में जब हम तकसीम को अपनी आंखों से देखते हैं। हमारे सामने वह नक्शा और वह मंजर भी फिर जाता है कि जब इस पूरे मुल्क की तकसीम का सवाल पैदा हुआ और इस मुल्क की तक्सीम किसी न किसी तरीके पर हो गई। लेकिन जिन लोगों ने तकसीम की या जो लोग तकसीम के खिलाफ थे या जो लोग उसके माफिक थे, आज उनमें से हर एक शख्स इस बात को तसलीम करता है कि मुल्क की तकसीम करने के बाद हम ज्यादा खुशहाल नहीं रहे और इसलिये वह चाहे मुत्तहिदा मुल्क हो या सूबा हो उसकी इकोनामिक, उसकी कल्चरल वैल्यूज का जो कांबिनेशन होता है वह एक ऐसी चीज है कि जो तकसीम करने के काबिल नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान बन गया, तकसीम हो गई। वह हिन्दुस्तान से अलग हो गया। गो सियासी तौर पर वह हिन्दुस्तान से अलग हो गया, लेकिन अब भी हमारे अंदर सोशल, कल्चरल और इकोनामिक टाइज ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर शख्स महसूस करता है कि वह हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसी तरह से जहां तक हमारे प्रान्विस का ताल्लुक है उसकी जो प्लानिंग हुई, वह अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने वैसी नहीं की जैसी कि आज हो रही है, तो ठीक है, लेकिन पिछले जमाने में जो काम हुए, जो यूनिवर्सिटियां, कालेज, हाईकोर्ट, अदालतें वगैरह बनीं, जिलों के हेड क्वार्टर बनाये गये, तो उनको बनाते समय इस बात का किसी को खयाल नहीं हो सकता था कि १९५५ ई० में कोई ऐसा मौका आ सकता है कि इस वक्त यह बात उठेगी कि इस सूबे को तकसीम कर दिया जाय।

इस बात का एतराज किया गया कि यू० पी० और सूबों से बाज चीजों में पीछे है, तालीम में और-और चीजों में पीछे है। हो सकता है कि यू० पी० इन चीजों में दूसरे सूबों से पिछड़ा हुआ हो लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि बाज चीजों में यू० पी० सबसे आगे है और कोई चीज हो या न हो, लेकिन जहां तक सेक्योरिटी और यूनिटी का ताल्लुक है, जिसको कि इस कमीशन के हर मेम्बर ने, चाहे वह माफिक हो या खिलाफ इस बात को माना है कि मुल्क की सेक्योरिटी सबसे अव्वल होनी चाहिये और उसके बाद मुल्क की यूनिटी और इकोनामिक यूनिटी पर जोर दिया गया है, उसमें हमारा सूबा सबसे अव्वल रहा है। बाज मर्तबा यह सवाल भी उठता रहा है कि जबान की बेसिस पर तकसीम हो और मैंने जैसा कहा कि हर शख्स को बुनियादी तौर पर अपनी राय देने का और अपनी बात मनवाने का हक है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब चीजें बाद में आती हैं।

सबसे पहले सेक्योरिटी और यूनिटी की बात आती है और हमें फख्र है कि इस सूबे ने जो यूनिटी की मिसाल पेश की उस तारीखी जमाने में जब कि हर तरफ काले बादल छाये हुये थे और इस सूबे में जैसी फिजा रही वह काबिले कद्र है। तो इस एतबार से मैं समझता हूं कि यू० पी० की तकसीम होना न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि वह नामुमकिन अमल भी है। बाज चीजों की शिकायतें की हैं बाज लोगों ने, बहुत सी बातें की हैं, ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिये कि आखिर जिन लोगों ने इस सूबे की तकसीम का सवाल उठाया है उसके असबाब क्या हैं? मैं इस बात के लिये तैयार नहीं हूं कि मैं इस सदन के मोअज्जिज मेम्बरों में से किसी की नियत के मुताल्लिक कोई शकोशुबहा करूं। उनमें मुखालिफत भी हो सकती "Two persons can agree to disagree." लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर जिन लोगों ने यह सवाल उठाया है कि इस देश की तकसीम की जाय उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम बतौर भाई के इस बात पर सोचें, क्योंकि हम यहां इसलिये नहीं हैं कि इस सवाल को लेकर लड़ें या झगड़ें। आज हम प्लानिंग के उस काम में लगे हुये हैं कि जिससे हम चाहते हैं कि अपने मुल्क को और सूबों को ऊपर उठायें और इस वक्त में अगर इस तरह के एजीटेशन का सवाल उठाया गया या कोई ऐसी ही बात की गई कि जो जनरल इंटरेस्ट में न हुई तो वह बहुत ही अनफार्टुनेट होगा। इसलिये मैं यह अर्ज कर रहा था कि सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उनकी ग्रीवियेन्सेज क्या हैं? क्या असबाब हैं कि जिनके मातहत लोगों ने इस तकसीम के सवाल को उठाया है? इसके लिये जरूरत इस बात की है कि हम बतौर भाई के उन बातों पर गौर करें, हमारा हाई कमान्ड भी गौर करे, हमारा सेन्टर भी इस बात पर गौर करे और हमारा कमीशन भी इस बात पर गौर करे कि वह चीजें क्या हैं और किस तरीके पर वह दूर हो सकती हैं।

मैं समझता हूं कि एक बात जो यह कही गयी कि ऐडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रहा और ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइन्ट आफ व्यू से इसका तकसीम होना चाहिये मैं इससे एग्री नहीं करता। जहां तक इस एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है ऐडमिनिस्ट्रेशन पहले भी अच्छा रहा है और आज भी अच्छे तरीके से चल रहा है। इसकी बाबत दो खत अखबारों में निकल चुके हैं। डा० पन्नालाल और सर महाराज सिंह इस सूबे के बहुत मुअज्जिज ओहदों पर रहे हैं। एक चीफ

[श्री सुल्तान आलम खां]

सेक्रेटरी और दूसरे होम मेम्बर रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइन्ट आफ व्यू से इस सूबे में कभी दिक्कत पैदा नहीं हुई। यह बात सही है कि यह सूबा बहुत बड़ा है, लेकिन जो पणिक्कर साहब का नोट है उसके मातहत अगर नया सूबा बनाया जाय तो फिर भी यह सूबा बड़ा ही रहेगा। अगर आज ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी इस सूबे की है तो जो तजवीज है उसके मुताबिक सूबा बनाने पर उसकी आबादी भी ४ करोड़ की होगी। बिहार की भी तकसीम की बात हो रही है तो फिर यही बड़ा सूबा रह जायगा और यह बड़े सूबे की तकसीम का सवाल रह जायगा।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है कोई नहीं कह सकता है कि यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब रहा है। यह कहा जा सकता है कि इस पिछले जमाने में यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन कुछ लूज रहा है। कुछ ऐसी चीजें आयीं और कुछ ऐसे वायकात थे जिनकी वजह से ऐसी बातें पेश आयीं और उसके मातहत कुछ दिक्कतें और दुश्वारियां आयीं, लेकिन आइन्दा चलकर ऐडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलता रहेगा। लेकिन यह बात भी सही है कि इस यू० पी० के मगरबी हिस्सों का जो डेवलपमेंट किया गया और वहां का कल्चर कुछ ऐसा रहा है कि पिछले जमाने में मगरबी यू० पी० का कुछ डेवलपमेंट ज्यादा होता रहा है। पिछली बार कांग्रेस के आने के बाद भी मगरबी जिलों का ही खयाल किया गया, लेकिन अब मशरकी जिलों की तरफ तवज्जह की जा रही है और वहां पर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। जब हम यहां पर भाईचारे की हैसियत से रहते हैं तो वह लोग जो पिछड़े हुये हैं अगर उनको थोड़ा सा फायदा मिलता है तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको किसी खास तरीके से देखा जाय और जो दिक्कत की बात समझी जाय। अगर यह तजवीज जो पणिक्कर साहब ने पेश की मंजूर हो जाय तो हमारी दिक्कत का हल वहां पर नहीं मिलता है बल्कि दिक्कत में और इजाफा हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा सूबा ४ करोड़ की आबादी का फिर भी रहता है। तो जो दिक्कत आज बड़े सूबे की वजह से कही जाती है वह फिर भी कही जायगी और दूसरी सूरत यह पेश हो सकती है कि जो सेन्ट्रल प्राविन्स से आते हैं उनके लिये यह सवाल पैदा होगा कि वह कहां जायं।

अगर सूबे की तकसीम आती है या तकसीम का कोई सवाल किया जाता है तो बहुत से लोगों की राय बदलेगी। सब एक जगह पर रहते हैं बिल्कुल ठीक है। मैं यह भी मानता हूं कि जो लोग इसकी तकसीम की आवाज उठाते हैं उनको यह हक है और उनको अपनी आवाज उठाने का हक हासिल है और उनको अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिये, जब मैं इस बात पर गौर करता हूं तो मैं कन्फ्यूजन में पड़ जाता हूं कि आखिर जो दोनों के बीच में रहते हैं उनका क्या होगा। जो बुनियादी हैसियत से और उसूली हैसियत से खाका खींचा गया है उसके लिये बाउन्डरी कमीशन बैठेगा। तो उस वक्त बहुत से लोगों को राय बदलने का मौका मिलेगा। मसलन मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं जोकि सेन्टर में है। जो नक्शा इस वक्त बनाया गया उसके मातहत हमारा जिला मशरकी यू० पी० में होगा जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा। फर्ज कीजिये कि यह हुआ और तय होने के बाद सवाल पैदा होता है कि बाउन्डरी का किस तरह से बटवारा हो। तो जो सूबे के जिले सेन्टर में आते हैं जैसे कि हमारा जिला है तो उसके लिये यह सवाल पैदा होगा कि मशरकी जिलों में जायं या मगरबी जिलों के साथ जायं। तो जाहिर बात है कि हम यह पसन्द करेंगे कि मगरबी जिलों के साथ जायं इसलिये कि मशरकी जिलों की निस्बत मगरबी जिले ज्यादा डेवलेप्ड हैं। तो प्रायरिटी गेंदा सिंह जी को मिलेगी, लेकिन हमको भी मिलेगी। उसूलन हमको भी मौका मिलना चाहिये। डेवलपमेंट की प्लानिंग में हमको प्रायरिटी मिलनी चाहिये। कुदरतन् यह सवाल पैदा होगा कि अगर यह सवाल तय कर दिया तो यह सवाल हमेशा के लिये खत्म नहीं होगा, इसमें कुछ और सवाल पैदा होंगे। इसमें कुछ और प्राबलेम पैदा होंगे और यह एक डिटेल की चीज बन जायगी। उसको बाउन्डरी कमीशन को तय करने में बड़ी दिक्कत और दुश्वारी होगी।

एक बात इस सिलसिले में जरूर सोचने की है और वह यह कि जैसा मैंने अर्ज किया कि मैं इस बात का हामी हूं कि सिक्यूरिटी यूनिट, एकोनोमिक यूनिट इन चीजों के मातहत हमें गौर करना है। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसमें जिन लोगों को जो शकूक हैं उनके उन शकूक को दूर करने की तरफ गवर्नमेंट को खास तवज्जह देनी चाहिये। गवर्नमेंट के एक स्टेप की भी मैं ताईद करता हूं कि जो कमिश्नरियां उठा दी गयी थीं उन कमिश्नरियों को दुबारा रेस्टोर कर दिया गया है। रीजनल ऐडमिनिस्ट्रेशन अगर हेड क्वार्टर पर हो जाय तो यह बेहतर ही है। बाज लोगों का यह भी सही ख्याल है कि रीजनल तरीके पर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होना चाहिये। वाकई लोग इस बात को फील करते हैं कि जो दुश्वारियां लोगों को ऐडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हैं जो लेजीटिमेट ग्रीवान्सेज हैं उनको जरूर दूर किया जाना चाहिये और उस तरीके पर जो होगा, मैं समझता हूं कि वह रीजनेबिल तरीके की प्लानिंग होगी। जैसे मेरठ में यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज है। हाई कोर्ट की बेंच भी मेरठ में कायम कर दी जाय या इसी किस्म की और भी बातें कर दी जायं तो कोई गलत कदम न होगा। अगर इस तरह से रीजनल बेसिस पर ऐडमिनिस्ट्रेशन कायम करने की बात की गयी, जिसके मातहत रीजनल ग्रुप्स को आसानी हुई, उनकी दिक्कतें और दुश्वारियां दूर हुईं, तो मेरा ख्याल है कि यह जो दो हिस्सों में कर देने की बात कही जाती है वह चीज भी पैदा न होगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह) (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक उस प्रस्ताव के समर्थन के सम्बन्ध में युक्तियां देने का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बातें कही हैं। मुझे अपने भाई श्रीचन्द्र की तकरीर सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आज मैंने अखबारों में उनकी बातें संक्षेप में पढ़ीं। ख्वाजा अतहर हुसैन साहब की तकरीर सुनने का मुझे मौका मिला था और श्री पणिक्कर जी की रिपोर्ट को भी पढ़ने का मुझे मौका मिला। जहां तक श्री पणिक्कर जी की रिपोर्ट का ताल्लुक है, एक मुख्य बात उन्होंने यह कही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, यहां के प्रतिनिधियों की तादाद सेंटर में बहुत बड़ी है इसलिए अपनी तादाद के जोर पर वहां हिन्दोस्तान के राजनीतिक क्षेत्र में अपना असर कायम करते रहते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह कहना उचित नहीं है कि जितना यू० पी० बड़ा है वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, उनके दृष्टिकोण से हमारे यू०पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है और अपनी इस युक्ति की ताईद में उन्होंने कुछ बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यू० पी० की लिटरेसी बहुत कम है उड़ीसा की अपेक्षा। मैं उस रिपोर्ट को और उनके नोट आफ डिसेंट को पढ़ता ही रहा सिर्फ यह जानने के लिये आया उन्होंने कोई ऐसी मिसाल भी दी कि यू० पी० के नुमाइंदों ने वहां जाकर कोई धांधली की या भारत के मामलों में अपने बहुमत के कारण यू०पी० के लिये नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न किया हो और उसमें सफल हुये हों। मैं इस बात को खोजता ही रहा। लेकिन मुझे एक भी बात उनके सारे नोट में नहीं मिली। यदि उदाहरणों से वह अपनी इस बहस और युक्तियों की ताईद करते तो बात मेरी समझ में आती और और लोग भी समझते तथा मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारे भाई श्रीचन्द्र जी भी पूरे तौर पर उसको समझ लेते।

श्री चन्द्र जी ने अपनी जो युक्तियां दी हैं उसमें उन्होंने श्री पणिक्कर से बिल्कुल ही विलग और अलग बातें कहीं। श्रीचन्द्र जी को श्री पणिक्कर की युक्तियों में विश्वास नहीं है, मैंने उससे ऐसा नतीजा निकाला है। डिवीजन दोनों ही चाहते हैं लेकिन श्रीचन्द्र जी का ग्राउन्ड डिफरेंट है श्री पणिक्कर के ग्राउन्ड से। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि उनकी बहस भाई श्रीचन्द्र जी को भी कबूल नहीं है। मेरी तो शिकायत यह है कि हमारे नुमाइन्दे वहां तादाद में काफी हैं लेकिन वे हर मौके पर जब भी यू०पी० का मसला आता है तो वे इतनी डिसेंसी बरतते हैं और बरतनी भी चाहिये, इसकी मुझे शिकायत नहीं है लेकिन यू०पी० के मसले के ऊपर भी वे इमबेरेस्ड फील करते हैं और हमारा जो हक है वह हक भी नहीं मिल पाता। इसके उदाहरण तो हम दे सकते हैं लेकिन श्री पणिक्कर को ऐसा एक भी उदाहरण देने को नहीं मिला जहां पर अपने हक से ज्यादा हमें कोई चीज वहां मिली हो। तो उसमें कोई तत्व नहीं है, और ऐसी बहस

[श्री हुकुम सिंह]

करना हम तो उचित नहीं समझते। मैं यहां अपने इस सदन में भी देखता हूं कि बस्ती के १८ नुमाइन्दे हैं, और उसमें देवरिया तथा गोरखपुर को जोड़ दिया जाय तो करीब एक-चौथाई हिस्सा उनका इस सदन में हो जाता है। देहरादून के तीन-चार मेम्बर हैं लेकिन बस्ती, देवरिया, गोरखपुर वाले अपनी तादाद की बिना पर कौन सा नाजायज फायदा उठा रहे हैं यह तो कभी होता नहीं है। यहां गवर्नमेंट पार्टी लाइन पर कायम है। पहले ह्विप जारी हो जाता है और हर मसले पर राय देने के लिये पार्टी ह्विप की पाबन्दी होती है। लिहाजा ऐसा कहना मैं किसी तरह से भी ठीक नहीं समझता। पणिक्कर साहब ने कहा है कि यहां एजूकेशन बहुत कम है और उड़ीसा का फीगर बतला दिया और यहां का फीगर बतला दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि बम्बई का बेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर बहस करते हुये कोई चूहा भी यहां नहीं कूदा और बम्बई में क्या हुआ, इस बात को मैं यहां कहना नहीं चाहता लेकिन यहां तो बिलकुल एक शांत वातावरण में यह बहस हो रही है। इसी से साबित होता है कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---जैसे बाराबंकी में ऐडमिनिस्ट्रेशन है।

श्री हुकुमसिंह---लेकिन गांधी जी भी दिल्ली में मारे गये थे। तो इस एक मिसाल को लकर यह कह देना कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब है यह बात ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिये कि जहां दो आदमी हैं उसमें एक आदमी पढ़ा है तो उसमें ५० परसेंट लिटरेसी हो गयी और जहां आदमी एक हजार हैं और वहां १०० आदमी पढ़े लिखे हैं तो वहां ५० परसेंट से कम लिटरेसी हो गयी। उन्होंने एजूकेशन के मामले में उत्तर प्रदेश का मुकाबिला उड़ीसा जैसे छोटे राज्य से किया है। जहां तक उड़ीसा का ताल्लुक है वहां की आबादी एक करोड़ ४६ लाख के करीब है, जिसमें से २३ लाख पढ़े-लिखे हैं और हमारे यहां की आबादी जो ६ करोड़ ३२ लाख है उसमें से ६८ लाख पढ़े-लिखे हैं। तो यह तो सीधी सी बात है कि जहां ज्यादा आदमी होते हैं जैसे हमारे यहां एजुकेशन के बजट पर करीब ९ से लेकर १२ करोड़ रुपये तक खर्च होता है लेकिन उड़ीसा के एजूकेशन का बजट पता लगाया जाय तो वह बहुत ही कम होगा। तो जब बड़ा परिवार होता है बड़ा खानदान होता है तो उसमें काफी खर्च करना पड़ता है। लिहाजा हर जगह परसेंटेज से काम चलता नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे भाई श्रीचन्द्र जी ने कहा कि हमारे यहां की जबान एक नहीं है, उन्होंने कल्चर का ऐसा डेफिनिशन दिया कि मैं तो हैरान हो गया। मैं तो सुना करता था कि भारतवर्ष का कल्चर एक है, लेकिन अब उनके कहने के मुताबिक जिले-जिले का कल्चर अलग-अलग मालूम होता है। १८ जिलों का कल्चर अलग है और बाकी जिलों का कल्चर अलग है। यह भी पता नहीं की श्री सुल्तान आलम साहब किस कल्चर में आयेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---एग्रीकल्चर में।

श्री हुकुमसिंह---उसमें तो मैं आता हूं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कल्चर की बहुत सी संकीर्ण परिभाषायें देना उचित नहीं है। कोई साहब कहें कि सहारनपुर से बलिया तक दूसरी जबान है तो यह बात कुछ समझ में नहीं आती। वहां दो जबानें नहीं हैं जबान एक ही है। कल्चर एक ही है। श्रीचन्द्र जी कहते हैं कि पहनावा भी अलग है, कुरता वह भी पहने हैं और मैं भी पहनता हूं, देवरिया के लोग भी पहनते हैं और वेशभूषा क्या शक्ल-सूरत में भी कोई अन्तर नहीं है। अगर श्रीचन्द्र उधर हैं तो राजा राम शर्मा इधर हैं, तो महाबीर सिंह देवरिया के इधर भी हैं, एक ही शक्ल है और एक ही पहनावा है। कोई अन्तर नहीं है। अगर मोहन सिंह उधर हैं तो मान्धाता सिंह बलिया में भी हैं, हरिसिंह उधर हैं तो इधर शिवनारायण हैं न वेश में अन्तर है न भूषा में फर्क है, न जबान में फर्क है जो फर्क है वह मैं आगे बताऊंगा। एक बात और यहां बताना चाहता हूं कि जहां तक श्रीचन्द्र का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि उनको अपनी शक्ल-सूरत के बारे में ज्यादा गर्व का मौका नहीं है।

पं० कमलापति त्रिपाठी जैसा तनदुरुस्त पश्चिमी जिलों का कोई यहां है, आप गिरधारी लाल को पैदा कर सकते हैं कमलापति को नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई अन्तर नहीं है और अलग होने के कोई वजूहात नहीं हैं। हम और वह हमेशा से एक चले आये हैं। श्रीचन्द्र जी और पणिक्कर जी उसको भूल गये होंगे। मुझे एक मिसाल याद आ रही है। एक आदमी ने घर बनवाया और इत्तफाक से उस वक्त उसके घर वाले छोटे कद के थे तो उसने छोटे दरवाजे लगाये और उस समय सब लोग उनमें से निकल सकते थे, लेकिन इत्तफाक से आगे चलकर उस घर में कुछ लोग श्रीचन्द्र के बराबर लम्बे हो गये तो वह कहने लगे कि दरवाजे न बदले जायं बल्कि उनके सिर काट कर उनको छोटा कर लिया जाय। यही पणिक्कर साहब चाहते हैं। अगर वह संविधान को बदलवाकर बराबर प्रतिनिधित्व करा लें तो ठीक हो सकता है या वेटेज दे दिया जाय, लेकिन वह न कहकर वह कहते हैं कि बांट दिया जाय, दरवाजे न बदले जायें बल्कि सिर को ही काट दिया जाय। मैं तो समझ नहीं सकता कि इसमें उनकी कौन सी युक्ति सही है। हम हमेशा से एक साथ रहे हैं, वह हमारे बड़े भाई हैं हम उनके छोटे भाई हैं, वह अमीर हैं हम पूरब वाले गरीब हैं, उधर के लोग धनी हैं हम पूरब के लोग गरीब हैं यह अन्तर अवश्य है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते जैसे खानदान मुश्तर्का में बड़े भाई को खूब तालीम दी गयी, खूब पढ़ाया-लिखाया गया और खानदान का सारा पैसा उनको विलायत भेजकर बैरिस्ट्री पास कराने में लगा दिया गया, उसके बाद वह हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे और खूब वकालत चलने लगी और उसके फलस्वरूप उनके रहन-सहन में परिवर्तन हो गया और वह बहुत बड़े आदमियों की तरह रहने लगे और उनकी वजह से ही जो दूसरे भाई थे वह बगैर पढ़े या कम पढ़े-लिखे रह गये तब उन बैरिस्टर साहब ने सवाल उठाया कि अब घर वालों से हमें अलग होना चाहिये, क्योंकि हमारी पढ़ाई-लिखायी का और रहन-सहन का स्तर उन से बहुत ऊंचा है और वह लोग नीचे स्तर के हैं जो उन के भाई हैं इसलिये उनको अलग रहना चाहिये, क्योंकि उनके साथ रहने से उनका स्टैन्डर्ड नहीं मिलता और उनकी बदनामी होती है, उनके साथ बैठना-उठना ठीक नहीं है। लेकिन आप गौर करें कि ऐसा करना उनके लिये कितनी शर्म की बात है! मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह तरीका गलत है कि अगर एक भाई कुछ कारणों से एक समय में धनी-मानी हो जाय तो वह दूसरे भाइयों को पीछे छोड़ दे यह ठीक नहीं है। उसकी कोशिश उनको सीने से लगाने की होनी चाहिये कि वह भी उसी स्तर के लोग हो जायं। इस तरह से देवरिया के भुखमरे गेंदासिंह भी उनके स्तर पर आ जायं। मैं नहीं समझता कि यह बटवारे की बात सोचना कहां तक उचित है। तफसील में जरा सोचिये कि १६ जिले निकालकर उनका अमल में क्या होगा, इंतजाम में क्या खर्च होगा, सारा बजट वह कैसे बनाते, श्रीचन्द्र कई करोड़ रुपया कन्टिन्जेंसी में बचाते हैं १६ जिले चाहें अलग हों या न हों। बनाना जरूरी होगा, लेकिन अगर बनायेंगे तो वह ठीक बने और अगर बनायें तो दोनों एन्ड्स को मिला नहीं सकते, बड़ी दिक्कतें होंगी। कल गालिब के शेर को हाफिज जी ने पढ़ा था वह मुझे याद नहीं है वह बिलकुल चस्पां होगा। लिहाजा इस दृष्टि से देखा जाय तो बटवारा नामुनासिब है, फाइनेंशल ढंग से देखा जाय, इकनामिक ढंग से देखा जाय, इखलाकी ढंग से देखा जाय, इतने दिनों का मेलजोल और जरा सी बात पर और यह कहना भी तो ठीक नहीं कि प्रबंध की वजह से आप नेगलेक्ट किये जाते हैं। यह बात ठीक नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—इसी बात से तो दुख होता है।

श्री हुकुमसिंह—गलत बात से हमेशा दुख होगा ही। सही बात सोचें तो दुख न हो। जैसे हाफिज जी ने कहा कि अगर मान लीजिये कि कुछ दे ही देते हैं ज्यादा तो दुख क्यों होता है। आप बड़े भाई हैं, कुछ तो रहम कीजिये। यह नहीं कि १२ आना तो आप लेते रहें और ४ आने हम भुखमरों के लिये रहें तो क्या आपकी यह नीयत अच्छी है? आप जरा हमदर्दी करें। बिला वजह फिक्रमन्द होना नामुनासिब है। क्योंकि इधर भी फिक्र है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जिस शक्ल में है वैसा रहे। देश के लिये, सारे भारतवर्ष के लिये यूनिटी बहुत जरूरी है और टुकड़े-टुकड़े में सिक्योरिटी खत्म हो जायगी और हजारों वर्षों से

[श्री हुकुम सिंह]

हम लोग खतरे में रहे हैं आपस में विभाजित होने के कारण तो हमें उस सबक को भूलना नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं हमें एक साथ रहना है। मैं आपको यह बताऊं कि श्री पणिक्कर जी भी उसूल वही मानते हैं। उन्होंने कहा यह कि यूनिट बराबर होने चाहिये। लेकिन उसूल तो रख दिया अमल उस पर नहीं किया। जो प्रोपोज्ड स्टेट उन्होंने बताये हैं वह यू० पी० से बाज-बाज रकबे में बहुत ज्यादा हैं और इधर छोटे-छोटे भी बना दिये। उधर बड़े से बड़ा बना दिया और इधर छोटे से छोटे भी बना दिये। अगर उसूल ठीक था तो उस उसूल पर अमल करना था। प्रोपोजल के साथ बात कोई दूसरी हो और अमल में दूसरी हो अगर दोनों में फर्क होता है तो लोग बड़े भ्रम में पड़ते हैं तो हम यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बांटने के लिये यह बात सोची गई हालांकि असलियत यह नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, कल से राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों पर इस सदन में वादविवाद हो रहा है। जब हमने इस आयोग की सिफारिशों को पहले देखा समाचार-पत्रों में और उसके बाद विवाद के अवसर पर कल परसों से जो पुस्तिका हमें मिली है उसको भी देखा है और जैसा माननीय कृषि मन्त्री जी ने उस प्वाइंट को टच किया हैं हम समझते हैं कि हम जैसा समझ रहे थे कि आयोग की सिफारिशें वैज्ञानिक ढंग पर होंगी, लेकिन किसी वैज्ञानिक आधार पर वह सिफारिश नहीं की गई हैं। एक आधार लिया गया भाषा का। हम मानते हैं कि राजस्थान से लेकर विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और यू० पी०, बिहार और कुछ हिस्सा पंजाब का यह तमाम इलाका हिन्दी भाषी था। यद्यपि यहां पर आर्गुमेंटस बहुत से दिये गये हैं कि यहां पर भोजपुरी है, ब्रजभाषा है, अवधी है राजस्थानी है लेकिन हम मानते हैं कि न तो हम अवध के रहने वाले हैं और न ब्रजभाषा ही बोलते हैं, न मैथिल बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते ह कि ब्रजभाषा को हम उसी प्रकार समझ पाते हैं जैसे मैथिल को या भोजपुरी को। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बंगाल के और पंजाब के कुछ भाग को छोड़कर उत्तर भारत के इस बड़े विस्तृत इलाके में हिन्दी भाषा बोली जाती है। यद्यपि हम पहाड़ी हैं और यों तो कहने के लिये पहाड़ में भी दो भाषायें गढ़वाली और कुमायूंनी बोली जाती है, लेकिन इतना होने पर हम समझते हैं कि समस्त उत्तर भारत में हिन्दी ही भाषा एक भाषा है जो बोली जाती है। यद्यपि भाषा विज्ञान के आधार पर तो पांच या ६ मील की दूरी पर कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जबसे अवधी, ब्रजभाषा, मैथली या राजस्थानी को छोड़कर खड़ी बोली बन गई है तब से उत्तर प्रदेश में एक ही बोली है। अगर भाषा के हिसाब से राज्य का निर्माण करें तो गलत होगा।

संस्कृति के लिये कहा गया कि यहां की सभ्यता अलग है। पूर्वी यू० पी० और १६ जिलों और पश्चिमी यू० पी० के जिलों की सभ्यता अलग-अलग है मैं तो समझता हूं कि यह भी गलत है, क्योंकि हमारे यहां गंगेश्च यमुनाश्चवे गोदावरी सरस्वती नर्वदे सिन्धु कावेरी आदि जो श्लोक हैं उससे सिद्ध होता है कि देश की जो संस्कृति है वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक है। इस आधार पर भी राज्यों के पुर्ननिर्माण की जो मांग है वह गलत है। यह कहना उचित न होगा अगर कोई व्यक्ति या कोई स्थान अगर राज्य चाहते हैं तो भारत की अक्षुण्य एकता में बाधक हैं। इस प्रकार की भावनाओं को सुनकर हमें दुख हुआ।

अब मैं उत्तर प्रदेश पर आपकी आज्ञा से आता हूं। जिस आधार पर इस आयोग ने भारत का विभाजन किया है वह वैज्ञानिक नहीं है जैसी कि कृषि मंत्री महोदय ने यह बात कही कि एक करोड़ से लेकर या कुछ लाख से लेकर ६ करोड़ तक एक स्टेट मानी गई है। वैज्ञानिक आधार माना जाता भाषावार प्रांत बनाने का तो जितने लोग उत्तर भारत में राजस्थान से लेकर बिहार तक एक भाषा बोलने वाले हैं उनका एक ऐसा विभाजन किया जाता कि उसमें दो, तीन या चार करोड़ जितनी भी आबादी आती उसको लेकर राज्य बनाते। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मान लीजिये कि उत्तर प्रदेश में दो राज्य

हो जाते हैं तो वह भी बड़ी भारी आपत्ति की बात नहीं है। देश तो हमारा एक है। भारत संघ के अन्दर हम सब एक इकाई होंगे। भारतीय संविधान की तरफ से जो पावर बांटी गई है अगर कोई प्रांत अलग हो जाता है तो उससे देश को कोई खतरा नहीं है और न हमारी सरकार को जो इस समय पावर में है यह भावना लेनी चाहिये। जो लोग देश के, प्रांत के विभाजन की मांग करते हैं वह गलत है। इस पुस्तिका को देखने का जो मौका मुझे मिला है उसे देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि एक किस्म का पैच-वर्क किया गया है और जो चीज केंद्र को सिफारिश के तौर पर दी जा रही है वह भी पैच-वर्क के आधार पर दी जा रही है। यह भी सही है कि पणिक्कर महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उनको हमारी सरकार भी रिफ्यूज नहीं कर सकती कि यहां शिक्षा में बहुत कमी है, कई बातों में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश यह कहता है हमारा राज्य बहुत विकसित और समृद्ध है तो वह भी गलत होगा क्योंकि आंकड़ों को देखने से यह साबित नहीं होगा और जितने उन्होंने आंकड़े या सेन्सस रिपोर्टस आदि के दिये भी हैं उनसे यह साबित नहीं होता कि वे प्रमाणित आंकड़े हैं और इसके कहने में कोई लज्जा की बात नहीं होगी अगर यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। लेकिन इसका दोष किस पर है? जो भावनायें प्रदर्शित की गईं कि उत्तर प्रदेश विभाजित किया जाय इसका उत्तरदायित्व किस पर है? सन् ४६ से लेकर इस देश के अन्दर जो कार्यवाहियां हुई हैं और जिस प्रकार से भेदभाव की नीति बरती गई है उसी के फलस्वरूप यह मांग की जा रही है। जब किसी चीज का बीजारोपण हो जाता है और पानी उसे मिलेगा तो वृक्ष उत्पन्न होगा, उसके बीज होंगे, वह पेड़ उखाड़ भी दिया जाय तो जो बीज पड़ चुके हैं उनसे नये पौधे होंगे। इसलिये इस दृष्टिकोण से हम इस पृष्ठ को देखेंगे। अगर विकास की बातों को लेते हैं तो हम न पूर्वी जिलों में आते हैं और न पश्चिमी जिलों में आते हैं। हम तो पहाड़ी जिलों में आते हैं। हम तो पहाड़ी जिलों के रहने वाले हैं।

पणिक्कर महोदय ने अपनी डिसेंट रिपोर्ट में पहाड़ी जिलों का जिक्र करते हुये कहा है, "There is or can be very little in common between the still nomadic inhabitants of the Garhwal and Kumaon Himalayas." तो हम तो नोमेडिक हैं और आगे भी नोमिडिक रहेंगे। अगर पिछड़ा हुआ इलाका यू० पी० का कोई हो सकता है तो पूर्वी हो सकता है, दक्षिणी इलाका भी हो सकता है लेकिन सबसे पिछड़े हुये लोग हम हैं। हम देखते हैं कि पेप्सू से लेकर हिमाचल प्रदेश और मनीपुर से लेकर आसाम तक का विस्तृत वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है और ये सुझाव दिये गये हैं कि उनको विकसित करने के लिये क्या-क्या करना चाहिये और उनको क्या-क्या सेफगार्ड देने चाहिये। यह भी कहा गया है कि उनके लिये अलग बोर्ड बनाना चाहिये और जहां तक हमने अखबारों में देखा है कि आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह भी तय किया है कि हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य मान लिया जाना चाहिये क्योंकि वह बहुत पिछड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा भी एक पड़ाही प्रदेश है। अगर हम उसके एरिया पर आते हैं तो वह १९,४७१ वर्ग मील है और आबादी २५,२१,९०० के लगभग है। यह एरिया उत्तर प्रदेश का १/५ हिस्सा है। अगर भाषा का प्रश्न लिया जाय तो दो भाषायें हैं, एक गढ़वाली और दूसरी कुमायूंनी। गढ़वाल का क्षेत्रफल ११,३४४ वर्ग मील है और उसकी आबादी १४,१३,६७७ है। इस प्रकार से इतना बड़ा एरिया है और छोटी सी पापुलेशन है। कुमायूं डिवीजन के अन्दर जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी शामिल हैं, केवल १६ प्रतिनिधि हैं जबकि जैसा कि माननीय कृषि मंत्री ने कहा बस्ती से, देवरिया से या बलिया से, एक-एक जिले से उतने प्रतिनिधि आते हैं।

अगर विकास को लिया जाय तो मैं अपने जिले का उदाहरण देता हूं। १९४६ से लेकर आज तक, जब कि वहां आने-जाने के कोई साधन नहीं हैं, सिर्फ १० मील सड़क बनी है। उसके अलावा सड़कों का कोई कार्य नहीं हुआ है। अन्य जिलों में रेलवे हैं, हवाई जहाज हैं, सड़कें भी हैं, उसके अलावा साइकिलें भी चलती हैं। लेकिन हमारे गढ़वाल

[श्री गंगाधर मैठाणी]

के अन्दर दस वर्षों के अन्दर सिर्फ दस मील सड़क बनती है। एक वर्ष में एक मील सड़क बनायी जाती है। तो क्या इससे लोगों की भावनाएं खिलाफ नहीं होती हैं? मैं अपने जिले की बात कहता हूं, क्योंकि और जिलों का मुझे उतना अनुभव नहीं है। हमारे निकट में हिमाचल प्रदेश है। उसको पिछले दिनों में भारत सरकार ने साढ़े आठ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है जिसके कारण वहां सैकड़ों हजारों मील सड़कें बनी हैं। लेकिन हमें एक पैसा भी भारत सरकार से नहीं मिला। इसका दोष किसके ऊपर है? इस सरकार के ऊपर ही कहा जायगा। इस सरकार के दोष के कारण और वहां की गरीब जनता की आवाज न होने के कारण उसको कोई सहायता नहीं मिली। कल माननीय नरदेव शास्त्री जी ने कहा कि वे देहरादून से आये हैं। वहां ८० प्रतिशत सैकड़ा आबादी गढ़वालियों की है और उनकी मांग थी कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से मिला दिया जाय। हम अपने को हिमाचल प्रदेश से आगे समझते हैं, हमारी शिक्षा भी उनसे अधिक है। हमारी हिमांचल प्रदेश में जाने की भावना नहीं है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। इस प्रदेश में बड़े-बड़े शहर हैं, और हमारा इससे सम्पर्क भी बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर लोग यह भावनाएं प्रदर्शित करते हैं तो इस सरकार को उधर ध्यान देना चाहिए। आज भी लोगों की यह भावनाएं नहीं हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में मिलें। लेकिन हम देखते हैं कि केन्द्र से हिमाचल प्रदेश को साढ़े आठ करोड़ की सब्सिडी मिली, लेकिन हमको एक पैसा नहीं दिया गया। उसका क्या कारण है? कहा गया है कि पेइंग कैपेसिटी आफ टैक्स के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहां गढ़वाल, यहां तक कि समस्त कुमायूं के अन्दर टैक्स की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो क्यों नहीं, सेंटर से सब्सिडी दी गयी? क्यों इस सरकार ने प्रयत्न नहीं किया? मैं तो कहता हूं कि इसके लिए एक अलग बोर्ड बना दिया जाय और उसके द्वारा उस हिस्से का विकास किया जाय। वहां की जो हालत है उसको कहने का यह विशेष अवसर नहीं है। प्रदेश के अन्दर जो लोगों की भावनायें हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने सहारनपुर के इलाकों में भी और-और इलाकों में भी देखा, अगर इसको कहा जाय कि हम इसको दबा देंगे तो यह गलत काम होगा। जैसा अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं या जैसा आन्ध्र में हुआ कि जब वहां पर ऊधम हुआ, तब जाकर कांग्रेस झुकी, तो वैसा ही अगर यहां भी सोच रहे हों तो यह एक गलत चीज होगी। इस आधार को जो कि चल रहा है, जैसी आज लोगों की भावनायें हैं, इसको लेना चाहिए और इस पर सीरियसअली सोचना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट में कहीं पर लिखा हुआ है कि पहाड़ आलवेज इज नाट बैकवर्ड? तो शायद पेप्सू, हिमांचल प्रदेश से आसाम तक कहीं पर शायद ऐसा हो सकता है। मुमकिन है नैनीताल का जिला बैकवर्ड न हो क्योंकि मार्शल बुलगानिन अभी नैनीताल के कालोनाइजेशन वाले इलाके को देखने गये हैं, इस तरह से कहा जा सकता है कि वह बैकवर्ड नहीं है लेकिन ऐसे इलाके बहुत ही कम हैं। मैं तो कहता हूं कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी उसकी केवल दो तहसीलों को छोड़कर बाकी उसका सारा हिस्सा उतना ही बैकवर्ड है जितना कि गढ़वाल और टेहरी का पूरा इलाका है। इसलिये यह देखने की आवश्यकता है कि यह जो भावना फैल चुकी है, इसका दोष किसके ऊपर है और उस दोष को हम तो देखते हैं कि वह सरकार के ऊपर है और उसके अनफेयर डिस्ट्रिब्यूशन के कारण हैं। अनफेयर डेवलपमेंट प्लान के कारण यह भावनायें उत्पन्न हुई हैं और होंगी। जब तक कि सुधार नहीं किया गया तब तक यह बढ़ती जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, कल से आज तक अनेक भाषणों के साथ-साथ मैंने मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री के भाषण सुने। कृषि

मंत्री का भाषण बहस में रूखेपन को हटाने के लिए था इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। किन्तु मुख्य मंत्री के भाषण से मुझे सन्तोष नहीं मिला और वित्त मंत्री के भाषण से मुझे निराशा हुई। मुख्य मंत्री जी बनारस के रहने वाले हैं और ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री होते हुए भी सब से बड़ा सूबा वह बनारस के आसपास ही देखना चाहते हैं। यदि यह बात न होती तो वह केवल रिहैंड डैम के आस-पास के बघेलखंड के इलाके की ही मांग न करते अपितु माताटीला बांध के आसपास के इलाके की भी मांग भारत सरकार से करते। उन्होंने कहा कि मैं खनिजों की दृष्टि से बघेलखंड को चाहता हूं और इस दृष्टि से भी बघेलखंड को चाहता हूं कि वहां पर रिहैंड डैम के लिए कुछ जरूरत जमीन की होगी। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि माताटीला के बांध के लिए जिसमें कि यह सरकार करोड़ों रुपये व्यय करने जा रही है उसके आसपास के इलाके की उत्तर प्रदेश को जरूरत क्यों नहीं है? मेरा तो विचार है कि मुख्य मंत्री जी ही नहीं उनके पड़ोस के दूसरे बनारस के मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहते हैं। अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि डेवलपमेंट की दृष्टि से पश्चिमी जिलों की कोई उपेक्षा नहीं की जा रही है और इसके लिए वह आंकड़े देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आंकड़े नहीं दिये। मैं आंकड़े न देना चाहता था और न आज देना चाहता हूं लेकिन मैं उनसे और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी जिलों की पिछले दिनों उपेक्षा नहीं की गई। मुझे इस सदन में वित्त मंत्री जी का वह भाषण याद है जब कि उन्होंने मरोड़ा डैम के सम्बन्ध में यह कहा था आज से कई वर्ष पहले कि जब मरोड़ा बांध बन जायगा तब गढ़वाल न केवल कश्मीर को मात करेगा अपितु स्विटजरलैण्ड को भी मात करेगा। मैं उनसे पूछूं कि जब वह मंत्री थे बिजली के और नहरों के तब तो मरोड़ा बांध बनने की योजना थी, लेकिन अब वह योजना कहां चली गई? मेरा ख्याल है कि मरोड़ा बांध की योजना की उपेक्षा केवल इस कारण हो रही है कि प्रादेशिक सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछूं कि आज से पांच या छः साल पहले देहरादून जिले के डाकपाथर में लाखों रुपया व्यय करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू से आधारशिला रखवाकर डाकपाथर में बिजली घर को क्यों बन्द करवा दिया? और केवल इस बात से यहां की सरकार ने सन्तोष कर लिया कि हमने उस डाकपाथर के खाली बंगलों में टी० बी० का अस्पताल खोल दिया है। देहरादून जिले के श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा डाकपाथर के बिजलीघर के बजाय टी० बी० के अस्पताल से प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन उन जिलों के रहने वाले जो कि मरोड़ा से या डाकपाथर से बिजली पाने की आशा रखते थे उनसे तो पूछिये? क्या यह उपेक्षा की बात नहीं है?

मैंने इसी तरह से पिछले दो तीन वर्षों में मेरठ की यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया। आज शिक्षा मंत्री यहां नहीं हैं। उनको अपने तीन सौ या चार सौ लड़कों वाले २ कालिजों के लिये गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनाने की बात सूझ गयी, लेकिन मेरठ या देहरादून के डी० ए० वी० कालिजों की ओर जिनमें कि हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं और मेरा ख्याल है कि मेरठ कालिज में साइन्स के जितने विद्यार्थी हैं उतने शायद सारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं है, वहां यूनिवर्सिटी के लिये उनको प्रेरणा नहीं मिलती। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी जिलों की उपेक्षा की जाती है? मेरा विश्वास है कि पश्चिमी जिलों की पिछले दिनों उपेक्षा की गयी है। इसके साथ ही मैं आप से यह भी कहता हूं कि ठीक है कि उपेक्षा हुई और आज भी होती है, लेकिन अब कुछ दिनों से एक दूसरी रागिनी सुनायी देती है। चकरौता के ठंडे पहाड़ों में पहुंच पर नियोजन मंत्री ने कहा है कि हम मेरठ में यूनिवर्सिटी बनायेंगे, लेकिन इधर अक्तूबर महीने में ही हमारे न्याय मंत्री ने यहां एक सवाल के जवाब में यह भी कहा है कि चाहे स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश भले ही रही हो, लेकिन हम मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की इच्छा नहीं रखते।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

तो मैं यह कहता हूं कि यह उपेक्षा तो सदा से कायम है। किन्तु मेरा यह भी विश्वास है कि चाहे डेवलपमेंट हो या न हो, केवल डेवलपमेंट को प्रांत के विभाजन का आधार न बनाना चाहिये। प्रांत का विभाजन होना चाहिये भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के आधार पर। हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिले दिल्ली और अम्बाला के रोजन से मेल खाते हैं। इस प्रदेश का रहने वाला एक-एक व्यक्ति हिन्दी की बात करता है और हमारे मुख्य मंत्री ने भी कल बहुत सी बातें इस बारे में कहीं और यह कहा था कि हिन्दी भाषा का एक प्रदेश क्यों न बने? लेकिन मुझे दुख यह है कि हिन्दी प्रदेश की वह ६०-७० लाख जनता जो यमुना के पार रहती है और जिसको अम्बाला डिवीजन में रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है उसको इस प्रदेश के निवासी हमेशा के लिये भूल जाते हैं। हममें से किसको पता है कि मथुरा की सरहद का एक-एक गांव आज पंजाबी पढ़ता है चाहे वह ब्रज भाषा घर में बोलता है? यही क्यों, गुड़गाव, रोहतक, करनाल और अम्बाला जिलों की रहने वाली जनता जहां कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ससुराल है और ठाकुर फूल सिंह का घर है, वहां के लोग हिन्दी बोलते हैं घर में, लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि पंजाब के साथ नत्थी हैं इसलिये उनको पंजाबी और गुरमुखी में पढ़ने के लिये लाचार होना पड़ता है। तो मैं क्या पूछ सकता हूं अपने मुख्य मंत्री से कि क्या वह इलाके इसी प्रकार हमसे जुदा बने रहें? यदि आप उनको हिन्दी से हटाकर पंजाबी के घर में नहीं सौंपना चाहते हैं और यदि चाहते हैं कि हिन्दी के वह बने रहें तो उन प्रदेशों का दिल्ली और अम्बाला डिवीजन का, भी आपको इलाज निकालना होगा। और वह इलाज दो तरह से निकल सकता है। एक इलाज तो यह है कि उत्तर प्रदेश और बड़ा हो जाय और वह जिले इसी में शामिल हो जायं किन्तु अगर वह मंत्री जोकि आज भी यमुना से पार के इलाके को अपना नहीं गिनते, अगर उसको अपने में शामिल करने में संकोच करते हों तो दूसरा इलाज वही है जो हम कहते हैं कि इस प्रदेश के कुछ जिले इसमें से काट कर और अम्बाला और दिल्ली में मिलाकर एक नये प्रदेश की रचना करें। इतिहास ने बतलाया है कि सन् १८५७ तक अवध और आगरा जुदा थे। और यह भी हमसे कहा जाता है कि प्रदेश के रुपये से गंगा की नहर बनी थी, उस कर्जे को पहले उतारो तो आगे बात करें। अवध वाले सोचें कि जब वे सन् १८५७ तक इस सूबे में थे ही नहीं और गंगा की नहर १८४८ में बन गयी थी तो उनको यह कहने का क्या हक है कि उस नहर के कर्जे को पहले उतारो तो अगली बात हम करेंगे? जो फायदा हुआ उससे उसको तो मैं इसलिये नहीं कहता हूं क्योंकि उसको तो अवध वालों ने हिस्से में डाल लिया है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कमीशन ने यह कहा है कि दिल्ली में प्रजातंत्र सरकार नहीं रहनी चाहिये और वहां पर केवल कार्पोरेशन बन जाना चाहिये। मैंने दुनिया की थोड़ी सी तवारीख पढ़ी है। मैंने यह पहला इतिहास का पन्ना देखा है कि किसी इलाके को आप जनतंत्र सौंप दीजिये, उसको असेम्बली दीजिये और फिर बिना किसी कसूर के उससे छीन लीजिये इसलिये कि पास-पड़ोस वाले प्रदेशों की इच्छायें पूरी हो सकें। मैं पूछता हूं कि जब दिल्ली प्रदेश को विधान सभा आपने दे दी तो फिर उसे छीनने का आपके पास क्या आधार है? लोग कहते हैं कि दुनिया की और राजधानियों में भी ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अव्वल तो दो प्रकार के देश हैं, एक तो वे जिनमें एक ही भाषा और एक ही जाति वास करती है, जैसे कि इंग्लैन्ड और फ्रांस। उनकी राजधानियों के प्रतिनिधि वहां की पार्लियामेंट्स में जाते हैं। एक दूसरे तरह के देश जोकि फेडरल कहलाते हैं, उनकी राजधानियों में यह सवाल जरूर उठता है कि उन राजधानियों को जनतांत्रिक शासन का आनन्द मिले या न मिले। कहा जाता है कि वाशिंगटन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, वह इसलिये प्राप्त नहीं है कि जो १३ रियासतें अमरीका की स्थापना के समय बनी थीं उनके पास राजधानी कोई नहीं थी। उनको बाद में राजधानी बनानी पड़ी और उन्होंने राजधानी को इस सुख से वंचित रखा। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया की छेहों रियासतों ने बहुत दिनों के बाद सोच कर इसी सदी में अभी हाल में कैनबरा की स्थापना की और यह फैसला किया कि वहां के चन्द हजार आदमियों को हम वोट

का अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन आज मुख्य मंत्री जिन महाशय का स्वागत करने के लिये तराई में गये हैं, मार्शल बुलगानिन का, उनके देश में क्या है ? मास्को सारे सोवियट यूनियन की भी राजधानी है और रशिया नाम की रिपब्लिक की भी राजधानी है। यानी रशिया नाम के राज्य की भी राजधानी है और सोवियट यूनियन की भी राजधानी है। रशिया की रिपब्लिक बाल्टिक से शुरू होती है और पूर्व में पैसिफिक सागर में जाकर समाप्त होती है। मास्को दोनों की राजधानी है और दोनों की असेम्बलियों में अपने प्रतिनिधि भेजती है। तो फिर दिल्ली को यह अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये ? हां, यह हम कह सकते हैं कि दिल्ली छोटा है इसलिये उसको बड़ा बनाया जाय जैसे कि मास्को के चारों ओर के प्रदेश को रशिया में बनाया गया है। तो फिर दिल्ली नाम हो, आगरा नाम हो या और कोई नाम हो, एक पश्चिमी प्रदेश की स्थापना आवश्यक हो सकती है। उसमें दिल्ली हो, अम्बाला कमिश्नरी हो और इस प्रदेश के पश्चिमी जिले हों। इन जिलों को मिलाकर हम एक नये हिन्दी राज्य की स्थापना करते हैं।

मैं, श्रीमन्, आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने इतिहास की दृष्टि से बतलाया कि सन् १८५७ तक अम्बाला डिवीजन और दिल्ली इस राज्य में रहे थे। भूगोल की दृष्टि से आप देखिये तो अम्बाला डिवीजन वर्तमान पंजाब से ताल्लुक नहीं रखता। हमारे पिछले मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि राम और कृष्ण की जन्मभूमि इकट्ठी रहनी चाहिये। मैं उसे स्वीकर करता हूं। लेकिन कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को पानी अगर मिलेगा तो राम की जन्मभूमि सरयू से नहीं मिलेगा, वह मिलेगा गंगा या भाखरा की नहरों से जो कि अम्बाला डिवीजन के उस सिरे पर विद्यमान हैं जो कि हिन्दी बोलता है। भाखरा के चारों तरफ हिन्दी भाषा बोली जाती है। आप जबरदस्ती इसको पंजाबी गिनते हैं। आप अम्बाला को अपनी ओर लीजिये और उससे आने वाले सिंचाई के साधनों से मथुरा और आगरा को हरा भरा कीजिये। यह नहीं हो सकता है कि रामचन्द्र जी की सरयू मथुरा को हरा भरा कर दे, वह प्रकृति के विरुद्ध चीज है। आपको प्रकृति के अनुसार करना होगा तभी आप सफल हो सकेंगे और आगरा हरा भरा होगा और मथुरा भी हरा भरा होगा, अम्बाला में हिन्दी भाषा पनपेगी, दिल्ली में हिन्दी पनपेगी और ये दोनों पश्चिमी जिलों के साथ-साथ इस नये राज्य का निर्माण करेंगे जो न अपने आप में सेल्फ सफीशियेंट होगा बल्कि सेंटर द्वारा अगर रुपया ज्यादा होता है तो पूर्वी प्रदेश को जिसे कंगला कहा जाता है, मदद दे सकेगा।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय ! मैं मुख्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव इस सूबे के रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में सदन में प्रस्तुत किया है, उसको सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे अफसोस है कि मेरे बहुत से पश्चिमी जिलों के दोस्त जिनकी तमन्ना मुझसे होगी कि मैं भी उनके साथ सूबे के बंटवारे के समर्थन में अपने विचार प्रगट करूं तो उनको थोड़ी सी नाउम्मीदी होगी। मैं चाहता हूं कि वह मुझे माफ करें।

इस सूबे के बंटवारे के लिये हमें कई दृष्टिकोण से सोचना होगा। एक ही बात मुख्यतः बहुत से लोगों ने कही है और जिसका ताल्लुक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से है, और इसी बात को लेकर हम गम्भीर नतीजे को सोचने लगें कि सूबा दो हिस्सों में तक्सीम हो जाना चाहिये तो उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है। जहां तक इस सूबे के पुनस्संगठन का ताल्लुक है, जैसा कि दूसरे दोस्तों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया उसका ताल्लुक भाषा और सभ्यता से जरूर है और अगर उसको लेकर कसौटी पर कसें तो कहीं भी तत्व नजर नहीं आता है कि सूबे को तकसीम कर दिया जाय। अब सवाल यह रहता है कि दूसरे सूबों के कुछ हिस्सों को मिला दिया जाय। अगर जरूरत है मिलाने की जैसा कि शास्त्री जी ने फरमाया तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मिल सकते हैं। अम्बाला डिवीजन की बात कही वह मिलाया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूब सिंह]

जा सकता है। लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा मिलाने के लिये सूबे को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ जाय तो इससे ज्यादा दोषपूर्ण विचार दूसरा नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि आप देखें कि इसको ज्योग्राफिकली भी सोचना चाहिये। अगर हम सोचें कि आपके सूबे का बटवारा होना चाहिये या नहीं तो मेरा ख्याल यह है कि यह मुनासिब नहीं है। हमारे पानी के बांटने वाले जो ऊंचे स्थान हैं वह सहारनपुर के पश्चिम में है, वह हमीरपुर बांदा के करीब है। दक्षिण में जिसे विन्ध्याचल की शाखा कहा जाता है, वह मथुरा के करीब है, एक तरफ हिमालय है। सब दरियाओं का बहाव ऊपर से पूरब की ओर चला जाता है और दक्षिण का उत्तर की तरफ आता है। अगर ज्योग्राफिकली भी देखें तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर बाढ़ के सिलसिले में कुछ काम हो सकता है तो उसके लिये जो पानी के विभाजन के ऊंचे स्थान हैं, उसके लिये सूबे को एक ही रखना होगा तभी हम बाढ़ पीड़ितों की बला को टाल सकेंगे। इस तरह से आप सोचें कि जितना सूबा इस समय हमारे पास है वह ऐसा ही रहना चाहिये और उसके दो हिस्से कर देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं पश्चिम के साथियों से जो चाहते हैं कि सूबे का बंटवारा हो जाय। सूबे की बटवारे की जो योजना और जो नकशा उन्होंने पेश किया है इस भवन के सामने और इसके बाहर भी, उसमें कहीं भी इस सूबे के उत्तर में जो बड़ा वन का प्रदेश है उसका कोई जिला भी, कोई हिस्सा भी शामिल नहीं किया गया है। सूबे के पश्चिमी जिलों के रहने वालों से बगैर पूछे-गछे इतने बड़े रिसोर्सेज से उनको वंचित कर देना मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। वन के जो रिसोर्सेज हैं वह बहुत बड़े हैं और उनसे सूबे की खुशहाली पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि जो हिस्सा इस सूबे से निकाला जाय उसको उस वन से अलग कर दिया जाय। वहां केवल लकड़ी का ही फायदा नहीं है बल्कि बहुत सी इंडस्ट्रीज वहां चल रही हैं और कितनी ही इंडस्ट्रीज चल सकती हैं जिनका कि अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, केवल उम्मीद की जा सकती है।

एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं। कुछ लोगों का दृष्टिकोण यह भी है कि चूंकि पूर्व के कुछ जिले हमेशा डेफिसिट एरियाज रहते हैं और वहां पैदावार बहुत कम होती है, आबादी वहां ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा आती है इसलिये उनका ख्याल है कि उनकी वजह से पश्चिम के जिलों की माली हालत पर फर्क पड़ता है। उनके काम में कुछ कमी आती है। यह बात है और सही है। इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता। लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह हमारा एक बड़ा खान्दान है? एक बड़ा घर है और मुख्तलिफ किस्म के भाई हमारे यहां रहते हैं। कुछ की माली हालत अच्छी है और कुछ की खराब है। तो जिनकी हालत कुछ खराब है उनकी हालत हम अच्छी न बनायें, जो पीड़ित हैं अकाल से, बाढ़ से, उनकी तरफ हम ध्यान न दें और खुदगर्जी को आधार मान कर एक नया तरीका निकालें और हम उनसे अलग हो जायं, यह मेरे ख्याल से इंसानियत के नुक्ते निगाह से कोई उम्दा पालिसी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह विचार भी थोड़े अर्से के बाद अच्छा साबित नहीं होगा। यह बात जरूर है कि वहां कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत है लेकिन वहां दो-तीन इंडस्ट्रीज ऐसी डेवलप हो चुकी हैं कि जिनसे इस सूबे को बहुत बड़ी आमदनी होने वाली है। मिसाल के लिये सीमेंट की फैक्टरी और रिहन्द डैम का मैं खासतौर पर जिक्र करता हूं। एक दो और भी होने वाली हैं। तो जिन चीजों में हम आज पैसा खर्च कर रहे हैं, भले ही वह पश्चिम में खर्च न हो रहा हो और वह पूर्व में ही खर्च हो रहा हो लेकिन उनसे बहुत जल्द ही काफी पैसा वापस आने की उम्मीद है और उनसे इतना पैसा आयेगा सीमेंट फैक्टरी और रिहन्द डैम से, कि जितना हम आज पूर्व वालों पर खर्च कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा हमें वापस मिल जायगा। लखनऊ में सारे सूबे का पैसा जमा होता है चारों तरफ से आकर यहां एक पूल हो जाता है और फिर वह किस तरह से सारे सूबे में जाकर खर्च होता है? उस पैसे की बारिश सारे सूबे में होती है। यहां से बादल उठते हैं और सारे सूबे पर जा

बरसते हैं। अगर यह मान लें कि आज कुछ ज्यादा बादल पूर्व की तरफ चले जाते हैं तो यह बात कुछ ज्यादा टिकने वाली नहीं है। जब पूर्व से ज्यादा पैसा आने लगेगा तो फिर यह बात नहीं रहगी जो कि आज है। यह डेफिसिट एरियाज, देने वाले एरियाज में शामिल हो जायेंगे। अब रही बात यह कि रिहन्द डैम वहां क्यों बना दिया? यह तो वहीं बनेगा जहां उसकी सिचुयेशन होगी। सीमेंट की फैक्टरी अगर कोई चाहे कि बिजनौर में बनाई जाय तो वह नहीं बन सकती। तो इस नुक्ते निगाह से मैं कहता हूं कि चन्द रोज में हम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप कर लेंगे और तब यह बात नहीं रह जायगी। तो अगर हम खुदगर्जी को छोड़ कर इस बात को देखें और समझें कि जल्दी ही यह सारा सूबा खुशहाल होने वाला है तो मैं समझता हूं कि पश्चिम वाले इस कलंक की बात को अपने ऊपर लेने के लिये तैयार न होंगे।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मैं समझता हूं कि जो चीज विचार करने की है वह यह है कि यह सूबा काफी बड़ा है और इसकी बाउन्डरी दूसरे कई सूबों से मिलती है। मध्यभारत से मिली हुई है और बिहार से मिली हुई है लेकिन यह जो नेपाल है यह तो फारेन देश है जैसा कि हमने माना है। तो एक ऐसा सूबा जिसकी बाउन्डरी फारेन कन्ट्री से मिली हुई है वह सूबा ताकतवर होना चाहिये। वह बड़ा सूबा रहना चाहिये मैं यह कह सकता हूं कि चाहे इस सूबे में और किसी सूबे का थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल किया जाय तो कोई शिकायत नहीं है। अगर बुन्देलखंड का हिस्सा इसमें आ जाय तो ठीक है लेकिन इन हिस्सों को मिलाने के लिये इस सूबे के दो टुकड़े कर दिये जायं यह बिल्कुल गलत होगा हमारी स्टेट को ताकतवर होना चाहिये। इसके दो टुकड़े करने से यह कमजोर स्टेट हो जायगी। फिर कमजोर स्टेट होने के जो नतीजे होते हैं वह सब बरदाश्त करने पड़ेंगे। एक बात यह कही गयी कि हमको प्रबन्ध के नुक्ते से भी इसको देखना चाहिये कि हमको बड़ी स्टेट रखने में फायदा है या छोटी स्टेट रखने में फायदा है। मैं यह मान सकता हूं कि मुमकिन है किसी वजह से किसी-किसी जगह पर कुछ कमजोर प्रबन्ध हो या किसी समय यह कहा जा सके कि वहां पर किसी जिले का दौरा कम किया गया। मुमकिन है यह बात हो मैं इसको मान सकता हूं लेकिन प्रबन्ध की बात ऐसी है कि अगर यह तय किया जाय कि प्रबन्ध अच्छा करना है तो फिर प्रबन्ध अच्छा हो जायगा और अगर नहीं चाहते हैं तो जितना अच्छा है वह भी नहीं रहेगा। लेकिन बड़ी स्टेट का नहीं हो सकता है और छोटी स्टेट का अच्छा प्रबन्ध हो सकता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं क्योंकि जितनी छोटी स्टेट हिन्दुस्तान में हैं, उनके प्रबन्ध से इस सूबे के प्रबन्ध को मिला कर देखा जा सकता है। छोटी स्टेट का प्रबन्ध अच्छा नहीं होता बल्कि और खराब होता है, यह तजुर्बे ने बतलाया है उसका बहुत बड़ा कारण है। छोटी स्टेट से अच्छे आदमी का निकलना मुश्किल है क्योंकि उसका एरिया थोड़ा होता है इसलिये वहां से उम्दा आदमी नहीं मिलते हैं लेकिन बड़े एरिया से और बड़ी स्टेट में कहीं न कहीं से उम्दा आदमी निकल आयेंगे, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो वहां से ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये अच्छे आदमी मिल जायेंगे। इसलिये बड़ी स्टेट का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है।

एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर प्रबन्ध को सुधारने का सवाल है तो जिसको सुधार लेंगे, किसी सूबे के बंटवारे से वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो सकता है। उतना बड़ा हमारा सूबा है और पणिक्कर साहब ने जो बातें अपनी रिपोर्ट में कहीं हैं मिलजुमला उन बातों के यह भी कहा है कि यू० पी० इतना बड़ा सूबा है जिसका असर मरकज पर पड़ता है। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से यह बात उन्होंने कही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जो प्रतिनिधि हैं, वह स्टेट बेसिस पर नहीं हैं। वहां पर तो सब लोगों की राय का हक है, जो लोग वहां पर आते हैं चाहे वह बड़े हिस्से से आते हों या छोटे सूबे से आते हों, कम जाते हों या ज्यादा जाते हों लेकिन उनके सामने तो सारे भारतवर्ष का नक्शा रहता है चाहे वह किसी पार्टी के हों। वहां पर वही मामले तय होते हैं जो कि पार्टी मीटिंग में तय हो जाते हैं, वही बातें मरकज में तय हो जाती हैं। फिर यह सवाल कहां से आता है कि यह सूबा बड़ा है और यहां से ज्यादा प्रतिनिधि जाते हैं? यह बात इस दृष्टिकोण से जरूर है कि जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से

[श्री खूब सिंह]

हमारा रिप्रेजेन्टेशन वहां पर नहीं मिला हुआ है। हमें उसस कम मिला हुआ है। हमको पार्लियामेंट में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। वहां पर हमको कम मिला हुआ है। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि हमारा सूबा जो देहरादून से बलिया तक फैला हुआ है और झांसी से लेकर गढ़वाल तक फैला हुआ है, इसकी एकता के किसी प्रकार से भी दो टुकड़े करने का कोई मौका नहीं है। अगर बटवारे पर आप जनमत लें तो अपने बिजनौर जिले की बात मैं कह सकता हूं कि वह इसको नहीं चाहेगा। रावत साहब ने कहा था कि गोरखपुर के दो हिस्से कर दिये तो सूबा भी तकसीम होना चाहिये। इस उसूल को मान लिया जाय तो हिन्दुस्तान के और कई टुकड़े हो जावेंगे। हमने उसके दो हिस्से जिले के प्रबन्ध के लिहाज से किये, लेकिन सूबे का प्रबन्ध तो एक है। यह कोई दलील नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं दो शब्द प्रस्ताव के पक्ष में कह सकूं।

प्रान्तों के पुनर्निर्माण की योजना आज की नहीं है। सबसे पहले लार्ड कर्जन ने १९०३ में इस योजना को चलाया था। उसके बाद फिर १९१८ में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से इस प्रकार की योजना आई। सन ३६ में बाउन्डरी कमीशन ने इस बात की कोशिश की। उस समय केवल सिन्ध और उड़ीसा के दो प्रान्त बन सके। सन् १९५१ में जब नया विधान आया तो प्रदेशों के बटवारे की समस्या आई। आन्ध्र में भी इस प्रकार का प्रश्न आया और दक्षिण भारत में तूफान आया। कांग्रेस ने भाषा और राज्य प्रबन्ध के हिसाब से प्रान्त बनाये थे लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के बारे में कभी नहीं सोचा था कि इसके टुकड़े किये जावें। हमारे प्रदेश की भाषा, लिबास, संस्कृति और रहन-सहन एक-सा है।

यह कहा गया कि पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों का पालन-पोषण होता है। मानवता का तकाजा है और मैं उस बात की याद दिलाना चाहता हूं, जहां से इसकी बुनियाद पड़ी। कहा गया कि पश्चिम के ९७ एम० एल० एज० ने दस्तख्त करके इस प्रकार की बटवारे की रिपोर्ट कमीशन के पास भेजी। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन और व्यावहारिक दृष्टि से हमारा फर्ज था कि जिन लोगों ने दस्तखत करके कमीशन के पास भेजा....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पार्टी की बातें यहां न कही जावें तो अच्छा होगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---मानवता की दृष्टि से अगर हम पिछड़े हुये पूर्वी जिलों की सहायता न करें तो यह भी कहा जा सकता है कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनकी भी सहायता नहीं करनी चाहिये। श्री खूबसिंह जी ने इन्डस्ट्री और बिजली के डेवलपमेंट के बारे में कहा मैं उनका समर्थन करता हूं। पश्चिमी जिलों के लोग सोचते हैं कि उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी है, लेकिन थोड़े दिन बाद यह स्थिति आ सकती है कि पूरब के जिले ही पश्चिमी जिलों की मदद करें। हमको एक कुटुम्ब के नाते अपने लाभ और हानि को सोचकर चलना चाहिये। श्री दीनदयालु शास्त्री जी ने अम्बाला जिले के बारे में कहा। मैं हाथरस और अलीगढ़ के इलाके का रहने वाला हूं। हमसे पंजाब मिलता है और बृजभाषा बोली जाती है। अम्बाले में हिन्दी जरूर बोली जाती है, लेकिन उसमें उर्दू और पंजाबी के शब्द अधिक होते हैं। अम्बाला को मिलाने से कोई नुकसान नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अपने प्रदेश में कोई मिनरल्स नहीं हैं और दक्षिण में रीवां का जिला अगर मिला लिया जाय तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। वहां के लोग भी हमारे प्रदेश में मिलना चाहते हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। पहले भी रीवां उत्तर प्रदेश में शामिल था। दतिया मिलाने के लिए भी इस प्रकार की चर्चा चल रही है। उसे भी मिलाने में कोई हानि नहीं है। दो-चार और छोटे-मोटे इलाके इसमें आ जावें तो कोई हर्ज नहीं है। हमें यह सोचकर चलना चाहिये कि उत्तर प्रदेश सम्पन्न हो।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कल से यह बहस चल रही है और उन सज्जनों के भाषण सुनने का मुझे मौका मिला, जिन्होंने विभाजन के पक्ष में कहा। मैं उस जिले से आ रहा हूं जो कि न पश्चिम में है और न पूरब में कहा जा सकता है। कुछ और ध्यान दिया जाय तो वह पूरब में ही शामिल किया जा सकेगा। इसलिये जो कुछ मैं कहूं उसके मानी यह होंगे कि मैं पूरब के जिलों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के इतिहास में हम देखेंगे कि स्वराज्य प्राप्ति की लड़ाई के द्वारा हम इस भवन में आये हैं। सन् १८५७ के संग्राम से यह प्रेरणा हमारे अन्दर आई कि हम स्वराज्य प्राप्त करें और यहां आकर जनता की सेवा करें। यदि आप गौर से ध्यान दें तो आपको यह भी मालूम होगा कि १८५७ में जो स्वतंत्रता का युद्ध हुआ उसकी पहली चिनगारी मेरठ में हुई और पूर्व के लोगों ने उस चिनगारी से प्रेरणा ली और बाद में चलकर जो स्वतन्त्रता का संग्राम हुआ उसमें भी भाग लिया। कभी वह इस भावना से नहीं लिया कि पश्चिमी हिस्सा उनसे अलग हो जाय, बल्कि इस भावना से लिया कि सारा ही हमारा प्रान्त है। उसके बाद कभी भी यहां पर पूर्व, पश्चिम या मध्य की बात नहीं आयी, हमेशा यही भावना रही कि हमारा जो प्रान्त है, वह एक विशाल प्रान्त है, उसकी परम्पराएं भी विशाल हैं। जब हमारी हमेशा से ये परम्परायें रही हैं, जब हमेशा से हम इसी भावना से कार्य करते चले आ रहे हैं तो फिर आज यह कौन सी बात हो गयी कि हम अपने में ही अलग हो जाने और छिन्न-भिन्न हो जाने की बात सोचते हैं।

जब हमें सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और स्वतन्त्रता के बाद हमने अपनी भावनाओं के भारत को देखा, फिर हमने यहां भी देखा कि अब हमको अवसर मिला है जब कि हम इस प्रान्त को पूरी शक्ति लगा कर जहां तक हो सके आगे ले जायं। उस समय हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि यह सहारनपुर का जिला है, यह बलिया का जिला है, या झांसी है अथवा यह पूर्व और पश्चिम है। हमने जब कभी इस भवन में किसी बात पर विचार किया, जब कभी अपनी प्रगति के सम्बन्ध में हमने विचार किया तब हमने हमेशा इस भावना से सोचा कि हमें संपूर्ण प्रदेश को आगे ले चलना है। फिर एक ऐसा काल भी आया जब कि सरकार की ओर से ज्यादा रुपया पूर्वी जिलों पर खर्च किया गया और उससे पश्चिमी भाइयों के हृदय में यह भावना पैदा हो गयी कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसी कारण वे सोचने लगे कि हम अलग हो जायं। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ दूसरी ही बात मालूम होती है। आप हमारे बड़े भाई हैं और हम आपके छोटे भाई हैं, आप हमारा हाथ पकड़ कर हमको ऊपर उठायें और आगे अपने साथ-साथ ले चलें, ताकि हम भी आपके बराबर हो जायं और उसी तरह से हम भी फूलें-फलें जिस प्रकार आप फूलते-फलते हैं।

दूसरी ओर अगर आप इतिहास की ओर दृष्टिपात करें तो आपको मालूम होगा कि अवध के किसानों पर १८५७ के बाद कितनी मुसीबतें आयीं। यदि आप आगरा रेंट ऐक्ट और अवध रेंट ऐक्ट को देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि उस कानून के तहत अवध के किसानों पर जो मुसीबतें आयी थीं, उसके मुकाबले में आगरा के किसानों पर बहुत कम मुसीबतें आयीं। लेकिन आज हम और वह सब एक साथ बैठकर एक ही बात पर विचार करके अपने को ऊपर उठाने के लिये प्रयत्नशील हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम सब मिल कर अपने प्रदेश को आगे ले चलें।

पणिक्कर साहब ने भाषा के सम्बन्ध में कहा, उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन पर भी जोर दिया, लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारा प्रान्त हमेशा से ऐसा था और है कि जब हैदराबाद में, तैलंगाना में भयंकर झगड़ा हो रहा था तो यहां की पुलिस ने वहां जाकर उसको शांत किया। नेपाल के बोर्डर पर जब एक आपत्ति आयी

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

थी तो उस वक्त हमारे प्रान्त की पुलिस ने और सरकार के अन्य डिपार्टमेंट के लोग थे, जिन्होंने वहां जाकर उसे शान्त किया और हमको शक्ति दी तथा केन्द्रीय सरकार को भी शक्ति दी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रान्त के एड-मिनिस्ट्रेशन की ओर देखा जाय तो हमारे यहां के आफिशियल्स के सम्बन्ध में जो सेक्रेटेरियट में ऊंचे पदों पर हैं तथा जिलों में ऊंचे पदों पर हैं, उनके सम्बन्ध में कोई नहीं कह सकता कि और प्रान्त के अफसरों के मुकाबले उनकी योग्यता कम है, बल्कि हमेशा यह कहा जा सकता है और कहा गया है कि हमारे प्रान्त के जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं वे अन्य प्रान्तों के मुकाबले में बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा तो यह सौभाग्य है कि हम इतने विशाल प्रान्त का कार्य आज कर रहे हैं। छोटे-छोटे दायरे में रह कर हम उतनी प्रगति नहीं कर सकते हैं, जितनी कि बड़े दायरे में रह कर। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको संकुचित भावना नहीं रखनी चाहिये, बल्कि विशाल हृदय करके हमको आगे बढ़ना चाहिये।

भाषा के सम्बन्ध में भी इस भवन में बातें की गयी हैं। भाषा का मतलब उससे नहीं है जो कि गांवों में बोली जाती है। अगर इस तरह से देखा जाय तो भाषा के सम्बन्ध में कहा गया है और यह कहावत भी है कि बारह-बारह कोस पर भाषा बदलती है। अभी हम लोग जब सहारनपुर कैम्प में गये थे तो देखा कि वहां वही भाषा बोली जाती है जो बलिया, बनारस और इधर गोरखपुर व बस्ती में बोली जाती है, इसमें कोई अन्तर नहीं है। संस्कृति की बात जो कही गयी है कि हमारी संस्कृति में विभिन्नता है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि महज इस प्रान्त में ही नहीं, बल्कि अगर देखें तो महाराष्ट्र और मद्रास में भी बहुत सी बातें आपको दिखलायी पड़ेंगी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में दिखलायी पड़ती हैं। हमारी संस्कृति बहुत विशाल है। अगर इसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें तो दूसरे प्रान्तों में भी हमारी एक ही संस्कृति दिखलाई पड़ेगी, जिसको कि हम यहां देख रहे हैं। क्या यह साधारण गौरव की बात है कि हम इस बात को आज कहते हैं कि हमारे प्रान्त में इतने बड़े-बड़े शहर हैं, बड़े अच्छे-अच्छे और रम्य स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं? आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे इस प्रान्त में मथुरा है, काशी है, प्रयाग है, अयोध्या है, हरद्वार है और उसके साथ यह भी कह सकते हैं कि हमारे इस प्रान्त में बदरीनाथ भी है। जब इस प्रान्त का विभाजन हो जायगा तो फिर हम इस बात को कैसे कह सकेंगे? आप इस तरह से हमको उनसे वंचित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इस गौरव से हटें? मैं यह समझता हूं कि हमारे पश्चिमी जिलों के भाई देहली वालों से प्रभावित हो गये। न मालूम वे क्या सोचते हैं कि यदि वे देहली में मिल जायं तो उनका स्तर केन्द्रीय सरकार का स्तर हो जायगा या क्या हो जायगा मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं यह समझता हूं कि बहुत लालच में न आ जाइये, लालच का नतीजा बड़ा बुरा होता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने और आपने यह संकल्प किया है कि हम इस प्रान्त को हरा-भरा देखना चाहते हैं और इसी तरह का हम कार्य कर भी रहे हैं। अगर हमारे किसी कार्य में त्रुटि हो तो हमें उससे सजग हो जाना चाहिये। इसके लिये विभाजन करने से कोई प्रगति नहीं हो जायगी। अगर हम ज्यादा कार्य करना चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि ज्यादा तरक्की हो तो हमारा कर्तव्य है कि जिस कार्य को हमने अपनाया है, उसको दिलेरी के साथ लेकर चलें और छोटी-छोटी बातों में न पड़कर अपने कार्य को पूरा करें। हमारा विश्वास है कि यहां पर जो बहस हुई है, जो बहुत से सज्जनों ने इसके पक्ष और विपक्ष में कहा है, लेकिन जिन्होंने विभाजन के पक्ष में कहा है वह भी अनुभव करेंगे कि उनकी जो यह भावना है वह उचित नहीं है और जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा था उसका वह भी हृदय से समर्थन करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में यह आया कि मैं किधर की हूं तो मुझे दिखाई दिया कि मेरा जिला बीच का है, वह न पूरब में है न पश्चिम में, बीच की हालत ऐसी होती है कि वह रस्साकशी में न इधर के रहते हैं न उधर के.....

श्री अध्यक्ष—वह कभी-कभी बीच-बचाव कर सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी—बीच ऐसा होता है कि वह बीच में बैलेन्सिन्ग करने की कोशिश करता है। तो मुझे यह कहने में आज हर्ष होता है कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण इस राय के हैं कि हमारे घर का बटवारा न हो और कुछ थोड़े से भाई ऐसा चाहते हैं कि बटवारा कर लें, लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह बटवारा कहीं का भी हो अच्छा नहीं होता और वह सुनने में भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। हमारा घर जितना ही विस्तृत और लम्बा चौड़ा होगा उसमें उतनी ही सुन्दरता होगी, वह उतना ही फले फूलेगा और उतनी ही उसमें सुविधा प्राप्त होगी और उसकी ताकत बढ़ेगी। इसलिये मैं अपने उन भाइयों से अवश्य निवेदन करूंगी कि उनके मन में जो ख्याल है कि अलग हो कर वह बहुत बड़े सम्पन्न और समृद्धिशाली बन जायेंगे, कुछ भाग को छोड़कर वह बड़े समृद्धिशाली बन सकेंगे, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। यहां ६ करोड़ की आबादी है, ज्यादा आदमी हैं और ज्यादा तरह की भूमि है और उसी हिसाब से आज हमारी शक्ति भी उतनी ही अधिक है, उतनी हम और अधिक उन्नति कर सकेंगे। अगर भारतमाता का बटवारा होकर पाकिस्तान न बना होता तो देश की शक्ति और भी अधिक होती। अलग होने से पूर्वी जिलों की हालत बिगड़ जायगी और इस कारण से मैं समझती हूं कि वह भाई इस पर भी फिर से विचार करेंगे। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी हमने आवाज सुनी थी कि एक नया राज्य बनेगा और गूजर, राजपूत और जाट आदि लोगों ने संगठन किया था कि अलग राज्य बनावें, लेकिन अब हमारे यहां जातिवाद बहुत कम हो गया है और फिरकापरस्ती के आधार पर कोई भी सूबा बनना खतरनाक हो सकता है। हमारे प्रदेश का हित इसी में है, उसकी शोभा इसी में है कि प्रदेश एक में रहे। हमने लाबी में कई तरह के नकशे देखे, पणिक्कर जी की स्कीम का नकशा देखा, श्रीचन्द्र जी का नकशा देखा और राजा वीरेंद्रशाह का भी नकशा देखा और मुझे वही राजा साहब का नकशा सब से अच्छा लगा, वही सबसे बेहतर और सुन्दर है। मेरा निवेदन है कि वही नकशा सब से उत्तम है और उसी को हमें मानना चाहिये, क्योंकि देश तभी समृद्ध हो सकता है जब हर तरह की सुविधा उसमें हो। अगर राम और कृष्ण की भूमि बांटी गई तो हमारी आधी संस्कृति खत्म हो जाती है और सुविधायें भी जो आज हैं खत्म हो जाती हैं और जो शोभा है, महत्ता है और जो सरकार की बड़ी भारी शक्ति है, जिसके कारण से आज हमारा मस्तक ऊंचा है वह आधी खत्म हो जाती है। इसलिये राज्य का खण्डन किसी भी प्रकार से न होना चाहिये। इसलिये मैं तो अपनी तरफ से यह कहूंगी कि प्रदेश का बटवारा हम लोगों को किसी तरह से भी मंजूर नहीं हो सकता है।

यह भी सुनते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी जिलों में जो खर्चा होता है उसमें काफी फर्क है, उसी से यह किया जा रहा है कि प्रदेश का बटवारा कर दिया जाय। तो मैं तो यह कहती हूं कि आप भ्रम में न पड़ें और यह कि पूर्वी जिलों ने पश्चिमी का हिस्सा कुछ ले लिया तो वह भी आपके भाई हैं। उन्होंने अगर एक रोटी आपकी ज्यादा खा ली और तुम्हारा हिस्सा कुछ कम हो गया तो इसमें परेशान होना तो एक बहुत छोटी सी बात है। हमें सोचना चाहिये कि हमारा पूर्व तथा पश्चिम सब एक-सा समृद्ध हो, सब एक से प्रगतिशील हों, एक सा ही सब भाग का शिर ऊंचा हो। इसी प्रदेश के पंडित जवाहरलाल जी हैं, इसी की विजयलक्ष्मी जी हैं जो विदेशों में आज भी अपना मस्तक ऊंचा कर रही हैं। इन सब बातों को सोचकर हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं, हमें आपको साथ-साथ रहना है। हमारी जो ताकत है वह दूसरों की रक्षा के लिये हो, दूसरों की भलाई के लिये हो और हम एक साथ रहकर सारे देश को ताकत पहुंचावें और लोग समझें कि हम कैसे इतने बड़े प्रदेश का सुशासन कर रहे हैं। यहां के डेवलपमेंट को यहां की ताकत को देखकर सेंटर से हमें अधिक धन मिले और हमारी तरक्की होती जाय। लेकिन यदि हम छोटे-छोटे

[श्रीमती लक्ष्मी देवी]

टुकड़ों में बंट गये तो उसमें कठिनाइयां बढ़ जायंगी। हमारा धन बंट जायगा, हमारी ताकत बंट जायगी, केंद्र से भी हमें धन कम मिलेगा और इन सब बातों के कारण हमारी तरक्की में बाधा हो सकती है। हमें तरक्की करना है न कि छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने घर को बांटना है, यह अशोभनीय है। इसलिये मैं अपनी राय जाहिर करती हूं कि प्रदेश की एकता बढ़े और प्रदेश में जो खनिज पदार्थों की कमी है उसके लिये बुन्देलखंड और बघेलखंड का भाग यदि मिल जाय तो अच्छा है और वह खुशी से मिलना चाहें तो अवश्य मिलाना चाहिये। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने जो एस० आर० सी० की रिपोर्ट पर अपना मत प्रकट करने का अवसर मुझे दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज मैं प्रदेश के उस गोशे से आया हूं जहां पर लोग कहते हैं कि भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद से भोजपुरी भी बोल सकता हूं, इंगलिश भी बोल सकता हूं, हिन्दी भी बोल सकता हूं और संस्कृत भी बोल सकता हूं और परशियन भी बोल सकता हूं। आज इस प्रदेश में राष्ट्रीयता का झंडा, एकता का झंडा लहरा रहा है और मैं इस सम्मानित सदन के सामने आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ५ मई सन् १८५७ को जो व्यक्ति सबसे आगे आया था और अंग्रेजों की बंदूकों के आगे जिन लालों ने झंडा ऊंचा किया था दिल्ली के मैदान में, उनका खून आज पुकार रहा है, आज भगतसिंह का खून पुकार रहा है कि एक बनकर रहो, देश का कल्याण सोचो यह नवजवानों की पुकार है। मुझे दुख होता है कि वह संतानें, जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की हैं जिन्होंने मेरठ डिवीजन में सन् ५७ में विद्रोह का झंडा बुलन्द किया था, जिन्होंने सन् १८५७ की आग को संभाला था झांसी की रानी और नाना साहब की संतानें, जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी कुरबानियां की थीं उनकी संतानें आज विभाजन की मांग करें। आज तो मुझे स्वरूपरानी और बहन कमला की याद आती है, पूज्य बापू की आवाज आज गोशे-गोशे से आ रही है कि एक रहो, एक बनो।

मैं तो कहूंगा कि पंचशील की जो देन है वह उत्तर प्रदेश की देन है इसका मुझे गर्व है। आज उसी पंचशील के नाते मैं कहता हूं कि १८ नवम्बर सन् १९५५ भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा जबकि रूस ऐसे महान देश के दो महान नेता इस देश में आज विद्यमान हैं, जिन्होंने इस देश के लिये क्या कहा वह सब स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। लेकिन बटवारे का जब प्रश्न उठता है तो मुझे खेद होता है कि उस घर से तो मैं आया हूं जो चमारों का कहा जाता है, मैं छप्परों में पैदा हुआ हूं, लेकिन अपने प्रांत को ऊंचा रखना चाहता हूं। आज हम जो कुछ हैं वह कांग्रेस की देन है। न कोई चमार है, न कोई भंगी है, न कोई मुसलमान है, न कोई धुनिया है। सब एक हैं। जब से यह हाउस है ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और चमार सब एक साथ बठते हैं। मेरी औकात नहीं थी कि मैं इस विधान सभा का सदस्य होकर आता अंग्रेजी काल में। आज कांग्रेस का प्रताप है, नेहरू की देन है, कांग्रेस के संगठन पर आज हम यहां हैं। मैं कल बड़े ठंडे दिल से श्रीचन्द्र जी की स्पीच सुन रहा था, लेकिन उनकी स्पीच जो सुनी तो बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी के बजट की स्पीच की तरह मालूम हुई। मुझे बड़ा खेद हुआ कि उनकी तरफ से इतने लो स्टैंडर्ड की स्पीच हुई।

श्री अध्यक्ष—इस शब्द "लो स्टैंडर्ड" को वापस लें। यह पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री शिवनारायण—मैं वापस लेता हूं, अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, मैं आप से निवेदन करूंगा कि मैंने और सदस्यों की भी स्पीचेज सुनीं। इस सदन में ब्रजभाषा का जिक्र किया गया। आज हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। मुझे गर्व है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कल सदन में यह कहा कि हिन्दी हमारे देश की रीढ़ है और उत्तर प्रदेश की देन है। उत्तर प्रदेश ही हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त है और उस हिन्दी को हमें जिन्दा रखना है। मैं

ख्वाजा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने उर्दू को क्यों छोड़ दिया। लखनऊ में तो उर्दू बोली जाती है। शायद उसमें एक रहस्य है। मैं बड़ा गम्भीर हो गया था....

श्री अध्यक्ष—आगे आप न बढ़ें। किसी के मोटिव पर कुछ न कहें।

श्री शिवनारायण—किसी के मोटिव पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि उर्दू भी हमारे इस प्रान्त की भाषा है। मैं खुश होता अगर किसी माननीय सदस्य ने यह कहा होता कि उर्दू भी इस प्रान्त की भाषा है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं 'सत्यम ब्रूयम प्रियम ब्रूयम'। हमारे एक माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा कि राजनीति और वेश्याओं में कोई अन्तर नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी लचर बात है। मैं अध्यक्ष महोदय समझता हूं कि हम जो बात कहें तो हम समझें कि हमारी एक-एक बात की, एक-एक शब्द की कीमत है। सोच समझकर ही हमें कुछ कहना चाहिये। मैं आपका बड़ा आभारी हूं जब आप मुझे रोक देते हैं। मुझे मलाल नहीं है। मैं राजा वीरेन्द्रशाह का आभारी हूं जिन्होंने यह अमेंडमेंट दिया कि विन्ध्य प्रदेश का वह टुकड़ा जो ४० मील का है जिसका कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया उसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। वहां की जनता भी यही चाहती है। हमारी नीति नहीं है कि हम किसी पर जबरदस्ती करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सन् ५७ में आजादी की भावना हमारी झांसी की रानी ने ही फूंकी थी। आज भी उनके नाम पर हम दो आंसू बहाना चाहते हैं ताकि उनकी आत्मा को शान्ति मिले। इतना ही नहीं, मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि १८ परसेंट हरिजन वहां बसते हैं। न मैं १८ के चक्कर में हूं और न १० के चक्कर में हूं। जो कुछ यह सरकार चाहे वह दे। हमारी चुनी हुई सरकार है। गरीबों की झोपड़ी का मुझसे बड़ा मलाल किसको होगा। बार-बार मैंने इस गवर्नमेंट से कहा कि बस्ती में एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय लेकिन आज तक वह नहीं खुला। लेकिन इसकी हमको शिकायत नहीं है। थोड़ी सी शिकायत पर हम नाक न काट लें, अपनी गर्दन न काट लें। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उधर के लोगों को एक हाईकोर्ट पश्चिम के जिलों में न खोलने की वजह से यह मांग है तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि उनकी यह मांग स्वीकार की जाय और एक बार और हाई कोर्ट खोल दी जाय। हमें इसमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। एक और बेंच खोल दी जाय और उनकी सुविधा का ख्याल किया जाय। मुझे हमदर्दी केवल बस्ती और गोरखपुर वालों से नहीं है। मैं तो समझता हूं कि साढ़े ६ करोड़ का नुमाइन्दा हूं।

पणिक्कर जी ने जो नोट दिया है यू० पी० के बारे में मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कलम से खुद ही अपनी रिपोर्ट को काट दिया। एक जगह कहा कि इतने छोटे-छोटे राज्य बनें दूसरी जगह कहा कि इतना बड़ा राज्य बना है। हमारे उत्तर प्रदेश पर यह आक्षेप है। सबसे बड़ा एतराज उनका यह है कि उत्तर प्रदेश का डामिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर डामिनेशन है और हमारे प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर जरा भी ध्यान किये होते तो हम पिछड़े हुए न होते। हमको रुपया मिल जाता। लेकिन हमारे उन महान नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान है। उन्होंने सारे देश को समान दृष्टि से देखा। उनकी नजर वहां तक पहुंचती है। गेंदासिंह जी सर हिलाते हैं। मैं गेंदा सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। मैं उनसे कहता हूं कि देवरिया आज बस्ती से ज्यादा चमक रहा है। हमसे ज्यादा चमक रहा है। दो-दो डिग्री कालेज हैं। तमाम कचेहरियां बन गयी हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आंख खोल कर, ठंडे दिल से देखें। हमारे मिनिस्टर जहां जायं वहां वह देखें। इसी सदन में माननीय हुकुम सिंह जी ने विकल जी से कहा कि हमको तो बुलाते नहीं हो, कहां जायं साहब, बड़ा काम है, २५, २५ आदमी

[श्री शिवनारायण]

घेरे रहते हैं। थोड़ी सी बात के लिए इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए जिसके लिए जीवन भर रोना पड़े। १९०५ के उस इतिहास को याद कीजिये जिसमें बंग भंग हुआ। मैं कहता हूं कि मुसीबत न खरीदिये। आज थोड़े से लालच में हम अपने को इतना फंसा न दें। बाहर के दुश्मन हमारे ऊपर पंजा लगाये हुए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, पश्चिम और अन्य प्रान्त वाले कहते हैं कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। १९३७ की पंत मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में लण्डन के गार्डियन ने कहा था "पन्त मिनिस्ट्री इज वन आफ दि बेस्ट मिनिस्ट्रीज।" १९३७ की मिनिस्ट्री के लिए बता रहा हूं। गेंदासिंह जी अखबार पढ़ें। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पश्चिम के भाइयों की मुसीबतों को समझता हूं। शास्त्री जी ने कहा कि हमारे यहां तो १८४८ में नहरें बन गयी थीं, लेकिन वह इसी देश के पैसे से बनी थीं। अंग्रेजों के पैसे से नहीं बनी थीं। बड़े भाई होने के नाते उन्हें खयाल करना चाहिए। हमने जयचन्द और पृथ्वीराज का इतिहास पढ़ा, राणासांगा का इतिहास पढ़ा।

श्री अध्यक्ष--उसका उदाहरण मत दीजिये।

श्री शिवनारायण--मैं अपने पुराने इतिहास की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम वही ब्लंडर न करें जिससे जीवन भर रोना पड़े। बड़ी मुसीबत के बाद गुलामी कटी है। पंचशील का सिद्धान्त उत्तर प्रदेश की ही देन है जो विदेश को गया। भगवान बुद्ध के समान हमारे जवाहरलाल नेहरू चीन को और रूस को शान्ति का सन्देश लेकर गये। आज ऊपर से गांधी जी देख रहे हैं, सरदार पटेल देख रहे हैं, ऐसा ब्लंडर नहीं करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों को दुःख और तकलीफ हो। रिपोर्ट में यह है कि भाषावार प्रान्त बनाये जायं। जहां जहां लोगों ने सत्याग्रह किया, हमने मान लिया। लेकिन अगर हमने कोई बात मान ली तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? अगर एक जगह गलती हो जाय तो रोज उसी ब्लंडर को दोहराएं? देश के संगठन के लिये आवश्यक है कि हम एक जगह रहें। एक बुड्ढा जब मरने लगा तो अपने बेटों को उसने बुलाया। उसने उनको एक रस्सी दी और कहा कि तोड़ो। उन्होंने जोर लगाया नहीं तोड़ पाये। फिर बाप ने उसको ढीली कर दिया, तो पट से टूट गयी। तो उसने अपने बेटों से कहा कि अगर इस तरह तुम एक रहोगे तो तुमको कोई नहीं नष्ट कर पायेगा। तो देश को तोड़वाओ नहीं। देश का कल्याण इसी में है। "एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।"

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--मान्यवर, बटवारे का प्रश्न आज जो इस सदन में प्रस्तुत है वह कोई नयी बात नहीं है। जब कभी भी सामान्य हितों के लिए लड़ाइयां समाप्त हुआ करती हैं और देश के नेता या नेताओं के साथ चलने वाले लोग जब अपने सामने वह सामान्य हित की लड़ाई समाप्त समझते हैं तो फिर वह जाति-वर्ग और ऐसे ही अन्य विभागों में अपने को बांटते हैं जैसा कि हमने रूस में भी महाक्रांति के बाद देखा। हमने देखा कि रूस में महाक्रांति के बाद बड़े जननायक ऐसे ही खेमों में अपने को विभाजित करते हुये देखे गये। वही हूबहू हालत हम अपने यहां इस प्रान्त में भी पा रहे हैं। मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि सुगम्य शासन के लिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर या हिस्टारिकल बेसिस के कारण बटवारा न हो। लेकिन यदि बटवारा स्वार्थान्धता से परिपूर्ण है तो मैं यह कहूंगा कि प्रान्त के हर एक आदमी को यह तय करना चाहिये कि इस तरह का बटवारा कदापि हम कबूल नहीं करें। बंटवारा एक ऐसा शब्द है चाहे माननीय वीरेन्द्र पति जी यादव उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहें लेकिन जब बटवारे का प्रश्न आता है तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि बटवारे के प्रश्न को लेकर हिन्दुस्तान के लोगों ने पागल होकर एक दूसरे के खून की होली खेली, जब हम देखते हैं कि यहां पर बटवारे के प्रश्न को लेकर एक दूसरे के साथ खून की होली खेली जाती है और जब हम इसी बटवारे के प्रश्न पर आन्ध्र और दकन में बहुत से अमानुषिक कार्य होते हुए देखते

हैं तो फिर एक बार रोमांच हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आज हम इसी दृष्टि-कोण को लेकर इस बात पर विचार करने के लिये तैयार हैं। बटवारे के सवाल के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये उनके तीन-चार कारण हैं। एक तो उनका कहना है कि सुगम्य शासन हो और इसके लिए आवश्यक है कि प्रान्त का बटवारा हो जाय। दूसरे पूरब और पश्चिम के झगड़े को लेकर कुछ लोग इस प्रदेश का बटवारा चाहते हैं, और तीसरा कारण प्रादेशिक संगठन के सम्बन्ध में लोगों का कहना है कि हम पंजाब के अम्बाला आदि डिवीजन के जो जिले हैं, उनको मिलाकर दीनदयालु शास्त्री जी के शब्दों में इस प्रान्त का बटवारा होना चाहिए। कुछ लोग दिल्ली के साथ हमदर्दी जाहिर करने के लिए प्रान्त का बटवारा चाहते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि चूंकि सेंटर में प्रान्त का बाहुल्य है और इस लिये सेंटर पर नाजायज दबाव इस प्रान्त का पड़ता है इसलिए इस प्रान्त का बटवारा हो जाय।

मान्यवर, सबसे पहले सुगम्य शासन के सम्बन्ध में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहूंगा। जो कुछ भी हमने देखा है इस शासन काल में, हम यह दावा नहीं करते कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इतने बड़े विस्तृत इस प्रदेश में एक समान सारा काम हुआ हो, लेकिन पूरब और पश्चिम के बटवारे का अर्थ होगा कि हम गंगा और यमुना का बटवारा करना चाहते हैं, राम और कृष्ण का बटवारा करना चाहते हैं। मैं पश्चिम के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह यह चाहते हैं कि पूरब के लोगों की गरीबी, उनकी बेकारी, उनकी अशिक्षा, आदि कारणों से बटवारा चाहते हैं इसलिए कि उसके कारण पूरब पर पैसा ज्यादा व्यय हो रहा है, पश्चिम की बनिस्बत पूरब में यूनिवर्सिटी अधिक खुली हैं, तो मैं अपने पश्चिम के भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि हम इसके लिए तैयार हैं कि पूरब की तरक्की के सारे काम बन्द कर दिये जायं। यदि इससे पश्चिम के भाई अपने बटवारे के विचार को बदलने को तैयार हों तो मैं अपने पूरब के भाइयों को इसके लिए राजी कराने को तैयार हूं। अगर माननीय श्रीचन्द्र जी और अन्य सदस्य सहमत हो जायं तो मैं पूरब के सब भाइयों को इसके लिए सहमत कराने की चेष्टा करूंगा कि अगले दस वर्ष तक ये सारे तरक्की के काम पूरब में बन्द कर दिये जायं। हम अपनी गरीबी में रह लेंगे, हम मजबूरी में रहना पसन्द कर लेंगे, लेकिन किसी भी हालत में पश्चिमी भाइयों से अलगाव पसन्द नहीं करेंगे। जिनकी संस्कृति और इतिहास एक है, गंगा और यमुना एक हैं, राम और कृष्ण एक हैं। कैसे उनसे पृथक रहना पसन्द करेंगे?

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि बटवारा न हो और बटवारा नहीं होना चाहिये। बटवारे के सम्बन्ध में जो भाषावाद की बात उठायी गयी, मान्यवर यह सही है कि यदि इस देश में भाषा के आधार पर प्रान्त बन तो मुश्किल से ८–१० प्रान्त बनेंगे और दिल्ली और अम्बाले डिस्ट्रिक्ट से, जिसकी चर्चा माननीय दीनदयालु शास्त्री जी ने की, वहां से लेकर पटना तक एक खड़ी बोली है जिसे हिन्दी भाषा हम लोग कहते हैं। इस आधार पर यदि इस देश का बटवारा हो और दीनदयालु शास्त्री जी को शान्ति मिल जाय और अन्य माननीय सदस्यों को शान्ति मिल जाय तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि जो आज इस कमीशन ने रिपोर्ट दी है वह सारी की सारी गलत है। इस आधार पर इस बटवारे का नक्शा कुछ और बनना चाहिये, लेकिन आज भाषा का जो रूप दिया जा रहा है वह बोल-चाल की भाषा की बात कही जा रही है। मान्यवर, ध्यान से देखा जाय तो गांव और शहरों के रहने वालों की भाषा में अन्तर है। हर १०–१२ मील की बोल-चाल की भाषा में अन्तर पाया जाता है। कहीं बोला जाता है, "कहां गये छे"? और कहीं "कहां जा रहे हो?" कहीं कहा जाता है, "कहां गइलो?" और किसी जगह "कहां गइनी?" इस तरह से शब्दों के उच्चारण का हेर-फेर हुआ करता है और यदि इस आधार पर बटवारा किया जाय तो कम से कम हजारों ऐसे प्रदेश बनाने पड़ेंगे जिससे माननीय श्रीचन्द्र या उनके समर्थक सहमत नहीं होंगे। मान्यवर, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे बटवारे के पक्ष में बोलने वाले भाई इस पर विचार करेंगे।

[श्री रामेश्वर लाल]

बटवारे के नारे के इच्छुक लोगों ने गोरखपुर और मेरठ की बात कही। उनका कहना है कि मेरठ में यूनिवर्सिटी नहीं खुली और वह पैसा गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के लिए व्यय किया जायगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व के लोगों ने कभी मेरठ में यूनिवर्सिटी खोलने का विरोध नहीं किया और मैं तो समझता हूं कि उसके लिए कोई डिमांड ही नहीं आई। यदि किसी माननीय सदस्य ने अपनी बजट स्पीच में कहा भी तो किसी पूर्व के सदस्य ने उसका विरोध नहीं किया कि मेरठ में यूनिवर्सिटी न खुले, केवल गोरखपुर में ही खोली जाय। जहां पूर्व में बनारस और इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी है तो पश्चिम में अलीगढ़ और आगरे में है और दिल्ली में है और लखनऊ सेंटर में है। और मैं तो यह कहूंगा कि मेरठ वाले, आगरे को, अलीगढ़ और दिल्ली को अपना समझते ही नहीं। अगर वह समझते तो ऐसी मांग न रखते। और अगर आज भी मेरठ की यूनिवर्सिटी की मांग करने वाले लोग और प्रान्त के विभाजन के इच्छुक लोग इस बात को सदन में रखें तो मैं समझता हूं कि सदन के सब लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के लालबवश कि गोरखपुर में खुलती है और मेरठ में नहीं खुलती तो मेरठ क्या, उनके गांव में खोल दी जाय, जो चाहते हैं लेकिन यू० पी० का विभाजन न होने दिया जाय।

मान्यवर, जहां तक यह प्रश्न बटवारे का है, मैं यह कहूंगा कि यह बटवारे की आवाज केवल बटवारे के लिए नहीं उठी है। मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय श्री चन्द्र जी और माननीय ख्वाजा साहब से कि इस सदन में जब जमीन के बटवारे का प्रश्न उठता है तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ हाथ उठा कर वह उनके मन की बात क्यों बोलते हैं और जब मिनिस्टरों आदि की तनख्वाहों को कम करने का प्रश्न उठता है तो कहते हैं कि नहीं घटना चाहिये और उनके साथ हाथ उठा कर वोट करते हैं, उस वक्त अपोजीशन में कौन रहता है? उस वक्त क्यों उनकी जी हुजूरी करते हैं?

श्री अध्यक्ष--"जी हुजूरी" अच्छा नहीं मालूम होता। आप गर्म मत होइये।

श्री रामेश्वर लाल--मैं वापस लेता हूं। मैं आपके द्वारा.....।

श्री अध्यक्ष--इस वक्त कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह आप समझ लीजिये। इस वक्त मतों का सवाल है।

श्री रामेश्वर लाल--मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी और हाफिज जी यह कहते हैं कि पश्चिम में हम ज्यादा खर्च करते हैं, तो यह जो एक दूसरे पर हेर फेर के आरोप लगाये जा रहे हैं, मैं समझता हूं यह बिल्कुल एलेक्शन स्टंट है। और माननीय श्री चन्द्र जी और उनके साथी जो बटवारा चाहते हैं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी और उनके अगल-बगल में बैठने वाले मिनिस्टर लोग आज प्रान्त की जनता को गुमराह करने के लिये बटवारे की आवाज उठवा रहे हैं मेरा ऐसा खयाल और विश्वास है। हमने देखा श्रीमन्, कि बटवारे के सम्बन्ध में बहुत से प्रस्तावक और संशोधकों ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिये और मैं जानता हूं कि माननीय श्री चन्द्र जी भी अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे। मान्यवर, मैं माननीय श्री चन्द्र जी और माननीय देवेन्द्र प्रताप जी का ध्यान जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी की बात की है आकर्षित करना चाहता हूं कि २२ करोड़ रुपया इस प्रान्त के गन्ना के मिल वालों ने किसानों का लूटा! हमने आवाज लगाई और इस सदन के माननीय विरोधी दल के नेता, श्री गेंदा सिंह जी जेल में बन्द हुये, इस सदन में चर्चा हुई, लेकिन यही बटवारे के इच्छुक लोग उस समय जब कि प्रदेश के गरीबों का पैसा लुट कर पूंजीपतियों की जेब में जा रहा था, २२ करोड़ रुपया, जिससे मेरठ में ही नहीं, मेरठ ऐसे सैकड़ों शहरों में यूनिवर्सिटी खुल सकती थी, उस समय वे लोग चुप थे। क्या वजह है कि आज वह यह कहते हैं कि प्रान्त का बटवारा हो जाना चाहिये और न राज होते हैं कि पूर्व में यूनिवर्सिटी खुल रही है, वहां पैसा ज्यादा जा रहा है, वहां सारा काम हो रहा है,

पश्चिम में कुछ नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं एक मिनट माननीय श्रीचन्द्र जी और उनके समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक साल का समय शेष है। यदि वे सचमुच चाहते हैं कि इस प्रान्त की भलाई हो और यदि वे चाहते हैं कि जो साधन हमें प्राप्त हैं उनका समुचित बटवारा हो तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि ले आयें कल इस सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव और उखाड़ कर फेंक दें इसको और इसकी जगह पर उनकी सरकार बने जो इस प्रान्त की भलाई चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इसके लिये आगे न श्री चन्द्र जी आयेंगे न वीरेन्द्रपति जी आयेंगे। लेकिन अगर आप संभालना चाहते हैं तो अभी एक साल का समय शेष रह गया है और इस साल के समय में जो आपकी डिमांड्स हैं और इस प्रान्त के विकास का जो अनुचित बटवारा है उसको अगर आपको ठीक करना है तो फिर इस सरकार को बदलना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। मान्यवर, ख्वाजा साहब रेफरेन्डम की बात कह गये। आखिर रेफरेन्डम किस बात पर हो? जमीन के बटवारे पर, गन्ने के दाम बढ़ाने पर? मैं जानना चाहूंगा ख्वाजा साहब से कि क्या वे रेफरेन्डम की बात को स्वीकार करेंगे जमीन के बटवारे पर? वे कहते हैं कि अगले चुनाव में मालूम हो जायगा। क्या मालूम हो जायगा? कांग्रेस और देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि नेहरू के बिना कांग्रेस की गाड़ी आज भी चलने में असमर्थ है। आप बटवारे की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि कोई किसान बटवारे का इच्छुक नहीं है। बटवारे के इच्छुक जाब सीकर्स हैं जो समझते हैं कि बटवारे के बाद उन्हें पावर मिलेगी, वे मिनिस्टर होंगे।

मान्यवर, माननीय वीरेंद्रपति यादव जी ने बापू को याद किया। राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में गांधी जी ने कहा था कि लिंगुइस्टिक आधार पर प्रांत बनने चाहिये। मगर बापू ने यह भी तो कहा था कि ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह मत लो। उन्होंने यह भी तो कहा था कि कांग्रेस को तोड़ दो और लोक सेवा संघ बनाओ। लेकिन उस वक्त वीरेंद्रपति जी के कान बहरे थे। बापू ने कहा था कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। बापू ने कहा था कि किसी को ५०० रुपये से अधिक तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये, बापू ने कहा था कि दिल्ली में गरीब का बेटा गद्दी पर बैठेगा, लेकिन जो बापू ने कहा था उसको आप लोगों ने कब माना? जो लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं उन्होंने आपको कई बार दावतें दीं लेकिन आपने उनको कबूल नहीं किया। आपने उन लोगों का साथ दिया जो आज ऊंची गद्दी पर हैं। आप कहते हैं कि पश्चिम में कुछ नहीं होता है, इसलिये सूबा बांट दिया जाय। मान्यवर, यदि इसके बांटने से तरक्की हो सकती है तो इस पर विचार होना चाहिये। बटवारा के इच्छुकों ने क्यों नहीं कहा कि हम नये प्रांत में ५०० से अधिक तनख्वाह नहीं लेंगे, जमीन का बंटवारा होगा, गन्ने के दाम ठीक होंगे और सब के साथ ठीक बर्ताव होगा। यह कुछ न कह कर बंटवारे की बात कहना ठीक नहीं है।

†श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से कमीशन के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश के सामने वह ऊंची बातें रखीं जिसके आधार पर अपने देश को पूर्ण बनाया जाय। यह माना कि हमारा मतभेद है कुछ ऐसी बातों से कि कौन सा प्रांत किसमें लगाया जाय और कौन सा प्रांत कहां जाय किन्तु जो आधार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रखे हैं, वह ऐसी बातें हैं जिनको हर समझदार आदमी को मानना पड़ेगा।

अब हमें देखना यह है कि हमारे प्रांत का संगठन या विघटन उन आधार पर हों जो कमीशन ने रखे हैं वह कहां तक पूरे उतरते हैं। कमीशन ने सबसे पहली बात यह रखी कि हमारे देश की एकता और हिफाजत के ऊपर, हमारे इस प्रांत के ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि हर एक चाहे कोई इस के पक्ष में बोला हो या विपक्ष में बोला हो, यह मानता है कि अगर हमारे प्रांत का बंटवारा हो जाय या जैसा है वैसा ही रह जाता है तो हमारे देश की एकता और विभाजन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

दूसरी ऐतिहासिक बात है। ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ भाइयों ने बतलाया कि हमारे सूबे का बंटवारा हो जाना चाहिये। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इतिहास का

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्त सिंह]

जहां तक मामला है, समय-समय पर जैसा-जैसा लोगों को जंचता रहा उसी प्रकार से सूबे बनते रहे, बिगड़ते रहे। मुगलों का जमाना ऐसा आया जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद एक तरीके की हुकूमत चली और उस समय हमारे यू० पी० में ५, ६ सूबे थे तो उस समय की दृष्टि से हम अपने सूबे के इतने हिस्से करने के लिये हर्गिज तैयार नहीं होंगे। इसी तरीके से अंग्रेज आया और उसने देखा और अपनी सुविधा के अनुसार वह सूबे बनाता चला गया। जब हम अपनी सुविधा को देखते हैं तो हमें अधिकार है कि हम पुरानी बातों को छोड़ते हुये जो नये सिद्धांत कायम करते हैं उसके आधार पर अपने सूबे को बनायें या बांटकर टुकड़े कर दें। मैं समझता हूं कि इतिहास की पुरानी रट लगाने की क्या आवश्यकता थी कि हिन्दू काल में ऐसा था, मुगलों के जमाने में ऐसा था तो मुझे यह बात जंचती नहीं है।

अब सवाल रहा आर्थिक दृष्टि से कि आया जो सूबा हमारा है वह किस तरह से रहना चाहिये ? यह सब कोई मानता है कि जितना बड़ा सूबा होगा उसके रिसोर्सेज भी उतने ही ज्यादा होंगे, उसके पास काफी मात्रा में धन भी होगा और वह बड़े-बड़े काम कर सकेगा।

मगर मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि जो प्रपोजल हमारे भाइयों ने रखा है उसमें भी यह विचार है कि वह इतना छोटा सूबा न बन जाय कि हम यह कह सकें कि जो प्रांत हमारा बनेगा वह आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ रहेगा और वह अपना खर्च भी पूरा कर सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण का सवाल है और इन नये सूबे के बनने या बिगड़ने का सवाल है वह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें यह कहा जाय कि इससे बड़ी इधर-उधर की बात हो सकती है।

भाषा और वेश की बात भी कही जाती है। मैं यह मानता हूं कि हमारे सूबे की भाषा एक है। जिन भाइयों ने यह बतलाया कि हमारे सूबे में चार भाषायें हैं, मैं समझता हूं कि वह किसी तरह से भी ठीक नहीं है। यह तो ठीक है कि जैसा कई भाइयों ने कहा कि हर १०, १२ मील पर हमारे डाइलेक्ट में फर्क हो जाता है, वह बदलती रहती है। यह तो हमारे घरों में भी होता है। एक छोटा बच्चा एक प्रकार से बोलता है और जब वह पांच वर्ष का हो जाता है तो उसके बोलने में फर्क आ जाता है। स्कूल में वह एक तरह से बोलता है और अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसकी भाषा दूसरी हो जाती है। तो जहां तक भाषा का प्रश्न है उसके लिये यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर हमारे सूबे का भाषा के आधार पर बंटवारा होता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भाषाओं के हिसाब से देखें तो पटने से लेकर अम्बाला तक एक भाषा और गढ़वाल से लेकर जबलपुर तक एक भाषा बोली जाती है। लेकिन हमारे प्रांत को बांटने का सवाल इन्तजाम के दृष्टिकोण से पैदा होता है। वही एक बात है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे प्रांत का बटवारा होना चाहिये या नहीं होना चाहिये ? यह आधार हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन व्यू प्वाइन्ट है। यह चीज हमारे सामने आनी चाहिये, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानता कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा प्रांत इतना बड़ा है कि इसका बंटवारा होना चाहिये क्योंकि, मैं मानता हूं कि बड़ा होना खराब नहीं है और अगर पणिक्कर साहब ने यह कहा है कि दूसरे लोगों में आपसे इसलिये प्रतिस्पर्धा है कि आप बड़े हैं जनसंख्या की दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से, तो मैं उनको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर हमारी नाक लम्बी है और हमारे देश में नैपाल के छोटी नाक वाले लोग आ जायं तो क्या हम समानता के लिये अपनी नाक कटवा देंगे ? अगर पणिक्कर साहब का यही विचार है तो वे दूसरे सूबों को बड़ा बना देते बजाय इसके कि वह यह सुझाव देते कि हमारे सूबे को छोटा कर दिया जाय। तो यह बात तो मानने के काबिल नहीं है। सिर्फ एक बात है कि आया ऐडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हमारे सूबे को छोटा होना चाहिये या नहीं। मैं एक बात मानता हूं और उसकी तरफ अपने सारे हाउस की दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं। अगर यह मान लिया जाय कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन दूसरे सूबों के मुकाबिले अच्छा है, जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन मुझे इससे संतोष नहीं है और अगर हमारा

ऐडमिनिस्ट्रेशन इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं इस बात को मानता हूं कि आज नहीं तो कल, भले ही आज बंटवारा न हो, लेकिन कुछ दिनों बाद बटवारा जरूर हो जायगा। जिस प्रकार से हमारे यहां पार्टीबन्दी होती है, जिस प्रकार हमारे यहां मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी मिनिस्टर बनते हैं वह तरीका ऐसा नहीं है कि जिस तरीके को सफल ऐडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सके। मैं आप से ईमानदारी से पूछता हूं कि एक-एक जिले के तीन-तीन मिनिस्टर बनते हैं और बहुत से जिले ऐसे हैं कि जहां पर दूर-दूर तक कोई मिनिस्टर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उनको ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं? क्या आप जो काम करते हैं उससे कोई भी कह सकता है कि आप मिनिस्ट्री के ख्वाहिशमन्द नहीं हैं? मैं साफ कर दूं कि मैं पहला आदमी हूं कि जिसे मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर होने की जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आपके यहां जो तरीका चल रहा है उससे लोगों में असंतोष होना जरूरी है। आपके यहां जो ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें मैं जानता हूं कि एक-एक छोटे से छोटा अफसर भी कार और जीप रखने का इच्छुक है और रखता है और आप छोटी-छोटी और मामूली-मामूली चीजों पर कोई विचार नहीं करते जिसकी वजह से आपके यहां के लोगों में असंतोष की भावना दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर यह बातें आपके यहां चलती रहीं तो भले ही पश्चिम के लोग यह बात मान जायं कि बंटवारा न हो, पूर्व के लोग गरीब हैं और उन पर ही सारा रुपया खर्च कर दिया जाय, लेकिन उसके बाद भी अगर मैलऐडमिनिस्ट्रेशन है तो थोड़े दिनों के बाद पूर्व के लोग भी इससे ऊब जायंगे और थोड़े दिनों में तो क्या अभी भी आप देखते हैं कि जितने एलेक्शन होते हैं, चाहे पश्चिम वाले बात मान जायं, और किसी तरह से आपकी बातें मानकर रिटर्न कर दें मगर पूर्व वाले तो फौरन थपेड़ा मारते हैं। इसलिये अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन ढंग का नहीं है तो पूर्व क्या और पश्चिम क्या, बिलकुल यह होता ही है कि पूर्व वाले भी आपकी मुखालिफत करेंगे और पश्चिम के आदमी भी आपकी मुखालिफत करेंगे।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व का पिछड़ा हुआ इलाका है उस पिछड़े हुये इलाके से मुझे पूर्ण सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि उनकी तरक्की के जरायें सोचे जायं और उनकी तरक्की के लिये रुपया खर्च किया जाय। मगर एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि मैं पश्चिम के इलाके का रहने वाला हूं और ऐसे जिले का रहने वाला हूं जो जिला आपके सूबे में एक अच्छा दर्जा रखता है। मगर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मेरे जिले से टैक्स तो बराबर लेते रहें और वहां पर एक पैसा भी खर्च न करें तो क्या मैं खड़ा होने की शक्ति रख सकता हूं। मुझको मेरी कांस्टीटयूएन्सी के लोग यह कहेंगे कि हमारे लिये तो धेला भी यहां पर खर्च नहीं करते और बराबर हमसे लेते ही रहते हो। तो जनाबवाला, मैं भी रिटर्न होकर यहां नहीं आ सकता। इसलिये आपको यह सोचना जरूर पड़ेगा, चाहे आप कम कीजिये। मैंने इसको माना कि आप पूर्व में दो हिस्से खर्च करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पश्चिम में एक हिस्सा ही कर दीजिये, जिससे लोगों को जाहिर हो कि वहां पर भी कुछ किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह कहा गया कि पश्चिम में नहर बना दी। वह नहर कब बनाई गई, कब वहां पर ट्यूबवेल्स बनाये गये और आज आप क्या कर रहे हैं? कितने अस्पताल वहां पर हैं और कितने एडेड स्कूल वहां पर हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां १०-१० वर्ष हो गये गांव के लोगों ने अपने बलबूते पर स्कूल खड़े किये, लेकिन उनको सरकार एक पैसा भी नहीं दे रही है। इसके साथ-साथ मैं आपको अस्पताल की बात भी बतलाऊं और सड़कों के मंत्री जी ही हमारे इलाके के रहने वाले हैं। तो उनसे पूछें कि हमारे यहां का इलाका सड़कों के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां अनुपात से सड़कें बहुत कम हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें हैं। अस्पताल वगैरा की भी यही बात है। वहां पर दूर-दूर तक अस्पताल देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोगों ने अपनी मेहनत से कुछ कर लिया है तो उसके लिये भी कोई इमदाद हमको गवर्नमेंट से नहीं मिलती है। तो मान्यवर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। यह पूर्व और

[श्री बलवन्त सिंह]

पश्चिम वाली दिक्कत हम नहीं समझते। जो लोग यह कहते हैं कि सब पूर्व के ऊपर खर्च हो जाता है इस बात को हम नहीं मानते। यही नहीं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि यह मैलऐडमिनिस्ट्रेशन और बेढंगी हुकूमत का तरीका चल रहा है वह सब से बड़ा तकलीफदेह साबित होता है। मगर सवाल यह होता है कि चाहे यह मानें कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन कुछ खराब है मगर जिधर हम जाना चाहते हैं वहीं का कौन सा बढ़िया है। दिल्ली में भी कई बार उलट-पलट हुई है और पंजाब में भी हमने उलट-पलट देखी है। सवाल यह है कि अगर हम अपने घर को ही ठीक कर लें और अपने घर का ढंग ठीक कर लें तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि हम बिखरे फिरें, कोई इधर जायं और कोई उधर जायं यहीं रहना उचित है। क्योंकि नई हुकूमत बनाने में बटवारा करके नया राज्य बनाने में और नया राज्य खड़ा करने में जो तकलीफ हुआ करती है और जो सबसे बड़ी दिक्कत हुआ करती है वह तकलीफ हमने देखी है। पिछले दिनों देखा जब कि हमारे देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना कि किस कदर लोगों को परेशानी हुई। दूसरे प्रान्त आन्ध्र को भी हमने देखा। इसलिये मैं अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आज इस बात से कि हमारी मांग पूरी नहीं होती और हमारी बातों को सुना नहीं जाता और हमारे इलाके के लिये पूरा रुपया नहीं लगाया जाता, इससे हमारी परेशानी दूर नहीं होती। हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि जो आज बेतरीके से काम हो रहा है उसको ठीक करें और ठीक करने के बाद हम समझेंगे कि हमारा जैसा एक प्रान्त है वह उसके मुकाबले में अच्छा रहेगा।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अवसर दिया है मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

मैं सीमा कमीशन के माननीय सदस्यों की आलोचना नहीं करना चाहता हूं और न मैं वर्किंग कमेटी के माननीय सदस्यों की आलोचना करना चाहता हूं। मैं अपने कुछ सुझाव आपकी और सरकार की सेवा में रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव पर ही कहेंगे। केवल अपने ही सुझाव नहीं कह सकते हैं।

श्री गज्जूराम—माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय श्रीचन्द्र जी ने जो इस सदन में कहा है कि हमारे प्रदेश का बटवारा होना चाहिये, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उनका यह क्या तुक है कि एक बड़े राज्य या घर को दो हिस्सों में बांट दिया जाय? हम बड़े राज्य को चलाने में असमर्थ हों तब तो हम उसे बांटें। हम अपने प्रदेश का सुचारु रूप से विकास कर रहे हैं और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश में वह कोने-कोने में विकास करे।

मैं कुछ बुन्देलखंड के हिस्सों के बारे में कहना चाहता हूं कि मध्य भारत के चार जिले हैं जैसे कि भिन्ड, ग्वालियर, गिर्द, मौरेना और शिवपुरी। विन्ध्य प्रदेश का शाहडोल छोड़ कर हमारे प्रदेश में मिला दिया जाय। झांसी, जालौन और हमीरपुर बुन्देलखंड के ही हिस्से हैं, जो कि किसी मुसीबत के दौरान में अलहदा हो गये थे। जब आज हमारी सरकार के सामने एक दूसरे भाई से मिलने का सवाल आता है तो इन अलहदा हुये हिस्सों को हम अपने साथ क्यों नहीं मिला लें और उनका विकास क्यों न करें? यह हमारा कर्तव्य और धर्म है कि अपने भाई की सहायता करें। माता टीला बांध झांसी जिले में बनाया जा रहा है। उसके ३ कोनों में तीन प्रदेश हैं, एक तरफ मध्य भारत, दूसरी ओर विन्ध्य प्रदेश और तीसरी ओर उत्तर प्रदेश है। उससे सिंचाई का साधन हम इन तीनों प्रदेशों को देना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में इन बंटे हुये टुकड़ों को अपने साथ मिला कर उनका विकास क्यों न किया जाय और दूसरे प्रदेश

में होते हुये उनका विकास क्यों करें? जहां तक मध्य भारत का सवाल है, यह हमारे बुन्देलखंड का वह हिस्सा है जब कि महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मुसीबत आई और अंग्रेजों का सामना किया तो ग्वालियर में वह सहायता लेने के लिये गईं और इस नाते से गईं कि उनका एक भाईचारा था और पड़ोस था और उनकी एक हमदर्दी थी इसलिये वे वहां गयीं। इसलिये अपने भाइयों को मिलाने में हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हम अपनी सरकार के सामने यह सुझाव रख सकते हैं कि यह ऐसा इलाका है जो किसी जमाने में हम से अलग न था। झांसी का जो इलाका है वह हमीरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ आदि से मिला हुआ था। इसलिये सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस इलाके को अपने में मिला दिया जाय। हमारे राजा साहब ने जो सुझाव रक्खा है सरकार उसके ऊपर गौर करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विन्ध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल २३,६०६ वर्गमील है और उसकी जनसंख्या ३५७४,६६० है। मध्य भारत की जनसंख्या इन चारों जिलों की मिला कर ५७४२६४० है और उसका क्षेत्रफल ४५८०५ वर्गमील है। इतने बड़े क्षेत्रफल में से हमें चार जिलों को निकाल देना है। बुन्देलखंड में जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां हरिजनों को जमीन नहीं मिलती जब कि उनके पास क्षेत्रफल ज्यादा है तो हम उस जगह ले जाकर हरिजनों को बसा सकते हैं। इस प्रकार हम बुन्देलखंड के हरिजनों का उत्थान कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने सीमा कमीशन और केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इन प्रदेशों को मिलाकर हमारे प्रदेश का जो नक्शा हो जाता है उसको मैंने देखा है वह बड़ा खूबसूरत लगता है, जो आपने भी माना होगा और हमारे माननीय सदस्यों ने माना होगा। हमने जो सिंचाई के साधन बनाये हैं उनके आसपास कुछ हिस्सा मध्य भारत का भी आता है और कुछ हिस्सा विन्ध्य प्रदेश का भी आता है। इसी प्रकार मैंने बिजली का एक प्रश्न पूछा था उसके जवाब में मुझे बताया गया कि विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत को भी उससे लाभ होगा। जब ऐसा है तो फिर उसको अपने में ही क्यों न मिलाया जाय। और मेरा यह निवेदन है कि उसको अवश्य ही अपनी सरकार को और केन्द्रीय सरकार को अपने में मिला लेना चाहिये। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से जो विवाद इस स्टेट रिआर्गेनाईजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर हमारे सदन में हो रहा है उसके संबंध में मैंने सभी साथियों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना। मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपने उन मित्रों की तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने बिना किसी भेद भाव से या किसी लालच से अपने विचारों को व्यक्त किया। यह मैं कभी नहीं कहूंगा कि आज उन्होंने अपने विचारों को किसी लालच से यहां पर व्यक्त किया है। मैं इस बात को जानता हूं कि माननीय श्री चन्द्र जी बहुत दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने हमसे बहुत बातें कीं और आपने हर एक को समझाने की कोशिश की। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि माननीय श्रीचन्द्र जी ने किसी मिनिस्ट्री के लालच से अपने विचारों को सदन के सामने रक्खा है और यह कहा है कि इस स्टेट का विभाजन किया जाय। मैं ख्वाजा साहब की तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपने विचार इस सदन के सामने रखे। पर अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा उनसे यह भी पूछना चाहता हूं और इस सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ख्वाजा साहब, श्रीचन्द्र जी, श्री बलवन्त सिंह, श्री जयपाल सिंह तथा और जितने साहबान हैं, आखिर वे क्यों उत्तर प्रदेश का बटवारा चाहते हैं, वे अपने घर के दो टुकड़े क्यों करना चाहते हैं? इसका क्या कारण है इस ओर हमें अवश्य जाना होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि श्री बलवन्त सिंह ने यह नहीं कहा। उन्होंने बंटवारे के खिलाफ में कहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय बलवन्त सिंह ने कारण बतलाये और मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं कि इसमें सरकार का दोष है, यहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन का दोष है, जिसकी वजह से हमारे कुछ भाई उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ कारण बतलाये जिनकी वजह से ये लोग हमारे इस प्रदेश का बंटवारा करना चाहते हैं, जिस बटवारे को यह सदन कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ नवम्बर, १९५५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र बख्शी का तालाब (लखनऊ) में सन् १९५४–५५ में होने वाले व्यय की सूची

	रु०	आ०	पा०
१—अफसरों का वेतन	७४८	११	०
२—कर्मचारियों का वेतन	७२९	६	०
३—भत्ता और मानदेय	८६४	९	०
४—आकस्मिक व्यय—			
(अ) आवर्त्तक—			
(१) सामाजिक शिक्षा	५,०००	०	०
(२) दूसरी मदें	३२९	१४	३
(ब) अनावर्त्तक—			
(१) दफ्तर का सामान	१,९५१	१२	३
(२) डिमान्सट्रेशन से सम्बन्धित सामान ..	४,७७९	८	९
५—वर्क्स (ब्लाक की इमारतों पर होने वाला खर्च) ..	२४,०५२	०	०
कुल व्यय	३८,४५५	१३	३

उदय प्रताप विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

---

२ अक्टूबर, १९५४ से ३० सितम्बर, १९५५ तक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, बख्शी का तालाब, में किये गये कार्य का पूर्ण विवरण

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेष विवरण
१	२	३	४
१—कृषि	१—(अ) सिंचाई —		
	१— नलकूप—		
	(अ) सहकारी	२	
	(ब) सरकारी	१२	
	२— सिंचाई के कुएं	१७	
	३—बोरिंग	५	
	४—रहट ..	५	
	(ब) उन्नतिशील बीज वितरण		
	१—गेहूं ..	२७६४ मन ४ सेर	
	२—चना ..	७१९ मन २२ सेर ४ छटांक	
	३—मटर ..	१४८ मन ३५ सेर ४ छटांक	
	४—जौ ..	१३४ मन ३० सेर	
	५—धान ..	४३४ मन ३४ सेर २ छटांक	
	६—गन्ना का बीज	१९५० मन	
	७—आलू का बीज	१७६ मन २० सेर	
	८—बरसीम ..	१ मन १० सेर	
	९—मूंग नं० १ .	६ मन २४ सेर	
	१०—सनई व ढेंचा	८७ मन ३५ सेर ८ छटांक	
	११— मक्का टी० ४१	३ मन ३८ सेर	
	१२—अरहर नं० १ व १७	१ मन ११ सेर	
	(स) खाद		
	१—खाद के गड्ढे	२६६	
	२—अमोनियम सल्फेट	६७०	बोरी
	३—सुपरफासफेट	८	बोरी
	४—मिक्सचर	८६	बोरी
	५—यूरिया	२५	बोरी
	६—अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	१९	बोरी
	७—अण्डी की खली	३	बोरी

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेष विवरण
१	२	३	४
१—कृषि	(द) यन्त्र वितरण		
	१—मिट्टी पलटने वाला हल	३३	
	२—अन्य ..	२	डस्टर
	(र) प्रदर्शन		
	१—खाद सम्बन्धी	२६५	
	२—बीज सम्बन्धी	५६	
	३—यन्त्र सम्बन्धी	२५३	
	४—कल्चरल सम्बन्धी	४५	
	५—रोटेशन सम्बन्धी	८३	
	६—जापानी धान	३०४	एकड़ ए० व बी०
	७—जापानी धान की नरसरी	१६	एकड़ प्लेट (अ)
	८—गरमी की जुताई	८०	एकड़
	(ल) फसल सुरक्षा		
	१—गन्धी से बचाव	६९	एकड़
	२—अन्य पेड़ों पर छिड़काव	१६	एकड़ रोगिंग व
		३०	पेड़ों पर छिड़काव
	(व) भूमि सुधार		
	१—बबूल ..	२	एकड़
	(श) फसल प्रतियोगिता		
	१—ग्राम सभा पर एन्ट्री	६१	
	२—जिला स्तर पर	४	
	३—स्टेट ..	१	
	(ष) सब्जी उगाना		
	१—सब्जी एकड़ों में	१३५	१/२ एकड़
	२—बीज जो बांटा गया	११	पौण्ड
	३—पौदें जो बांटी गई	४५९३	
	(क) वन महोत्सव		
	१—फलदार	९८६४	
	२—बिना फलदार	५१२०	
	३—पपीता	७३५	
	४—बांस	९७२७	
	५—सामूहिक बाग	३	
	६—बच्चों की बाटिका	२६३	
२—जन-स्वास्थ्य			
	१—पानी पीने के नानहरिजन कुएं	१५	
	२—पानी पीने के हरिजन कुएं	२५	
	३—खड़ञ्जा	१८४६	गज २ फीट

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेष विवरण
१	२	२	४
२—जन-स्वास्थ्य (क्रमशः)	४—धूम्ररहित चूल्हा	१	
	५—रोशनदान	९	
	६—घनोची	१	
	७—सोख्ता	२२९	
	८—पक्की नाली	२	
	९—कच्ची नाली	१ मील २ फर्लाङ्ग ११० गज	
	१०—हाथ का नल	८	
	११—गांव की सफाई	५१	
	१२—घूरे का हटाव	१०	
	१३—कुएं की मरम्मत	१६	
	१४—लालटेन	९८	
	१५—कुओं में लाल दवा	१५८१	
	१६—घरों में गैमेग्जीन का छिड़काव	४७७	घर
	१७—मरीजों की संख्या जिन्हें दवा दी गई	५७२७	
	१८—दवा (पैलूड्रीन) की गोली बांटी गई	३६९	
	१९—हैजे के टीके	११०७	
	२०—चेचक के टीके	२६५९	
	२१—स्वास्थ्य प्रदर्शनी	१	
	२२—स्वास्थ्य समिति	३	
	२३—नहाने का चबूतरा	२५	
३—पशु-पालन	१—एच० एस० के टीके	१०,३२६	
	२—आर० पी० के टीके	६८५७	
	३—कृत्रिम गर्भाधान—		
	(अ) गाय ..	५२	
	(ब) भैंस ..	१४६	
	४—सुअर जो बांटे गये	३	
	५—बकरा सांड़ जो बांटे गये	७	
	६—मुर्रा भैंसा जो बांटा गया	१	
	७—आदर्श मुर्गी फार्म	१	
	८—मुर्गियों की संख्या जो फार्म पर लाई गई	२४	
	९—चरनी जो बनाई गई	१	
	१०—जानवरों को दवा दी गयी	४,४११	
	११—जानवरों को बधिया किया गया	१३६२	
४—कोआपरेटिव	१—प्राइमरी समितियां जो बनीं	१८	
	२—मेम्बर जो भर्ती किये गये	३४५	
	३—हिस्सा का रुपया जो वसूल किया गया ..	३८८ रु०	
	४—कर्जा जो बांटा गया	२०० रु०	

अमर पुस्तकालय

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	किया गया कार्य	विशेष विवरण
१	२	३	४
५—सड़क			
	१—कच्ची नई सड़क	१८	मील ५ फर्लांग २५ गज
	२—कच्ची सड़क की मरम्मत	५९	मील ४ फर्लांग
	३—नया पुल ..	२	(कुम्हरावां, अर्जुनपुर)
	४—पुरानी पुलिया की मरम्मत	१	
	५—नई पुलिया ..	२२	हयूम पाइप द्वारा
	६—प्राइमरी स्कूल भवन	२	(इन्दोरा-बाग, रायपुर-राजा)
	७—स्कूल खुला ..	२	(कन्या तथा लड़कों का)
	८—जूनियर हाई स्कूल भवन	१	(पंचायतघर तथा जूनियर हा० स्कूल अर्जुनपुर)
	९—पंचायत घर		पहला अस्ती में बन चुका।
	,,		दूसरा दोगवां में बन चुका।
	,,		तीसरा रुखाड़ा में बन चुका।
	,,		चौथा राजापुर में बन रहा है।
	,,		पांचवां कल्यानपुर में बन रहा है।
	,,		छठवां बसहा में बन रहा है।
	,,		सातवां रसूलपुर में बन रहा है।
	,,		आठवां बाहरगांव में बन रहा है।
	,,		नवां बेलवा में बन रहा है।
	,,		दसवां भेसामऊ में बन रहा है।
	,,		ग्यारहवां दौलतपुर में बन रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

सन् १९५५-५६ में इन्टेन्सिव डेवलपमेंट ब्लाक्स में परिवर्तित किये जाने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की सूची

खंड का नाम		जिले का नाम
१--पुरकाजी		मुज़फ्फरनगर
२--लोनी		मेरठ
३--ऊंचागांव		बुलन्दशहर
४--रुप्पल		अलीगढ़
५--गोवर्द्धन		मथुरा
६--कोतवाली		बिजनौर
७--जोया		मुरादाबाद
८--जहानाबाद	(लालुसखेरी)	पीलीभीत
९--ऐट		जालौन
१०--मौदहा		हमीरपुर
११--महुआ		बांदा
१२--ग्रौरई		बनारस
१३--बादशाहपुर		जौनपुर
१४--सरगहाखेत		नैनीताल
१५--गोसहनगंज		लखनऊ
१६--नवाबगंज		उन्नाव
१७--सालोन		रायबरेली
१८--हरगांव		सीतापुर
१९--बिलग्राम		हरदोई
२०--बेहजाम		खीरी
२१--कैसरगंज		बहराइच
२२--बाह		आगरा
२३--खेरागढ़		आगरा
२४--कोरौन		इलाहाबाद
२५--निचलौल		गोरखपुर
२६--कैप्टेनगंज		देवरिया
२७--दादामन्दी		गढ़वाल
२८--पुरोला		टेहरी-गढ़वाल

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

मास जनवरी १९५५ ई० से जून, १९५५ ई० तक स्वीकृत व्यय का विवरण

क्रम-संख्या	नाम तहसील	नाम व्यय	अनुदान जो स्वीकृत हुआ	अनुदान जो अब तक दी गई	विवरण
१	बस्ती ..	१--पेय जल व्यवस्था	रु०	रु०	
		(नलकूप मरम्मत)	५०,१४५	४,१७०	
		२--भवन	४३,२६०	१४,७६०	
		३--खरंजा	२,०४५	१५०	
		४--पुलिया	१५,६००	१,३००	
		योग ..	१,११,०५०	२०,३८०	
२	बांसी ..	१--पेय जल व्यवस्था			
		(नया कूप मरम्मत नल)	८८,०८८	३,३७५	
		२--भवन	६१,४५०	१५०	
		३--खरंजा	१,५४०	..	
		४--पुलिया	२३,१९०	..	
		योग ..	१,७४,२६८	३,५२६	
३	खलीलाबाद	१--पेय जल व्यवस्था			
		(नया कूप मरम्मत नल)	२८,७४२	३,०१२	
		२--भवन	४८,८४४	७,३००	
		३--खरंजा	७,५२२	..	
		४--पुलिया	२६,२२५	१,६००	
		योग ..	१,११,३३३	११,९१२	
४	डुमरिया गंज	१--पेय जल कूप व्यवस्था			
		(नया कूप मरम्मत)	१८,४००	३४०	
		२--भवन	३,५९०	५००	
		३--खरंजा	..	..	
		४--पुलिया	३,४१०	१५०	
		योग ..	२५,४००	९९०	

क्रम-संख्या	नाम तहसील	मास जनवरी, १९५५ ई० से जून, १९५५ ई० तक स्वीकृत व्यय का विवरण			विवरण
		नाम व्यय	अनुदान जो स्वीकृत हुआ	अनुदान जो अब तक दी गई	
५	हरैया	१--पेय जल व्यवस्था (नया कूप मरम्मत नल)	२६,८८५	२,०८५	
		२--भवन	९,२८४	३००	
		३--खरंजा	५,३००	..	
		४--पुलिया	४,३३४	..	
		योग ..	४५,८०३	२,३८५	
		कुल योग ..	४,६७,८५४	३९,१९२	

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

मौरानीपुर (जिला झांसी) सामुदायिक विकास खण्ड के संबंध में १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ (१८–११–५५ तक) के लिये स्वीकृत अनुदान और किये गये व्यय का विवरण :

शीर्षक	१९५३–५४		१९५४–५५				१९५५–५६			
	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय			अनुदान	व्यय		
	रु०	रु०	रु०	रु०	आ०	पा०	रु०	रु०	आ०	पा०
१—कृषि के लिए सहायता—										
(१) हानि को पूरा करने के लिए कृषि प्रदर्शन ..	५००	..	१,०००	१,०४०	०	०	..	७५	०	०
(२) बीज भाण्डार ..	८,०००	..	३,०००	१,४२७	०	०	१,५००	१०,९४८	०	०
(३) नरसरी ..	२,५००	..	४,०००	६,५००	०	०	..	..		
२—पशु-पालन—										
(१) फुट बाक्स आदि के लिए सहायता	५००	..	५००	९९०	८	०	..	..		
(२) बैल इत्यादि खरीदने के लिए सहायता ..	२,०००	..	..	..			..	५१५ फुट बाक्स के लिए दिए		
(३) पोल्ट्री विकास ..	२५०	..	..	१३०	०	०	२००	२००	०	०
३—रिक्लेमेशन—										
(१) प्रयोगिक मिट्टी संरक्षण के लिए सहायता ..	१,०००	..	..	..			..	१,०००	०	०

अनुवाद विधान सभा

शीर्षक	१९५३–५४		१९५४–५५				१९५५–५६			
	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय			अनुदान	व्यय		
	रु०	रु०	रु०	रु०	आ०	पा०	रु०	रु०	आ०	पा०
४—सार्वजनिक स्वास्थ्य—										
(१) पीने के पानी के लिए सहायता	१०,०००	१४३	१०,०००	१९,८५७	०	०	७८५	७५१	०	०
(२) ड्रेनेज के लिए सहायता	१,०००	..	..	..			७१५	..		
(३) सफ़ाई सम्बन्धी निर्माण के लिए सहायता ..	..	..	..	..			१,५००	३००	०	०
५—शिक्षा—										
स्कूलों के भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए सहायता	८,०००	..	..	७,९२४	०	०	१,०००	७७५	०	०
६—यातायात—										
कच्ची और पक्की सड़कों का निर्माण ..	१,९४,०००	..	१५,०००	१,७५,१४१	०	०	४१,०००	२,५८६	०	०
७—ग्रामीण कलाकौशल और उद्योग धन्धे—										
(१) चरखा वितरण के लिए	२५०	..	४,५००	४,४२७	०	०	..	३१६	४	०
(२) मधु मक्खी पालन के लिए ..	२५०	..	५००	..			५००	..		
योग ..	२,२८,२५०	१४३	३८,५००	२,१७,४३६	८	०	४७,२००	१७,४६६	४	०

नोट :—(१) यातायात के लिए स्वीकृत अनुदान में से १,७५,००० रु० रुमोठ-बघेरा–गुरसराय सड़क के लिए दिया गया।

(२) नान प्राजेक्ट ग्रान्ट्स में से २०,००० रु० और ६०० रु० की धनराशियां बाढ़पीड़ित हरिजनों के लिए मकान और कुएं बनाने के लिए स्वीकृत एवं वितरित की गयी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

नत्थी 'क'

आजमगढ़ जिले में ताड़ी की दुकानें

तहसील सदर

१—भदली
२—भिलौली
३—बलरामपुर
४—बिन्द्रा बाजार
५—मल्लाही टोला

आजमगढ़ शहर

६—मुहम्मदपुर
७—निजामबाद नं० १
८— " नं० २
९—कुर्मी टोला
१०—पहाड़पुर
११—रानी की सराय नं० १
१२—रानी की सराय नं० २
१३—परसहा
१४—सराभेरि नं० १
१५—सराभेरि नं० २
१६—शहबाजपुर
१७—शर्फदीनपुर
१८—सीधारी

तहसील फूलपुर

१९—अहरौला
२०—अम्बारी
२१—अतरौलिया
२२—कोडिया
२३—खुसरो रोड
२४—कोइलसा
२५—माहुल
२६—मसगैदिया (नूरपु :)
२७—फूलपुर

तहसील मुहम्मदाबाद

२८—बरहलगंज
२९—वरपुर
३०—भाँटकोल
३१—मुल्लोपुर
३२—छटिगांव
३३—चिरैयाकोट उत्तर
३४—चिरैयाकोट दक्षिण
३५—गालिबपुर
३६—जहानागंज
३७—करहा
३८—खैराबाद
३९—खुरहट
४०—मऊलहलादपुर
४१—मऊमहरनिया
४२—मऊ रेलवे स्टेशन
४३—मऊ उत्तरटोला
४४—मकरी
४५—मुहमदाबाद रेलवे स्टेशन
४६—मुबारकपुर गोला
४७—मुबारकपुर कटरा
४८—चकसिकटी
४९—नवीनगंज
५०—पर्दहा
५१—रायपुर
५२—रकौली
५३—सरसेना
५४—शाहगढ़
५५—सिकठी
५६—वलीदपुर

तहसील लालगंज

५७—डीहा (देवगांव)
५८—लालगंज
५९—मेहनगर दरगाह
६०—मेहनगर कुतबा
६१—ठेकमा

तहसील सगड़ी

६२—अजमतगढ़
६३—बाबा की बाजार
६४—बनकट
६५—भीवर
६६—बिलरयागंज
६७—कप्तानगंज
६८—चांदपट्टी
६९—दाउदपुर
७०—काख मोर
७१—जीमनपुर
७२—लालघाट
७३—महराजगंज
७४—महलिया
७५—कौजी की सराय
७६—रजादेपुर
७७—समनपुर
७८—सरदहा
७९—खालिसपुर (जोल्हापुर)

तहसील घोसी

८०—अदरी
८१—अमिला (पूरब)
८२—बड़ा गांव
८३—अमिला (पश्चिम) महमिला
८४—बहादुरपुर
८५—दरगाह
८६—दोहरीघाट
८७—दुबारी
८८—फत्तेपुर
८९—बाग दलजीत
९०—घोसी (रौजा)
९१—गोंठा
९२—कल्यानपुर
९३—कटघरा
९४—कोपागंज अखाड़ा
९५—कोपागंज शहीदा
९६—मनिकापुर
९७—नदवा सराय
९८—नई बाजार
९९—पूरामारूक
१००—रामपुर
१०१—रसूलपुर
१०२—सिपाह

आजमगढ़ जिले की अफीम की दूकानें

तहसील सदर

१—चौक (आजमगढ़ शहर)
२—मुहम्मदपुर
३—सराय मीर

तहसील फूलपुर

४—अहरौला
५—अतरौलिया
६—माहुल
७—फूलपुर

तहसील मुहमदाबाद

८—बरहलगंज
९—मऊ
१०—मुहमदाबाद
११—मुबारकपुर

तहसील लालगंज

१२—लालगंज
१३—मेहनगर
१४—तरवा
१५—डेकमा

तहसील सगड़ी

१६—बाबा की बाजार
१७—जीमनपुर
१८—महराजगंज

तहसील घोसी

१९—दोहरी घाट
२०—कोपागंज

आजमगढ़ जिले की मुश्करात (गांजा व भांग) की दूकानें

तहसील सदर

१—ब्रह्म स्थान
२—चन्देसर
३—चौक (आजमगढ़ शहर)
४—दुर्वासा
५—मोहमदपुर
६—मुसीपुर (रेलवे स्टेशन)
७—निजामाबाद
८—रानी की सराय
९—सराय मीर
१०—सिघरी

तहसील फूलपुर

११—अहरौला
१२—अम्बारी
१३—अतरौलिया
१४—अटरैंट
१५—कोइलसा
१६—माहुल
१७—फूलपुर

तहसील मुहमदाबाद

१८—बरहलगंज
१९—बठुवा गोदाम
२०—जहानागंज
२१—करहा
२२—खरगेजपुर
२३—मऊ
२४—मऊ खडहरा
२५—महमदाबाद
२६—मुबारकपुर
२७—रामपुर
२८—बलीदपुर

तहसील लालगंज

२९—बाजार गोसाईं
३०—कमहरीया
३१—लालगंज
३२—मेहनगर
३३—पलहला
३४—तरवा
३५—ठेकमा

तहसील सगड़ी

३६—बाबा की बाजार
३७—बनकट
३८—बिलरियागंज
३९—कप्तानगंज
४०—जीयनपुर
४१—लालघाट
४२—महाराजगंज
४३—सरदहा

तहसील घोसी

४४—अदरी
४५—अमिला
४६—दरगाह
४७—दोहरी घाट
४८—दुवारी
४९—घोसी
५०—गौंठा
५१—कटघरा
५२—कोपागंज
५३—नदवा सराय
५४—रामपुर

आजमगढ़ जिले की शराब की दूकानें

तहसील सदर

१—एलबल (आजमगढ़ शहर)
२—चन्देसर
३—चौगान (आजमगढ़ शहर)
४—दुर्वासा
५—मुहम्मदपुर
६—भुसेपुर रेलवे स्टेशन
७—निजामाबाद
८—रानी की सराय
९—सराय मीर
१०—सीधारी

तहसील फूलपुर

११—अहरौला
१२—अम्बारी
१३—अतरौलिया
१४—अटरैंट
१५—कोइलसा
१६—माहुल
१७—फूलपुर

तहसील मुहमदाबाद

१८—बरहलगंज
१९—चिरैयाकोट
२०—जहानागंज
२१—करहा
२२—मऊ टाऊन
२३—मऊ खडहरा
२४—महमदाबाद
२५—मुबारकपुर
२६—बलीदपुर

तहसील लालगंज

२७—बाजार गोसाईं
२८—लालगंज
२९—मोहनगर
३०—तरवा
३१—ठेकना

आजमगढ़ जिले में शराब की दुकानें

तहसील सगड़ी

३२—आजमतगढ़
३३—बाबा की बाजार
३४—बकट
३५—बिलरया गंज
३६—कप्तानगंज
३७—जीमनपुर
३८—महराजगंज
३९—सरवहा

तहसील घोसी

४०—अवरी
४१—बड़ा गांव
४२—दोहरीघाट
४३—दरगाह
४४—दोवारी
४५—घोसी
४६—गौठा
४७—कठघरा
४८—कोपागंज
४९—नदवा सराय
५०—रामपुर

विदेशी शराब की दूकान

१—चौक (आजमगढ़ शहर)

संसद सदस्य

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

नत्थी "ख"

आजमगढ़ जिले में मादक वस्तुओं की दुकानों से आय १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में

मादक वस्तुओं का नाम	आय					
	१९५३-५४			१९५४-५५		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—देशी शराब ..	६,०६,५४७	०	८	६,५६,७२९	८	३
२—विदेशी शराब ..	२४३	८	०	५४७	१०	०
३—ताड़ी ..	२,३३,९०५	७	०	२,१६,०७३	१४	०
४—मुश्करात (गांजा व भांग) ..	१,८०,८४०	१	०	१,५१,३०२	५	०
५—अफीम ..	२९,५८४	९	०	३३,१०८	१४	०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

नत्थी १

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में १६ रूरल वर्कशाप्स बनाने की योजना--

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में १६ ग्रामीण स्थानों में वर्कशाप्स खोली जायेंगी, जिनमें ग्रामीण कारीगरों को लोहारी, बढ़ईगीरी, मोल्डिंग आदि विभिन्न टेक्निकल विषयों की ट्रेनिंग दी जायगी। कारीगरों को ट्रेक्टर, आयल इंजन, कोल्हू, पम्पिंग सेट आदि की मरम्मत करने की भी ट्रेनिंग दी जायगी। इसके अतिरिक्त उन्हें कृषि सम्बन्धी औजारों को बनाने की भी ट्रेनिंग दी जायगी। ट्रेनिंग की अवधि ६ माह से लेकर एक वर्ष की होगी और ट्रेनिंग की अवधि में छात्रवृत्ति दी जायगी। वर्कशाप्स खोलने के लिये स्थानों का चुनाव अभी नहीं हुआ है।

खेल-कूद के सामान बनाने के उद्योग के विकास की योजना--

इस योजना के अन्तर्गत बरेली तथा मेरठ में दो ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायेंगे, जिनमें इस उद्योग से रुचि रखने वाले व्यक्तियों को खेल-कूद के सामान बनाने की ट्रेनिंग दी जायगी। ट्रेनिंग की अवधि १ वर्ष की होगी और इस अवधि में ट्रेनीज को छात्रवृत्ति दी जायगी, ट्रेनिंग पाने के पश्चात् यह ट्रेनीज अपनी वर्कशाप्स खोलेंगे, जिसकी स्थापना के लिये उन्हें आर्थिक तथा अन्य सहायता भी दी जा सकेगी।

चलती-फिरती कारपेन्ट्री दूकान की योजना--

इस योजना के अन्तर्गत चार मोटर गाड़ियों में कारपेन्ट्री उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक और उन्नतिशील यंत्रों को रखा जायगा, इन गाड़ियों में इन्स्ट्रक्टर्स रहेंगे। यह गाड़ियां राज्य के विभिन्न भागों में घूम-घूम कर बढ़ईगीरी का काम करने वाले व्यक्तियों को आधुनिक और उन्नतिशील यंत्रों के प्रयोग करने के प्रदर्शन करेंगी। उन व्यक्तियों को इस प्रकार के औजारों को खरीदने के लिये आर्थिक सहायता भी देने का आयोजन है।

चलती-फिरती लोहारी की दूकान की योजना--

चलती-फिरती कारपेन्ट्री दूकान की योजना की तरह इस योजना के अन्तर्गत भी चार मोटर गाड़ियों में लोहारी उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक और उन्नतिशील यंत्रों को रख कर इन्स्ट्रक्टर्स द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में घूम-घूम कर इन यंत्रों का प्रदर्शन लोहारी का काम करने वाले व्यक्तियों के सामने किया जायगा, ताकि वे इन औजारों के प्रयोग को जान जायं और स्वयं भी इनका प्रयोग करें। इन औजारों को खरीदने के लिये भी आर्थिक सहायता देने का आयोजन है।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

नत्थी २

भारत सरकार से आगरा के फुटवियर उद्योग के लिये जो आर्थिक सहायता मिली है उससे एक योजना बनाई गई है जिसके द्वारा आगरा के फुटवियर उद्योग को तरक्की दी जायगी। चार लाख रुपया कमर्शियल आपरेशन्स के लिये रक्खा गया है और एक लाख रुपया काटेज वर्कर्स को वर्किंग कैपिटल के लिये ऋण के लिये दिया जायगा। अनुदान की रकम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जायगी, बिल्डिंग का किराया दिया जायगा, बिजली का व्यय होगा, प्रचार तथा प्रोपेगन्डा होगा, टाइपराइटर और फर्नीचर आदि खरीदा जायगा।

आगरा में फुटवियर उद्योग में लगे हुए काटेज वर्कर्स की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जायगी। यह सोसाइटी प्रोडक्शन सोसाइटी होगी और जूते बनायेगी। इसके द्वारा बने हुये जूतों पर क्वालिटी मार्क लगाया जायगा और उनकी बिक्री के लिये चार रिटेल दूकानें खोली जायेंगी जहां से आम जनता उनको खरीद सके। इन काटेज वर्कर्स को उचित दामों पर कच्चा माल सप्लाई किया जायगा और उनके द्वारा बनाये गये जूतों के सम्बन्ध में हर प्रकार की इकोनामिक बातों की जांच की जायगी। इसके अतिरिक्त उनको यह बताया जायगा कि किस प्रकार के जूतों की मांग बाजार में अधिक है। उनको अच्छे प्रकार के फर्मों (lasts) का प्रयोग करना सिखाया जायगा तथा इसमें काम आने वाली छोटी-छोटी मशीनों का प्रयोग करना उन्हें बताया जायगा और उसकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी जायगी।

यह योजना प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०९ पर)

आजमगढ़ ब्लाक को १९५४–५५ में दी गई धनराशि की सूची

क्रम-संख्या	मद	धनराशि रु०
१	अफसरों का वेतन	२६४
२	कर्मचारियों का वेतन	१,४०६
३	भत्ता और मानदेय	१,६३६
४	प्राकस्मिक व्यय (रेकरिंग)	५,२२०
५	प्राकस्मिक व्यय (नानरेकरिंग) ..	८,८००
६	स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए अनुदान ..	१०,०००
७	सिंचाई के छोटे कामों के लिये ऋण ..	१,१००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

आजमगढ़ एन० ई० एस० ब्लाक में ३० सितम्बर, १९५५ तक अनुदान द्वारा होने वाले व्यय की सूची

क्रम-संख्या	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	दी गई रकम
		रु०
१	पानी पीने के कुएं	१,६३६
२	कुओं की मरम्मत	४७५
३	गलियों के फर्श का पक्का किया जाना ..	८६४
४	पंचायतघर, स्कूल, वाचनालय और अस्पताल ..	४,१९६
५	पुलियां	५२७
६	सड़कों की बनवाई	२,०००
७	नालियों की बनवाई	२००
	कुल अनुदान ..	९,८९८

मेरा पुस्तकालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७-७८ के उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

जिला नियोजन समिति, सीतापुर के फंड में स्वीकृत अनुदानों से प्राप्ति और व्यय का विवरण

अनुदानों की दरें	पिछला बैलेन्स १-४-५४ को	१९५४-५५ में प्राप्त अनुदान	टोटल	खर्चा अब तक	शेष
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१--पानी की व्यवस्था	..	८५,०००	८५,०००	६२,३००	२२,७००
२--स्थानीय विकास कार्य ..	५६,५००	१,००,०००	१,५६,५००	१,५६,०००	..
३--शारीरिक विकास	१,२२५	१,०००	२,२२५	१,४२५	८००
४--श्रमदान संबंधी अनुदान	..	१०,०००	१०,०००	१०,०००	..
५--हरिजनों के लिए गृह-निर्माण	७,६००	२,०००	९,६००	८,४००	१,२००
६--हरिजनों के लिए कुआं निर्माण	६,५००	१,०००	७,५००	६,०००	१,५००
७--अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रचार	१,०००	१,०००	२,०००	८९५	१,१०५
८--स्व-सहायता	४,३००	९०,०००	९४,३००	९४,३००	..
९--शिक्षा सम्बन्धी अनुदान	९,९००	२०,१००	३०,०००	३०,०००	..
१०--सूचना	१,२५०	५००	१,७५०	५५०	१,२००
११--भूत-पूर्व क्रिमिनल ट्राइब्स	..	१०,५८०	१०,५८०	..	१०,५८०
योग	८८,२७५	३,२१,१८०	४,०९,४५५	३,७०,३७०	३९,०८५

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

मुजफ्फरनगर की सहकारी समितियों द्वारा रुपया जमा करने की तिथि तथा जमा की गई धनराशि की तालिका

क्रम-संख्या	समिति का नाम	जमा करने की तिथि	जमा की गई धनराशि
			रु०
१	भोकरहेड़ी	मार्च, १९५३	५,०००
२	अमुपुरा	मार्च ५, १९५४	१,०००
३	बेगरजपुर	मार्च १, १९५४	१,०००
४	गादला	फरवरी ५, १९५४	१,०००
५	जसोई	मार्च २४, १९५४	२,२००
६	कादीपुर	फरवरी २५, १९५४	१,०००
७	खाई खेड़ी	जनवरी १८, १९५४	१,०००
८	कुतुबपुर	मार्च १, १९५४	५,०००
९	भागपुर	अप्रैल १९, १९५४	५,०००
१०	नरा	मार्च १, १९५४	२,७७५
११	पंडोरा	मार्च ३१, १९५४	५,०००
१२	तितावी	मार्च ४, १९५४	५,०००
		योग	३४,९७५

पी० एल० यू० पी०—ए० पी० १४२ एल० ए०—१९५६—७९६ ।